खण्ड-192, अंक-8
मंगलवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(11 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

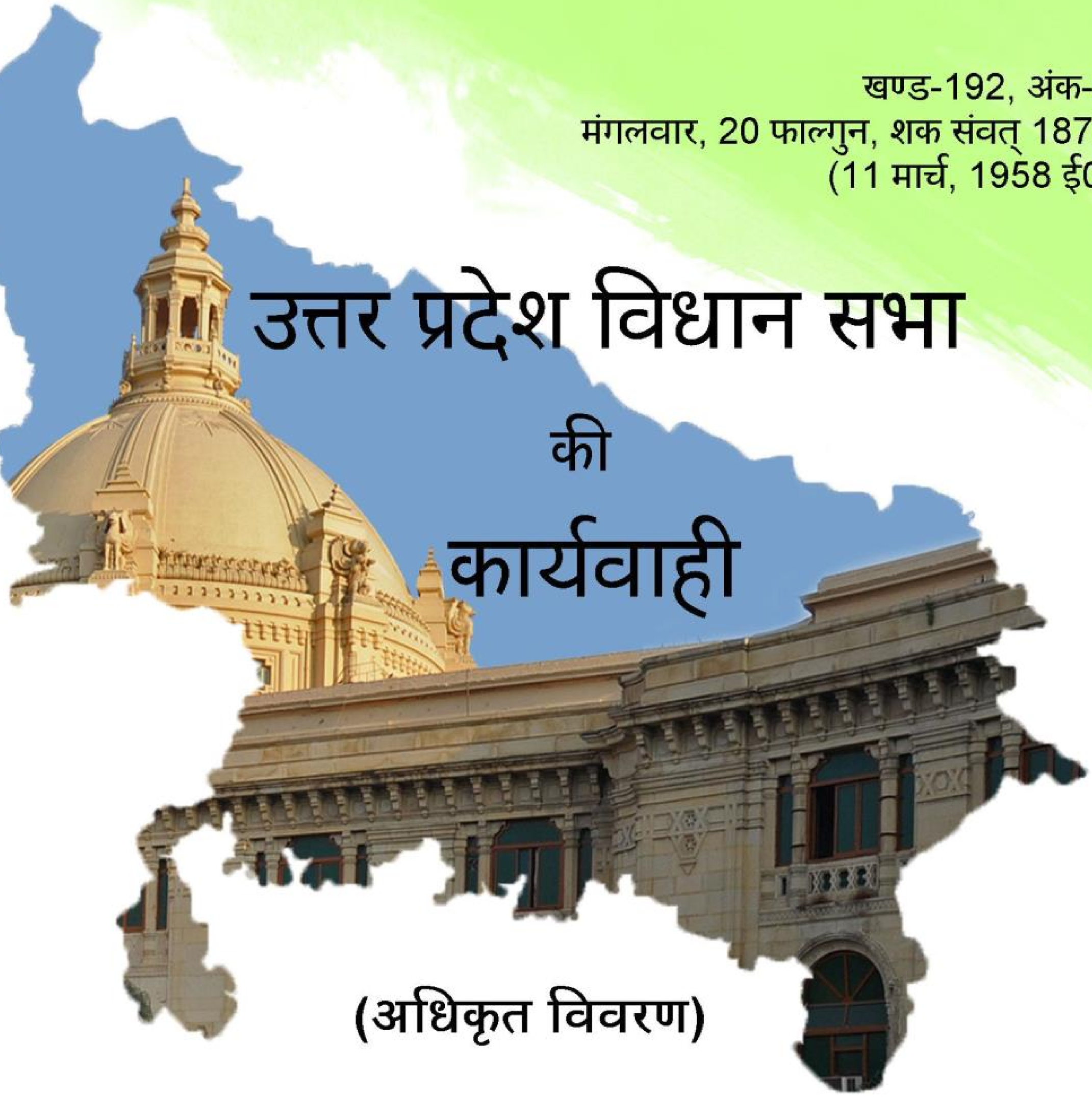

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 192 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की ठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३१५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० प्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री

चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रशाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद , श्री

मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री

बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वानाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सूरयबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ११ मार्च, १९५८ ई०

तारांकित प्रश्न

पंचायत सेक्रेटरियों को अपनी तहसील में काम न करने का जिलाधीश खीरी का आदेश

*१—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि जिलाधीश खीरी ने इस प्रकार के आदेश दे रखे हैं कि एक तहसील के रहने वाले पंचायत सेक्रेटरी उस तहसील में कार्य करने के लिये न रखे जायं ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी हां ।

*२—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या इस प्रकार के कोई आदेश सरकार ने जिलाधीशों को भेजे हैं कि जिस तहसील के रहने वाले पंचायत सेक्रेटरी हों, उस तहसील में न रखे जायं ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं ।

*३—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि सन् १९५६ में कितने पंचायत सेक्रेटरी, तहसील निधासन, जिला खीरी से दूसरी तहसीलों को ट्रांसफर किये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सन् १९५६ में तहसील निधासन, जिला खीरी से ३५ पंचायत मंत्रियों को दूसरी तहसीलों में स्थानान्तरित किया गया ।

आजमगढ़ जिले में साफ्ट-कोक डिपो बढ़ाने की मांग

*४—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में साफ्ट कोक के कितने डिपों कहां-कहां हैं ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—आजमगढ़ जिले में इस समय साफ्ट कोक के ७ डिपो निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—

आजमगढ़ शहर १, मऊ १, घोसी १, मुहम्मदाबाद १, फूलपुर १, मुबारकपुर १, दोहरीघाट १ ।

*५—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार जिले में साफ्ट कोक डिपो और अधिक खुलवाने की सुविधा देने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां ।

*६—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साफ्ट कोक डिपो के मालिकों की नियुक्ति के सरकारी नियम क्या हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—नियुक्ति के नियम इस प्रकार हैं :—

(१) यदि किसी जिले में नये डिपो होल्डर की नियुक्ति करनी होती है तो जिलाधीश इस की सूचना प्रकाशित कर प्रार्थना-पत्र लेता है ।

(२) प्रार्थना पत्रों को विचार करने में आवेदन कर्ता की आर्थिक दशा, व्यापारिक अनुभव और सुचारुरूप से कार्य करने की क्षमता को विचार कर जिलाधीश अपना प्रतिवेदन सरकार को भेजता है । किस व्यक्ति को डिपो दिया जायेगा इसका अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा होता है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साफ्ट कोक की दूकान खोलने का आधार क्या है ? क्या आबादी का भी लिहाज स्वीकृति देते समय किया जाता है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—आधार कोई खास तो नहीं है लेकिन इसका खयाल किया जाता है कि कितनी जरूरत कोयले की है और बाज वक्त बावजूद जरूरत होने के भी चूंकि उतने कोयले की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये जितनी जरूरत होती है उतना भी हम नहीं खोल सकते ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिलों में साफ्ट कोक के जितने वैगन इस समय एलाट हैं उन्हीं में से काट छांटकर दूकानें बढ़ायी जाने वाली हैं ?

•श्री सैयद अली जहीर—यह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि जहां-जहां बहुत ज्यादा मांग है वहां पर कोशिश यह की जा रही है कि उस मांग को पूरा किया जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि साफ्ट कोक का डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा होता है या हर किसी को उसे बेचने की सुविधा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सप्लाई डिपार्टमेन्ट के द्वारा उसका एलाटमेन्ट होता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद बंगला भट्ठों को अभी कोयला मिलने में क्यों कठिनाई हो रही है, अब तक एक आदमी को भी कोयला नहीं मिल रहा है ?

श्री अध्यक्ष—क्या साफ्ट कोक के बारे में पूछ रहे हैं आप ?

श्री रामायणराय—जी हां।

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, भट्ठे का साफ्ट कोक से कोई वास्ता नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश महोदय ने कितने और साफ्ट कोक डिपो खोलने की सिफारिश की है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न आजमगढ़ के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री उग्रसेन—जी हां।

श्री सैयद अली जहीर—मेरे खयाल से उन्होंने शायद दो के लिये कहा है और उसी के ऊपर अभी तक विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि दो दूकानों के सम्बन्ध में कितनी दरख्वास्तें उनके पास आयी हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—वह तो जैसा जवाब में कहा गया दरख्वास्तें तो जिलाधीश के पास आयी हैं वह अपनी सिफारिश वहां से भेजेंगे।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि साफ्ट कोक डिपो खोलने तथा खोलने वाले की नियुक्ति पर जिला नियोजन समितियों का भी सुझाव मांगा जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है।

वन विभाग, जिला इटावा में कथित नियुक्तियां

*७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अक्तूबर, १९५७ में फारेस्ट विभाग, इटावा में रेंज क्लर्क, फारेस्टर, ऐसिस्टेंट, क्लर्क, प्लान्टेशन जमादार आदि में कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां की गईं और उनमें क्रमशः (१) पिछड़ी हुई और (२) परिगणित जातियों के व्यक्ति कितने हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वन विभाग, भूमि प्रबन्धक वृत के दक्षिणी दोआब डिवीजन, इटावा में अक्तूबर, १९५७ में रेन्ज क्लर्क, फारेस्टर, एसिस्टेंट क्लर्क, प्लान्टेशन जमादार आदि की कोई नियुक्तियां (direct recruitments) नहीं की गईं। अतएव पिछड़ी हुई और परिगणित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

*८-१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—[गृह मन्त्री से सम्बन्धित ग्यारहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ३-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*११—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[माल मन्त्री से सम्बन्धित नवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१२—श्री गनेशचन्द्र काछी—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

फीरोजाबाद तहसील में निर्माण-कार्य

*१३—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद तहसील में निर्माण विभाग द्वारा गत दस सालों में कितने मील पक्की सड़क तथा पुल या पुलियों का निर्माण किया गया है ? अगर नहीं किया गया है, तो उसका क्या कारण है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

प्रथम भाग:—लगभग ६ १/२ मील पक्की सड़क और १ पुलिया बनाई गई ।

द्वितीय भाग:—प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की चुनाव कमेटी

*१४—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ में आनरेरी चुनाव कमेटी बनाई गई है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला अलीगढ़ में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की चुनाव कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैं—

१—जिलाधीश } पदेन सदस्य
२—सेशन जज }

३—श्री बृज मोहन लाल—बार एसोसियेशन का प्रतिनिधि

४—श्री मलखान सिंह, एम० एल० ए०
५—श्री नेकराम शर्मा, एम० एल० ए०
६—श्री नजमुलहुसैन काजमी
७—श्री अनन्त राम वर्मा, एम० एल० ए०
८—श्री श्रीनिवास, एम० एल० ए०
९—श्री राजाराम अरोरा, भूतपूर्व एम० एल० ए०
} असरकारी सदस्य

*१५—श्री रामप्रसाद देशमुख (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसमें से कितने मेम्बरों ने इस कमेटी से त्याग-पत्र दे दिया है और उसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—दो सदस्यों का त्याग-पत्र प्राप्त हुआ है । यह त्याग-पत्र एक विशेष व्यक्ति को कमेटी में सम्मलित करने के विरोध में है ।

जिला बिल्डिंग मैटीरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐडवाइजरी कमेटियां

*१६—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिल्डिंग मैटीरियल ऐडवाइजरी कमेटी जो प्रदेश के प्रत्येक जिले में बनी है उसको किस प्रकार संगठित किया जाता है ? क्या विधान सभा के सदस्यों में से भी एक सदस्य उस कमेटी में सरकार नामजद करती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिला बिल्डिंग मैटीरियल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐडवाइजरी समितियों के संगठन का विवरण संलग्न है । इनमें से विधान सभा का एक सदस्य सरकार निर्वाचित करती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६७० पर)

*१७—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग मैटीरियल ऐडवाइजरी कमेटी को कब से पुनः संगठित करने का विचार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पुनःसंगठन का कोई प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है ।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विधान सभा के सदस्यों के अतिरिक्त लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य को भी नामजद किया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं । विधान सभा का सदस्य ही नामजद किया जाता है ।

श्री मोहनलाल वर्मा—बिल्डिंग मैटीरियल ऐडवाइजरी कमेटी किस सन् में बनी थी और इनकी अवधि कितनी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सन् १९४७ से वह बनती चली आ रही है । उसके बाद सन् १९४९ में कुछ परिवर्तन हुए, फिर सन् १९५७ में हुए । इस प्रकार से उनमें परिवर्तन होते चलते हैं ।

श्री मोहनलाल वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर साफ नहीं हुआ कि इस कमेटी की अवधि कितनी होती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कदाचित् तीन वर्ष है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि बहुत से जिलों में यह कमेटी बनी ही नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी कोई शिकायत नहीं है । अगर किसी विशेष जिले की बात बतायी जाय तो विचार किया जायगा ।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन जिलों में विधान सभा का सदस्य नहीं है उनमें नामजद करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां । यह तो जवाब में कह दिया गया है कि उनको फिर से नामजद करने का सवाल विचाराधीन है ।

डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर के सीवेज से सिंचाई की दरें

*१८—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर के सीवेज से आबपाशी करने की वर्तमान दर क्या है ? जब सीवेज तैयार हो कर पहले वर्ष सिंचाई की गई थी, तब क्या दर थी ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर के सीवेज से आबपाशी करने की वर्तमान दर निम्नलिखित वस्तुओं के लिए प्रति बीघा यह है :—

		रु०
(१)	गन्ना	७२
(२)	बरसीम	६०
(३)	तम्बाकू	३६

		रु०	
(४)	आलू	३६	
(५)	सब्जियां (तरकारी, मिर्च, बैंगन)	४२	
(६)	अन्य सब्जिया	३०	
(७)	धान	३०	(एक फसल के लिए)
(८)	गेंहू	२४	
(९)	गेंहू जौ या चना मिला हुआ ..	२४	
(१०)	ज्वार या चरी फसल खरीफ में	१९	
(११)	ज्वार अरहर मिली हुई या अलग-अलग फसल रबी में ।	१४	

डेवलपमेंट बोर्ड ने यह योजना १९५१–५२ के अन्त में प्रारम्भ की तथा केवल अन्त के तीन महीने आबपाशी हो सकी और उसके लिए १५ रुपए प्रति बीघा लिया गया। १९५२–५३ में पूर्ण प्रबन्ध होने के पश्चात् निम्नलिखित दरें निश्चित की थीं —

		रु०
(१)	गन्ना	६०
(२)	बरसीम	५०
(३)	तम्बाकू	३०
(४)	आलू	३०
(५)	सब्जियां (तरकारी, मिर्च, बैंगन)	२५
(६)	अन्य सब्जियां	२५
(७)	धान	१८ रु० १२ आना (केवल तीन माह के लिये)
(८)	गेंहू	२०
(९)	गेंहू, जौ या चना मिला हुआ	२०
(१०)	ज्वार या चरी फसल खरीफ में	१०
(११)	ज्वार अरहर मिली हुई या अलग-अलग फसल रबी में ।	१०

श्री सजीवन लाल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सन् १९५२–५३ के प्रबन्ध के बाद जो सिंचाई की दरें बढ़ी हैं उसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो १९५२–५३ की दरें थीं उससे बोर्ड को नुकसान हो रहा था इस वजह से इन दरों को बढ़ाना आवश्यक हुआ ।

श्री सजीवन लाल—क्या सरकार सोच रही है कि इन दरों में कमी की जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—नहीं, ऐसा तो विचार नहीं है ।

जिला मेरठ से रोहटा-बिनौली-बड़ौत कच्ची सड़क की निर्माण योजना

*१९—श्री सजीवन लाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ से रोहटा–बिनौली-बड़ौत जाने वाली कच्ची सड़क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाने का आयोजन है अथवा नहीं ? यदि है, तो कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां । कार्य इसी वित्तीय वर्ष में आरम्भ किया जा रहा है ।

श्री सजीवन लाल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कब तक इसके पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

श्री गिरधारी लाल—पूर्ण हो जाने की संभावना की बात यह है कि रुपये की उपलब्धि पर निर्भर करता है कि हर वर्ष कितना रुपया मिलेगा। साधारण तरीके से ३ वर्ष में एक सड़क की योजना पूरी हो जाती है। इस वर्ष अभी इसका ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल गया है।

बाराबंकी जिले में रुदौली–रेछघाट सड़क को पक्की करने एवं बेतवा पर पुल बनवाने की प्रार्थना

*२०—श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में रुदौली, जिला बाराबंकी से रेछघाट जाने वाली सड़क को पक्की बनाने का विचार है? यदि हां, तो सड़क का बनना कब तक प्रारम्भ होगा?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

*२१—श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुदौली तथा मवई परगने के बीच बहने वाले बेतवा नदी-नाले पर कोई पुल बनाने का विचार है?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल—रुदौली से रेछघाट जाने वाली सड़क के बीच में लगभग २०० गांव पड़ते हैं, उनके बीच में एक सड़क है तो क्या माननीय मंत्री इसको दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लेने की की कृपा करेंगे?

श्री गिरधारीलाल—दूसरी पंचवर्षीय योजना को बने हुए काफी अर्सा हो गया है। अब तो हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में विचार करना होगा, तब इस सड़क के सिलसिले में विचार किया जा सकता है।

श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल—रुदौली और मवई परगने के बीच बहने वाला बेतवा नदी नाला जो है उसके कारण बरसात में दोनों हिस्से एक दूसरे से कट जाते हैं, उसकी आवश्यकता को देखते हुए सरकार उसे बनवाने के सम्बन्ध में विचार करेगी?

श्री गिरधारी लाल—माननीय सदस्य ने जो बात बतलाई है उससे मैं पूरी तौर से सहमत हूं। जैसा मैंने शुरू में कहा, धन इतना काफी नहीं है कि हम इन तमाम योजनाओं को एक साथ ले सकें। जिस वक्त धन होगा, जरूर इन चीजों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

नैनीताल जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

*२२—श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल में व जिला पीलीभीत में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें सरकार ने खोली हैं और किस-किस स्थान पर?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिला नैनीताल में पिछले दिनों तक १२ दूकानें चल रही थीं परन्तु जनवरी के महीने में इनके अतिरिक्त १८ दूकानें और खोलने के आदेश दिये जा चुके हैं। इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

जहां तक पीलीभीत का संबंध है वहां सस्ते गल्ले की कोई दूकान नहीं खुली है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६७१ पर)

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिला पीलीभीत में अब तक कोई भी सस्ते गल्ले की दूकान न खोलने का क्या कारण है?

श्री सैयद अली जहीर---पीलीभीत क्या और भी बहुत से ऐसे जिले हैं जहां एक भी दूकान नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन १८ दूकानों के लिये नोटिस जारी हुआ है वह कार्य रूप में परिणत हो चुका है या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल जिले में इस समय जो ३० सरकारी गल्ले की दूकानें चल रही हैं उनमें जो सब्सिडाइज्ड फूडग्रेन्स के हिसाब से सबसिडी मिलती है, वह सबसिडी नैनीताल जिले में नहीं दी जाती ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझको इसका खयाल नहीं है। अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो मैं इत्तला आपको दे दूंगा।

अल्मोड़ा जिले में नवीन मोटर मार्ग के लिए बसौलो-ताकुला भाग का गलत एलाइनमेंट

*२३---श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा-कफड़खान-बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा को प्रस्तावित मोटर मार्ग के "बसौलो-ताकुला" भाग के गलत एलाइनमेंट के विरोध में जनता के विरोध-पत्र उन्हें तथा उनके अधीनस्थ विभागीय कर्मचारियों को प्रेषित हुये हैं ? उनमें क्या कार्यवाही हुई है ताकि भूकना, बसौलो, डौड़ियाल गांव आदि की जमीनें न कटें और नई सड़क पुरानी सड़क की लीक पर ले जाई जाय ?

श्री गिरधारी लाल---सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चुने गये एलाइनमेन्ट के विरोध में जनता के विरोध पत्र प्राप्त हुये थे। स्थानीय अधिकारियों द्वारा उन पर पूरी जांच मौके पर की गई है। यातायात के दृष्टिकोण तथा लागत को ध्यान में रखते हुये नई सड़क को पुरानी सड़क की लीक पर ले जाना उपयुक्त नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस आल्टरेशन से कितना खर्चा तखमीने में बढ़ गया है ?

श्री गिरधारी लाल---माननीय सदस्य की जो तजवीज है, उनका जो प्रोपोजल था उसके मुकाबले में जो विभाग का प्रपोजल है इसमें खर्चा बढ़ा नहीं है, बल्कि घटा है। ४०,००० रुपये की कमी तो जरूर इसमें होती है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी, जब तखमीने में फर्क होता है इस नयी तरमीम से तो किसानों की जो नयी भूमि बच जायगी उसको मद्देनजर रखते हुए और प्रपोज्ड आल्टरेशन से खर्चा कम होगा, इस पर पुनर्विचार करवायेंगे ?

श्री गिरधारी लाल---जमीन तो जहां भी सड़क निकाली जायगी ली जायगी, चाहे दाहिनी तरफ हो या बांयी तरफ और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने जाकर देखा कि दोनों तरफ किसानों की जमीन आती है। तो वह तो लेनी ही होगी।

नोटीफाइड एरिया, रुदौली, जिला बाराबंकी के कर्मचारियों को वेतन न मिलना

*२४---श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल---क्या यह सत्य है कि नोटीफाइड एरिया, रुदौली, जिला बाराबंकी के कर्मचारियों का वेतन गत कई मास से शेष पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। सम्पत्ति तथा हैसियत कर के वसूल न हो पाने के कारण वेतन बकाया रह गया है जो आर्थिक वर्ष के अन्त तक दे दिया जायगा, ऐसी उम्मीद है।

श्री मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल---क्या सरकार को जानकारी है कि उन कर्मचारियों ने कई बार नोटीफाइड एरिया को नोटिस दिया कि अगर तनख्वाह उनको नहीं दी गयी तो वह काम बन्द कर देंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो स्वीकार ही किया जा रहा है कि तनख्वाह नहीं पहुंच सकी है और मार्च के महीने में पूरी तनख्वाह उनको दी जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलकुल सही-सही इन कर्मचारियों की कितने दिन से तनख्वाहें बाकी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सही-सही बता सकूंगा। २२ फरवरी, १९५८ को सफाई के जो कर्मचारी हैं उनकी ३ महीने की बाकी है और बाकी कर्मचारियों की ९ महीने की बाकी है। कुल ५,४६५ रुपया देना है।

*२५-२७---**श्री रूर्मासिंह** (जिला शाहजहांपुर)---[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले के पंचायत इंसपेक्टर

*२८---**श्री वासुदेव दीक्षित** (जिला फतेहपुर)---क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में कितने पंचायत इंसपेक्टर हैं और उनमें कितने पंचायत मंत्री से पदोन्नति करके हुये हैं तथा कितने पंचायत इंसपेक्टर स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला फतेहपुर में पांच पंचायत इंसपेक्टर हैं, जिनमें से एक पंचायत मंत्री से पदोन्नति करके नियुक्त किये गये हैं। इनमें १ स्थायी है तथा ४ अस्थायी।

श्री वासुदेव दीक्षित---क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि भविष्य में पंचायत मंत्रियों में से जिलों में और इंसपेक्टर नियुक्त किये जाने वाले हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी बात तो नहीं है कि पंचायत मंत्रियों में से इंसपेक्टर नियुक्त किये जाने वाले हैं। जितने स्थान रिक्त होते हैं और जितना कोटा पंचायत मंत्रियों में से होने को होता है वह हर वर्ष कर दिया जाता है।

श्री वासुदेव दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ४ इंसपेक्टर्स अस्थायी हैं उनका स्थायीकरण कब तक होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो पंचायत मंत्री से इंस्पेक्टर बनाये गये हैं वे स्थानापन्न हैं। वे स्थायी नहीं किये जा सकते, जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन से उनकी स्वीकृति न हो जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कोटा किस हिसाब से फिक्स किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अधिकतर तो सीधे चुनाव से ही पंचायत इंसपेक्टर्स लिये जाते हैं लेकिन अगर कुछ डिपार्टमटल कैंडीडेट्स ठीक होते हैं तो वे भी ले लिये जाते हैं।

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र पचपेड़वा, जिला गोंडा में जुर्माने की वसूली

*२९—श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की पंचायत अदालत सर्किल पचपेड़वा की अदालतों में सन् १९५० से अब तक कितना जुर्माना वसूल हुआ तथा कितना शेष है, और शेष जुर्माना कब तक वसूल होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पंचायत अदालत सर्किल पचपेड़वा से कदाचित् सदस्य महोदय का तात्पर्य पंचायत निरीक्षक क्षेत्र पचपेड़वा से है जिसकी २४ न्याय पंचायतों न सन् १९५० से अब तक कुल २३,६११ रुपये ५० नये पैसे जुर्माना किये। इस जुर्माने की रकम में से २०,१४४ रुपये ५० नये पैसे वसूल हो चुके हैं तथा ३,४६७ रुपये शेष हैं जिनकी वसूली वर्तमान आर्थिक वर्ष की समाप्ति तक हो जाने की सम्भावना है।

*३०—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[कृषि मन्त्री से सम्बन्धित छठे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सरकारी वकीलों का वेतन कार्य के अनुसार निर्धारण करने का सुझाव

*३१—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार सरकारी वकीलों की व सहायक वकीलों की मासिक पे उनके कार्य के अनुसार निर्धारित करने का विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

*३२-३३—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

चन्दौसी नगरपालिका में जल-कर की दर कम करने की प्रार्थना

*३४—श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिन नगरपालिकाओं ने सरकार से वाटर वर्क्स लगाने के लिये कर्जा लिया है उनमें वाटर टैक्स की दरें भी सरकार ही तय करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

*३५—श्री जगदीशनारायण—क्या सरकार जिला मुरादाबाद में चंदौसी नगरपालिका के लिये सरकार द्वारा जो जल-कर निर्धारित किया गया है उसको घटाने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—चूंकि जल-कर अभी हाल ही में लगाया गया है अतः अभी उसमें किसी प्रकार की कमी करने का विचार नहीं है।

श्री जगदीशनारायण—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिकतम या न्यूनतम दरों का सुझाव नगरपालिकाओं को सरकार ने ही दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार की तरफ से तो यह है कि कम से कम १० फीसदी और ज्यादा से ज्यादा १२ फीसदी कर लगाया जाय। उसी के अन्दर लगाया गया है।

श्री जगदीशनारायण—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चंदौसी नगरपालिका में जलकर की दरें नगरपालिका चन्दौसी ने ही तय की हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, चन्दौसी नगरपालिका ने तय नहीं कीं। जब सरकार ने उनको ऋण दिया था तो उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वे ऋण को अदा करेंगे और टैक्स १० और १२ फीसदी के बीच में लगायेंगे और अगर उनकी स्थिति अच्छी हुई तो टैक्स कम लगायेंगे। लेकिन उन्होंने ऋण नहीं दिया तो म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर जो सरकार को अधिकार है उसके अनुसार उसने जल-कर लगाया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी अपने इस विरोधाभास को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि जहां सरकार ने एक ओर यह उत्तर दिया है प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर में कि सरकार यह दरें नहीं तय करती है, वहां पूरक प्रश्न के उत्तर में यह उत्तर दिया कि सरकार ने म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर जो शक्ति है उसका प्रयोग करके ये दरें तय की हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो बहुत स्पष्ट है कि जब तक बोर्ड अपने आप करता है वहां तक ठीक है। हमको सिर्फ इंटेरेस्ट इतना है कि जो हम रुपये देते हैं उसका पेमेंट हो जाय। अगर उसका पेमेंट होने में दिक्कत होती है तब हमें दरें तय करनी होती हैं नहीं तो उनके हाथ की तो बात है ही।

चन्दौसी-सम्भल सड़क को बनाने की योजना

*३६—श्री जगदीशनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद में चन्दौसी-सम्भल सड़क जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बननी स्वीकार हो चुकी है, कब बननी शुरू होगी?

श्री गिरधारी लाल—१९५८-५९ में कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

श्री जगदीशनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क कब तक पूरी हो जायगी?

श्री गिरधारी लाल—जिस वर्ष का मैंने जिक्र किया है उसमें २०,००० रु० इस सड़क के लिये रखा गया है और इस सड़क की पूरी लागत करीब साढ़े ६ लाख रुपये है, तो मैं समझता हूं कि ३-४ साल में वह पूरी होगी।

*३७-३८—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९-४१—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के अन्तर्गत ड्रेनेज का निर्माण कार्य रुक जाना

*४२—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि कानपुर के डेवलपमेंट बोर्ड के समय से ड्रेनेज कंट्रैक्टर को पेमेंट न देने से वहां के ठेकेदारों ने ड्रेनेज नहर का काम जो नगर में लगाया था उसको १८ दिसम्बर से बन्द कर दिया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—१८ दिसम्बर, १९५७ को काम, ठेकेदारों और बोर्ड के बीच कुछ उसूली बातों पर मतभेद होने के कारण बन्द हुआ था। ये बातें बाद में तय हो गईं और काम २६ दिसम्बर, १९५७ से पुनः आरम्भ हो गया।

*४३—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

टाउन एरियाओं के चुनाव पर व्यय

*४४—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी जो सन् १९५७ ई० में टाउन एरियाओं के चुनाव हुये हैं उनमें उत्तर प्रदेश भर में सरकार को क्या व्यय करना पड़ा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्थानीय निकायों के १९५७ वाले चुनावों के संबंध में बिलों का भुगतान अभी हो रहा है इसलिये व्यय की धनराशि अभी निश्चित नहीं हुई है। इसके निश्चय होने पर और फिर तीन प्रकार की स्थानीय निकायों के बीच व्यय की बांट करने पर ही मालूम हो सकेगा कि टाउन एरियाओं के चुनाव में क्या व्यय हुआ ?

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बिलों का भुगतान किस तारीख तक हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—तारीख बताना संभव नहीं है लेकिन जैसे-जैसे आते रहेंगे उनका भुगतान जल्दी ही हो जायेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी बतलायेंगे कि एस्टीमेटेड एक्सपेंडीचर दोनों तरह के चुनावों का क्या था ?

श्री रामस्वरूप यादव—एस्टीमेटेड एक्सपेंडीचर बताने के लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

मिर्जापुर जिले में अदलहार-शेरवा रोड के निर्माण में विलम्ब

*४५—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर चुनार तहसील के अन्तर्गत अदलहार, भुइली, शेरवा रोड जिसके निर्माण के लिये १२ दिसम्बर, १९५७ को टेंडर मांगा गया था अभी तक भूमि लेने की आज्ञा क्यों नहीं प्रदान की गई ?

श्री गिरधारी लाल—कारण यह है कि भूमि लेने के संबंध में जो पत्रादि जिलाधीश, मिर्जापुर से प्राप्त हुये थे उनमें कुछ त्रुटियां थीं। यह कागज जिलाधीश को सुधार के लिये लौटा दिये गये हैं और उनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है।

*४६—श्री राजकुमार शर्मा—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त सड़क पर सन् १९५८ में कितना रुपया व्यय किया जायगा और वह कब तक बन कर पूरी हो जायगी ?

श्री गिरधारी लाल—इसका ठीक अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश के यहां जो कागजात लौटा दिये गये हैं वे कब तक आ जायेंगे और उनका स्पष्टीकरण आ गया है या नहीं ?

श्री गिरधारी लाल—स्पष्टीकरण अभी नहीं आया है। फरवरी के महीने में हमने उनके पास रिमाइन्डर भेजा है और खयाल है कि जल्द ही आ जायेगा।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इन कागजातों के सुधार की खींच तान में, जो रुपया व्यय होने को था, वह लैप्स हो गया ?

श्री गिरधारी लाल—अब भी अगर जवाब आ जाय तो इस वर्ष का कुछ समय बाकी है और कुछ पैसा खर्च किया जा सकता है, लेकिन अगर जवाब नहीं आया तब तो रुपया लैप्स हो ही जायेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को मालूम है कि यह जो सड़क निकलने वाली थी, जो प्लान बना हुआ था उसके विरोध में वहां के ग्रामीणों ने कोई विरोध-पत्र भी सरकार के पास भेजा है ?

श्री गिरधारी लाल—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

वाराणसी जिले में वलवा-पहड़िया सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*४७—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वलवा पहड़िया रोड वाया जालूपुर, जिला वाराणसी को पक्की करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या कृपया इसे योजना में सम्मिलित कर लेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं।
द्वितीय भाग—जी नहीं।

श्री लोकनाथ सिंह—क्या निर्माण मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि 'जी नहीं' का क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—'जी नहीं' का कारण यह है कि इस इलाके के अन्दर काफी सड़कें हैं और स्टार और ग्रिड फार्मूले के अनुसार वहां पर और सड़कें बनाने की गुंजायश नहीं है।

श्री लोकनाथ सिंह—क्या निर्माण मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि परगना जाथोपुर, जमानिया, सैदपुर . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप तो बहुत परगनों के नाम गिना रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप मंत्री जी के कमरे में ही जाकर पूछ लें।

बाराबंकी जिले में नवीन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी

*४८—श्री बजरंग बिहारी लाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला बाराबंकी के अन्तर्गत बाराबंकी-फैजाबाद रोड पर ग्राम अहमद-चौराहा से ग्राम परगना-सिद्धौर तक कोई सड़क बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं।
द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*४९—श्री बजरंग बिहारी लाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बाराबंकी जिले के अन्तर्गत परगना सिद्धौर, ग्राम सेमरावा में राड़ी नाला पर कोई पुल बनवाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं।
द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*५०—श्री बजरंग बिहारी लाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बाराबंकी में देवीगंज-चौराहा से जो सड़क सूबेहा थाना को राड़ी नाला पार करके गई है उसमें ग्राम घटमापुर में राड़ी पर पुल बनाने का विचार है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

*५१--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--[मुख्य मंत्री से संबंधित ग्यारहवें मुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सफदरगंज-रामनगर सड़क को निर्माणार्थ बाराबंकी जिला बोर्ड से लेने का सुझाव

*५२--श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बाराबंकी जिले में सफदरगंज से रामनगर तक आने वाली सड़क को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से हस्तांतरित करके निर्माण कराने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं।

वन विभाग के कन्जरवेटर

*५३--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वन विभाग में कुल कितने कंजरवेटर हैं और उनके आफिसेज किस-किस जगह पर स्थित हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६७२ पर)

एटा में कुछ सड़कों पर खुले आम मांस की बिक्री के विरुद्ध शिकायत

*५४--श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या एटा के जिलाधीश से मिलकर कुछ दिन पहले अगस्त-सितम्बर में एटा के वकीलों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा शहर की प्रमुख सड़कें--ठंडी सड़क और ग्रांड ट्रंक रोड पर खुलेआम मांस बिक्री के कारण उक्त सड़क से गुजरने वाले नागरिकों तथा समूचे एटा शहर के निवासियों की तकलीफों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया था ? यदि हां, तो क्या स्व-शासन मंत्री एटा निवासियों की दिक्कत दूर करने के निमित्त किये गये प्रयत्नों का विवरण सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह सत्य है कि इस विषय पर कुछ सज्जनों द्वारा जिलाधीश एटा का ध्यान आकृष्ट किया गया था किन्तु आवश्यक जांच के उपरांत यह असत्य सिद्ध हुआ है कि ठंडी सड़क व ग्रांड ट्रंक रोड पर खुले आम मांस की बिक्री होती है। यह अवश्य सही है कि ग्रांड ट्रंक रोड के उत्तर और ठंडी सड़क के बीच वाले मोहल्ले के एक भाग में कुछ व्यक्ति मांस बेचने का काम करते हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, एटा ने विगत ११ दिसम्बर, १९५७ को इनका चालान कर दिया है तथा चार व्यक्तियों पर धारा १३३, जाब्ता फौजदारी के मुकदमे चल रहे हैं।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां मांस बिकने के कारण गीध और चील मकानों को खराब करते रहते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--वहां कुछ गन्दगी अवश्य है जिसके कारण उनका चालान किया गया है।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि गीध और चील बहुत संख्या में पेड़ों पर वहां बैठे रहते हैं और सड़क पर आने जाने वालों के सिर पर बीट कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य को यह बात अधिक मालूम होगी।

मोहम्मदी, जिला खीरी में प्रथम श्रेणी की बेंच स्थापित करने की मांग

*५५---श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)---क्या सरकार मोहम्मदी, जिला खीरी में प्रथम श्रेणी की बेंच स्थापित करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं।

श्री मन्नालाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इसका कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर---न तो वहां पर काफी काम है और न इसकी कोई आवश्यकता ही मालूम होती है, इस वजह से कि अगर वहां पर अदालत कायम होगी तो वहां पहुंचने में कठिनाई होगी बजाय लखीमपुर पहुंचने के।

श्री मन्नालाल---क्या सरकार को मालूम है कि मोहम्मदी के क्षेत्र में बहुत से जरायम के केसेज होते हैं वहां से लखीमपुर ५०,६० मील जाना पड़ता है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार वहां पर अदालत कायम करने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---बात यह है कि वहां सन् ५७ में भी कुल २४ मुकदमे साल भर में थे। तो २४ के लिये अदालत कायम करना मुनासिब नहीं मालूम होता है।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से व्यक्तियों को, ४०,५० मील रोजाना आने जाने के कारण, न्याय प्राप्त करने में कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

फतेहपुर जिले में सस्ते गल्ले की दूकानों की मांग

*५६---श्री वासुदेव दीक्षित---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले के जी० टी० रोड के उत्तरी भाग में जो असिंचित है और अन्न अभाव का क्षेत्र है उसमें सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जिला फतेहपुर में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था परन्तु अब नई फसल के आने के कारण इस समय दूकान खोलने का कोई विचार नहीं है।

*५७---श्री वासुदेव दीक्षित---यदि कोई व्यवस्था की गई है, तो किन-किन स्थानों में की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रश्न नहीं उठता।

श्री वासुदेव दीक्षित---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सस्ते गल्ले की दूकान खोलने का प्रश्न कितने दिनों तक विचाराधीन रहा और क्या कारण है कि दूकान नहीं खुल सकी ?

श्री सैयद अली जहीर---कारण तो इसमें लिख दिया गया है कि अनाज का निर्ख गिर रहा है इसलिये नई दूकानें खोलने की आवश्यकता नहीं मालूम होती है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---प्रश्न यह था कि अभी तक दूकान क्यों नहीं खोली गईं तो कितने दिनों से खोले जाने का विचार था और क्यों नहीं खोली गईं ?

श्री सैयद अली जहीर---उन पूर्वी जिलों में फतेहपुर शुमार नहीं किया जाता जहां पर अन्न संकट है। यही समझा गया कि बगैर दूकान खोले काम चल जायगा। जैसे बहुत से जिलों में नहीं खोली गई ऐसे ही वहां पर भी नहीं खोली गई।

श्री शिवराज बली सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ग्रांड ट्रंक रोड के उत्तर के इलाके में फसल चौपट हो गई थी और फिर ५७ में बरसात सितम्बर में खत्म हो गई थी जिसके कारण वहां पर फसल बिलकुल नष्ट है ; इस कारण को देखते हुये सरकार वहां पर दूकान खोलने पर विचार करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। इस वक्त तो हम यह विचार कर रहे हैं कि कहां-कहां दूकानें बन्द करें। कोई नयी दूकान खोलने की बात पर विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतलायेगी कि सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की पालिसी का आधार पूर्व और पश्चिमी जिलों के सिद्धांत पर है या जहां अन्न संकट हो वहां यह दूकानें खुलती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इसमें पूर्व और पश्चिम की बात नहीं है। जहां कमी और जरूरत होती है वहां दूकानें खोली जाती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर के जिस क्षेत्र में यह दूकान खोलने का प्रश्न है वहां औसत में गल्ले का भाव कितना गिर गया ?

श्री सैयद अली जहीर—खास वहां का हाल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सारे प्रांत में दाम घट रहे हैं।

एटा-अमांपर सड़क पर काली नदी के पुल की निर्माण योजना

*५८—श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एटा जिला में एटा से अमांपर वाली सड़क पर काली नदी का पुल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस पर कब से कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं, किन्तु इसका निर्माण Central Road Fund Scheme (Ordinary reserve) में सम्मिलित है और केंद्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा के प्लानिंग बजट में इस पुल का हवाला दिया गया है ?

श्री गिरधारी लाल—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

सिकन्दराराऊ-पुरदिलनगर तथा कचौरा-अगसौली सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेना

*५९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह सिकन्दराराऊ-पुरदिलनगर तथा कचौरा-अगसौली (अलीगढ़) सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में कब तक लेने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में ही इन सड़कों को पुनर्निर्माण के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने का विचार है।

*६०—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार जलेसर (एटा)-सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) सड़क को पक्का करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उन्होंने गत सेशन में कोई ऐसा आश्वासन दिया था कि हम जलेसर और सिकन्दराराऊ रोड के लिये विचार करेंगे कि वह पक्की कर दी जाय ?

श्री गिरधारी लाल—मुझे याद नहीं इस वक्त, लेकिन विचार करने का यह मतलब नहीं कि इस बात का वायदा किया था कि हम उस सड़क को बना देंगे।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क के निर्माण का विचार करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—अगली योजना जो होगी उसमें विचार किया जा सकता है।

*६१—श्री रामायणराय—[सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

*६२—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में बघौचघाट पुल का निर्माण कार्य पूरा न हो सकना

*६३—श्री रामायण राय—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे बघौचघाट पुल देवरिया का निर्माण शीघ्र पूरा कराने का आदेश देने का विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—बघौचघाट पुल का निर्माण सार्वजनिक चन्दे तथा सरकारी सहायता से हो रहा था। निश्चित सार्वजनिक चन्दा पूरा नहीं उगाहा जा सका है तथा कार्य की अनुमानित लागत भी बढ़ गई है। सरकार अब शेष धन की व्यवस्था का विचार कर रही है। धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा।

श्री रामायण राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बघौचघाट पुल के निर्माण के लिये पूर्व अनुमान कितनी धनराशि का था और इस इस समय कितनी धनराशि से पुल तैयार हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—पुल का जो डिटेल्ड एस्टीमेट है वह २ लाख १४ हजार रुपये का है।

श्री अध्यक्ष—वह पूछ रहे हैं कि पहले एस्टीमेट क्या था और अब क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—रफ एस्टीमेट तो नहीं बतला सकता, लेकिन जो डिटेल्ड एस्टीमेट था वह मैंने बतला दिया।

श्री रामायण राय—मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद अब तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो सका ?

श्री गिरधारी लाल—इस के लिये तो जैसा उत्तर में कहा गया कि धन की जरूरत है। आश्वासन मैंने यह दिया होगा कि हम कोशिश करेंगे। जवाब में भी यही कहा गया कि इस के लिये धन का प्रबन्ध किया जा रहा है। तो जैसे ही उसका प्रबन्ध हो जायगा वहां का काम चालू हो जायगा।

बांदा जिले में सड़कों का निर्माण

*६४—श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व कितने मील कच्ची और कितने मील पक्की सड़कें थी तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन और कितनी सड़कें बनीं ?

श्री गिरधारी लाल—एक विवरण सदस्य महोदया की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६७३ पर)

श्रीमती सियादुलारी—क्या कोई सड़क पहली योजना में न पूरी होकर दूसरी में पूरी की गई है ?

श्री गिरधारी लाल—ये लगभग सभी सड़कें पहली योजना में पूरी हो गई थीं, केवल इलाहाबाद-बांदा रोड में थोड़ा सा काम रह गया था जो, मेरा ख्याल है, सन् १९५६ में पूरा किया गया था।

मछली शहर-वाराणसी सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*६५—डाक्टर तारादेवी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में मछली शहर से मड़ियाहूं होकर वाराणसी जाने वाली कच्ची सड़क को कबतक पक्की बनाने का विचार है ?

श्री गिरधारी लाल—इसे पक्की बनाने का विचार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है।

श्रीमती सियादुलारी—क्या सरकार इस सड़क को तृतीय योजना में लेने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—विचार किया जा सकता है।

*६६-६७—श्री अमरनाथ—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

कुमायूं डिवीजन में वनों को सुरक्षित रखने के लिए सेटिलमेंट

*६८—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं डिवीजन में पहली दिसम्बर, सन् १९५७ से किस-किस स्थान में सिविल वन, रिजर्व वनों में सम्मिलित किये गये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—दिनांक १ दिसम्बर, १९५७ से कोई सिविल वन, कुमायूं वृत्त के रिजर्व बनों में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खुशीराम—क्या सिविल जंगल और दर्जा १ के रिजर्व जंगल को दर्जा २ में लेने की तजवीज हो रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—किन कारणों से जनता को उसके अधिकारों से वंचित रखकर रिजर्व जंगल सरकारी जंगल बनाये जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जनता के अधिकारों का कोई प्रश्न नहीं है। बल्कि उनको सुरक्षित रखने के लिये सेटिलमेंट की कार्यवाही हो रही है।

रीजनल मार्केटिंग आफिसर, लखनऊ के विरुद्ध मेरठ कार्यालय के गबन के संबंध में वैभागिक कार्यवाही

*६९—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला, गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि १९४९-५० में रीजनल मार्केटिंग आफिसर, मेरठ के विरुद्ध लगभग १ लाख रुपये का गबन पाया गया था जिसके कारण उस मार्केटिंग आफिसर का मेरठ से लखनऊ तबादला कर दिया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर--अप्रैल, १९४८ से लेकर अगस्त, १९५१ के बीच में रीजनल मार्केटिंग आफिसर मेरठ के कार्यालय में लगभग १ लाख रुपये का गबन पाया गया परन्तु यह सही नहीं है कि वह गबन रीजनल मार्केटिंग आफिसर के विरुद्ध पाया गया। यह सही नहीं है कि उक्त गबन के कारण रीजनल मार्केटिंग आफिसर का तबादला लखनऊ कर दिया गया था।

*७०--श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि उस रीजनल मार्केटिंग आफिसर के विरुद्ध अधिकारियों ने कोई भी कार्यवाही नहीं की और उसने लखनऊ में उसी पद पर ही कार्य भार संभाला ?

श्री सैयद अली जहीर--इस सम्बन्ध में सर्वश्री विक्रम सिंह और विश्वेश्वरी नन्दन के ऊपर जो उक्त कार्यालय में एकाउंटेंट थे और जो इस गबन के लिये प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी थे सेशन अदालत में मुकदमा चल रहा है। रीजनल मार्केटिंग आफिसर के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

यह सही है कि वह ६ अक्तूबर, १९५१ से रीजनल मार्केटिंग आफिसर, लखनऊ के पद पर कार्य कर रहे हैं।

*७१--श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)--क्या यह भी सही है कि उक्त रीजनल मार्केटिंग आफिसर ५ वर्ष के ऊपर से लखनऊ में ही है और उसका कहीं और तबादला नहीं हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह सही है कि उक्त रीजनल मार्केटिंग आफिसर ५ वर्ष से अधिक समय से लखनऊ में ही हैं परन्तु उनका तबादला हाल ही में गोरखपुर कर दिया गया है और संभव है कि अप्रैल तक वहां चले जायेंगे।

बाराबंकी जिले की टाउन एरिया, देवा से गुजरने वाले वाहनों पर कर

*७२--श्री भगवती प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में टाउन एरिया, देवा, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई हुई सड़क जो बाराबंकी से फतेहपुर जाती है उस पर जाने वाली सवारियों से भी कर लेती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं। टाउन एरिया, देवा उक्त सड़क पर जाने वाले उन वाहनों से कर लेती है जो टाउन एरिया की सीमा से गुजरते हैं परन्तु उन वाहनों पर जाने वाली सवारियों से कोई कर नहीं लिया जाता।

सिधौली, जिला सीतापुर में पी० डब्ल्यू० डी० की जगह पर दूकानें

*७३--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिधौली, जिला सीतापुर में पी० डब्ल्यू० डी० की जगह पर कितनी दूकानें हैं ?

श्री गिरधारी लाल--७८ अनधिकृत दूकानें पी० डब्ल्यू० डी० की जगह पर हैं।

*७४--श्री गनेशी लाल चौधरी--इन दूकानों से सरकार को क्या आमदनी होती है ?

श्री गिरधारी लाल--कुछ नहीं।

श्री गनेशी लाल चौधरी--क्या मंत्री जी बतावेंगे कि ये दूकानें कितने समय से पी० डब्ल्यू० डी० की जगह पर चल रही हैं ?

श्री गिरधारी लाल--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि पी० डब्ल्यू० डी० की जमीन पर इन दूकानों के होने से ट्रैफिक में बाधा पड़ती है ?

श्री गिरधारी लाल--जरूर पड़ती है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि इन दूकानों से वसूल किया गया रुपया सरकारी खजाने में नहीं जाता है ?

श्री गिरधारी लाल--मुझे पता नहीं है। बहुत सी जगहों की रिपोर्ट मेरे पास आई कि सरकारी खजाने में नहीं लेकिन लोकल बाडीज के खजाने में जरूर चला जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार उस ट्रैफिक की बाधा को दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री गिरधारी लाल--ऐसे एनक्रोचमैन्ट्स को हटाने का प्रयत्न हो रहा है।

मैनपुरी जिला बोर्ड से संबधित आडिट रिपोर्ट तथा सड़कों के लिए अनुदान

*७५--श्री मलिखान सिंह--क्या सरकार का ध्यान जिला बोर्ड, मैनपुरी के १९५५-५६ व १९५६-५७ के आडिट में आडिटर महोदय की आपत्तियों की ओर गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिला बोर्ड, मैनपुरी का वर्ष १९५५-५६ का आडिट ऐण्ड इन्सपेक्शन नोट शासन को प्राप्त हो गया है और उस पर नियमानुकूल कार्यवाही हो रही है। सन् १९५६-५७ का आडिट ऐण्ड इन्सपेक्शन नोट अभी नहीं प्राप्त हुआ है।

*७६--श्री मलिखान सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड, मैनपुरी को सड़कों के निर्माण हेतु सन् १९५५-५६, १९५६-५७ व १९५७-५८ में कितना अनुदान दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिला बोर्ड, मैनपुरी को निम्नलिखित अनुदान सड़कों की मरम्मत, रख-रखाव आदि के लिये दिये गये--

वर्ष		अनुदान की राशि	उद्देश्य
		रुपये	
१९५५-५६	..	१९,४००	कतिपय कच्ची सड़कों के रख-रखाव के लिये।
१९५५-५६	..	३०,०००	बाढ़ तथा वर्षा से क्षतिग्रस्त बोर्ड की सड़कों, भवनों तथा अन्य अचल सम्पत्ति की मरम्मत के लिये।
१९५६-५७	..	१९,४००	कच्ची सड़कों के रख-रखाव के लिये।
१९५७-५८	..	१,६०,५००	बाढ़ तथा वर्षा से क्षतिग्रस्त बोर्ड की सड़कों, भवनों तथा अन्य अचल सम्पत्ति की मरम्मत के लिये।

*७७--श्री मलिखान सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड, मैनपुरी ने १९५६-५७ के अनुदानों में किस सड़क पर कितना रुपया अलग-अलग व्यय किया ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मलिखान सिंह--पूरा उत्तर कब तक सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस सूचना के आने में सम्भवतः २ महीने लग जावेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार लोकल फंड एकाउन्ट्स की आडिट रिपोर्टों के लिये सदन में विचार के लिये कोई दिन निश्चित करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह विचार सदन में नहीं हो सकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मैनपुरी की आडिट रिपोर्ट में कोई गबन की भी रिपोर्ट आई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--५५-५६ की रिपोर्ट मेरे पास है। इसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं पाई है। बहुत से टेक्निकल एतराजात हैं जो देखे जा रहे हैं।

बाराबंकी जिले में गोमती पर बनने वाले पुल पर व्यय

*७८--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी में गोमती पर जो पुल बन रहा है वह कितनी लागत का है और कितने दिन में तैयार हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--इस पुल के निर्माण की लागत ७.४१ लाख रुपये है। आशा की जाती है कि यह पुल जून, १९५८ तक बनकर तैयार हो जायेगा।

बाराबंकी जिले के सिद्धौर परगने में सरकारी भट्ठे में गबन

*७९--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने कृपा करेगी कि क्या बाराबंकी जिले के अन्तर्गत तहसील हैदरगंज, परगना सिद्धौर में जो सरकारी भट्ठा चल रहा है उसमें ३८,००० रुपये का गबन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम--यह सरकारी भट्ठा अब बन्द है। भट्ठे की ईंटों का पूरा हिसाब नहीं मिल पा रहा है और गबन का सन्देह है। इस सम्बन्ध में जांच हो रही है।

हाईकोर्ट तथा मातहत अदालतों में निर्णय हिन्दी में लिखने का अनुरोध

*८०--**श्री प्रताप सिंह**--क्या सरकार को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के साथ-साथ मातहत अदालतें भी हिन्दी के बजाय अन्य भाषा में अपने निर्णय देती हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां।

*८१--**श्री प्रताप सिंह**--क्या सरकार भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि जिससे फैसले राष्ट्र भाषा में लिखे जा सकें ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस समय इस बात की व्यवस्था करने में कई कठिनाइयां हैं। अंग्रेजी अभी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भाषा है जिनके निर्देश (rulings) सब मातहत अदालतों पर बाध्य हैं। अधिकतर प्रादेशिक और केन्द्रीय अधिनियम अंग्रेजी में हैं जिनका अधिकृत (authorized) हिन्दी अनुवाद उपलब्ध नहीं है। कानूनी रिपोर्ट (Law Reports)

भी अधिकतर अंग्रेजी में छपती हैं और अभी तक कोई अधिकृत विधि शब्दावली भी हिन्दी में नहीं है। इन सब कारणों से अभी फैसले केवल हिन्दी में लिखना संभव नहीं है। हिन्दी के विस्तृत प्रयोग का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है, वह हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के विषय में पूर्णरूप से सचेत और प्रयत्नशील है।

श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि हाई कोर्ट के मातहत अदालतों का सम्बन्ध ऐसे व्यक्तियों से रहता है जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं? इसलिये क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करेगी कि हाई कोर्ट के मातहत अदालतों में हिन्दी में फैसले लिखे जावें?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जब सम्भव होगा अवश्य करने की कोशिश की जावेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कोई ऐसा आदेश यू० पी० हाई कोर्ट के परामर्श से देने की कृपा करेगी कि ऐसे सभी फैसलों में, जिनकी अपील कानून के मातहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती हैं, या रिट नहीं हो सकते हैं, उनके जजमेन्ट हिन्दी में ही लिखे जावें?

श्री सैयद अली जहीर—इस मामले में बराबर यह कोशिश रही है कि जितनी भी जल्दी हो सके किया जाय लेकिन इसमें हाई कोर्ट को भी दिक्कत है और दूसरी अदालतों को भी दिक्कत है जिसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतायेंगे कि जो फैसले हिन्दी में लिखे गये हैं, उनमें वह कठिनाइयां आयीं जिनका माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जिक्र किया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिन कठिनाइयों का जिक्र किया गया वे तो हर रोज देखने में आती हैं और जो फैसले मातहत अदालतों के हुए उनमें भी वे कठिनाइयां अवश्य आयी होंगी।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बावजूद उन कठिनाइयों के, जिनका माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया, बहुत से स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स अब से पिछले २० वर्षों से ही हिन्दी भाषा में तजवीज लिखा करते थे?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, ऐसा तो है। फिर भी, ये कठिनाइयां तो हैं ही और सामूहिक रूप से ऐसा किया जा सके, उसमें कठिनाइयां हैं।

*८२–८४—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*८५–८७—**श्री सजीवनलाल**—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण नवें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या १३५–१३७ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

*८८–८९—**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—[वित्त मंत्री से सम्बन्धित नवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १०७–१०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*९०—**श्री केशभान राय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—[सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, गोरखपुर, के निवास स्थान पर व्यय

*९१—**श्री केशभान राय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर, के कलेक्टरी कचेहरी स्थित कार्य भवन में डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी विभाग का निवास स्थान है और उनके वहां आने के बाद बैंक से उनकी सुविधा के लिये भवन निर्माण और जल व्यवस्था पर कितना रुपया खर्च किया गया है?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, उक्त बैंक के भवन में डिप्टी रजिस्ट्रार का निवास स्थान भी है। बैंक ने भवन में कुछ आवश्यक परिवर्तन किया जिस पर ८,३०० रुपया खर्च हुआ परन्तु यह सही नहीं है कि यह खर्च केवल डिप्टी रजिस्ट्रार की सुविधाहेतु किया गया।

गढ़वाल जिले की पीपलकोटि-जोशीमठ सड़क के निर्माण पर अनुमानित व्यय तथा कीर्तिनगर पुल पर टोल टैक्स लगाने का विरोध

*९२—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीपलकोटि-जोशीमठ, जिला गढ़वाल, की सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायेगी और इसके निर्माण पर कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल—आगामी जुलाई तक बन जाने की आशा की जाती है।

इसके निर्माण पर अनुमानतः ३७,३९,००० रु० का व्यय होगा।

*९३—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कीर्तिनगर, जिला गढ़वाल, में अलखनन्दा पर जो झूले का नया पुल बना है उस पर उतराई वसूल की जाती है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार इस तरह के आदेश देने की कृपा करेगी कि यह मई मास तक बन जाय ताकि यात्रा करने वाले यात्रियों को इस वर्ष यात्रा में सुविधा प्राप्त हो जाय ?

श्री गिरधारीलाल—सरकार के आदेश तो इस प्रकार के हैं ही लेकिन जैसा कि प्रश्नकर्ता को मालूम है रास्ते में एक पुल का निर्माण हो रहा है। इस पुल को रुड़की में फैब्रीकेट किया जा रहा है। जिस वक्त वह तैयार हो जायगा, लगा दिया जायगा और ऐसी उम्मीद की जाती है कि जुलाई माह तक वह तैयार हो जायगा और ट्रैफिक खोल दिया जायगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कीर्तिनगर के पुल पर टोल टैक्स क्यों वसूल किया जाता है, जब कि अलखनंदा के दूसरे पुलों पर कुछ नहीं लिया जाता ?

श्री गिरधारीलाल—कीर्तिनगर का पुल अभी बना है और इस वक्त सरकार की यह पालिसी है कि जितने भी पुल बनेंगे और ढाई लाख से ज्यादा कीमत के होंगे, उन पर, पैदल और साइकिल वालों को छोड़कर, टोल टैक्स वसूल किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अलखनंदा के जो दूसरे पुल हैं उनके लिये जनता की यह मांग आयी है कि बैलगाड़ियों पर से भी टैक्स वसूल न किया जाय, तो क्या सरकार बैलगाड़ियों के टैक्स को वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—सरकार ने तो इस सम्बन्ध में अपनी नीति बता दी।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जगबूड़ा पुल पर साइकिलों पर भी टैक्स लिया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—इसकी इत्तला नहीं है। यह फैसला अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। अगर ऐसा है तो आगे नहीं लिया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—यह सड़क डामर की बनेगी या सीमेंट की ?

श्री गिरधारीलाल--सीमेंटेड होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह सड़क रुड़की से से लेकर जोशीमठ तक है। इतने बीच के लिये डामर उपलब्ध कराना बहुत ही कठिन होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--पीपलकोटि-जोशीमठ रोड जो बद्रीनाथ को जाती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट उसे नेशनल हाईवे डिक्लेअर करने की चेष्टा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--स्टेट गवर्नमेंट जरूर इस बात को पसन्द करेगी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इसे नेशनल हाईवे डिक्लेअर कर दे, लेकिन यू० पी० गवर्नमेंट इसको डिक्लेअर नहीं कर सकती है। इस बारे में उनसे बातचीत भी हुई पर उन्होंने मंजूर नहीं किया।

बाबरपुर-तिर्वा-कन्नौज सड़क को सीमेंटेड करने की मांग

*९४--**श्री भजनलाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाबरपुर, जिला इटावा, से जो सड़क फफूंद होकर तिर्वा-कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद, को जाती है उसकी सीमेंटेड या डामर की करने जा रही है ? यदि हां, तो वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--प्रश्न ही नहीं उठता।

*९५--**श्री भजनलाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में औरैया से फफूंद रेलवे स्टेशन तक सड़क सीमेंट अथवा डामर की बनाने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग--प्रश्न हीं नहीं उठता।

*९६--**श्री भजनलाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क के बनवाने में कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल--इस सड़क को डामर की बनाने में लगभग ३,३०,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है।

श्री भजनलाल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इटावा जिले में बाबरपुर से जो सड़क फफूंद होकर तिर्वा-कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद, को जाती है और जो दो जिलों में सम्पर्क स्थापित करने में एक प्रमुख स्थान रखती है, उसे डामर रोड क्यों नहीं बनाया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल--वह तो धन की कमी है, इसलिये हम उसको नहीं कर पाते हैं।

श्री भजनलाल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिला इटावा में औरैया कस्बा जिला कानपुर, जालौन, मैनपुरी और फ़र्रुखाबाद के बीच केन्द्रवत् स्थान है और वहां बहुत बड़े गल्ले की मंडी है, जहां से लाखों मन गल्ला बाहर को जाता है और जब कि रेलवे स्टेशन वहां से १० मील दूर है....

श्री अध्यक्ष--आप तो लेक्चर दे रहे हैं।

श्री भजनलाल--औरैया कस्बा रेलवे स्टेशन से १० मील दूर है, जहां से लाखों मन गल्ला बाहर को भेजा जाता है, तो ऐसी अवस्था में सरकार उसे डामर रोड बनवाने का विचार क्यों नहीं कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--अभी धन की कमी है, इसलिये नहीं कर रही है ।

कुमायूं फारेस्ट कमेटी

*९७--श्री सूरतचन्द रमोला (अनुपस्थित)--क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं फारेस्ट कमेटी में टेहरी-गढ़वाल का कोई व्यक्ति क्यों नहीं रखा गया ?

श्री सैयद अली जहीर--कुमायूं फारेस्ट कमेटी में टेहरी-गढ़वाल जिले से एक सदस्य को नियुक्त किया गया ।

हरदोई डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन को सुपरसीड करना

*९८--श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन को सुपरसीड करने का कारण क्या था ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--हरदोई डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन को निम्नलिखित कारणों से सुपरसीड किया गया।

१--संचालक मंडल द्वारा कुप्रबन्ध ।
२--हिसाब सम्बन्धी गड़बड़ियां ।
३--संस्था के हितों को धक्का पहुंचने का डर ।

श्री बुलाकीराम--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन को रिवाइव करने का उसका इरादा है ? यदि हां, तो इसके आदेश कब तक जारी होंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह साफ हमारी नीति है कि किसी कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन को हम सरकारी प्रबन्ध में नहीं रखना चाहते हैं । इसका भी झगड़ा चल रहा है, कागजात कोर्ट में हैं और जल्द से जल्द हम इसे किसी गैर-सरकारी आदमी के हाथ में देने की कोशिश करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या सहकारिता मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरदोई डी० सी० एफ० को सरकार ने कब सुपरसीड किया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--†१५ मई, १९५१ को यह सुपरसीड हुआ था ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन कारणों से उन्होंने हरदोई के डी० सी० एफ० को सुपरसीड किया था तो उसके किसी अधिकारी या पदाधिकारी को कोई दंड भी दिया है या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की है या नहीं की है ?

श्री मोहनलाल गौतम--उसका एक लम्बा झगड़ा चला, मुकदमा चला, हाईकोर्ट तक अपील हुई, बहुत लम्बा किस्सा है ।

मुजफ्फरनगर जिले में साफ्ट कोक की एजेन्सी हरिजन को न मिलना

*९९--श्री बाबाम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साफ्ट कोक की कितनी एजेन्सियां हैं और उनमें से कितनी हरिजनों के पास हैं ?

---

†१२ मार्च, १९५८ को सहकारिता मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार शोधित ।
नोट--तारांकित प्रश्न ९८ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री सैयद अली जहीर—कुल ६५० कोल डिपो हैं। यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि हरिजनों के पास कितने कोल डिपो हैं ?

*१००—श्री बादाम सिंह—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में एक ही एजेन्सी हरिजनों के पास थी और उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् वह किसी हरिजन को न देकर किसी 'नान हरिजन' को दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—मुजफ्फरनगर में एक कोल डिपो एक हरिजन के पास कान्डला में था। जुलाई, १९५७ में इनकी मृत्यु के पश्चात् एक कोल डिपो का स्थान रिक्त हुआ। जिलाधीश ने इस स्थान पर एक श्री रमेशकुमार को चुना है जो हरिजन नहीं है। डिपो होल्डर के स्थान के रिक्त होने पर जिलाधीश जिसको उपयुक्त समझे चुन सकता है और ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि रिक्त स्थान पर किसी विशेष वर्ग के ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाय।

*१०१—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०२-१०४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[हटा दिये गये।]

झांसी में अतिरिक्त मुन्सिफ की नियुक्ति

*१०५—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरे तारांकित प्रश्न नं० १८, दिनांक १० दिसम्बर १९५७, के उत्तर में जो स्थिति बताई गई थी उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री सैयद अली जहीर—झांसी में दीवानी के अनिर्णीत मुकदमों की बड़ी संख्या को देखते हुये वहां एक अतिरिक्त मुंसिफ की नियुक्ति कर दी गयी है और इनकी अदालत १९ अगस्त, १९५७ से काम कर रही है। फलस्वरूप एक वर्ष या अधिक से विचाराधीन मुकदमों की संख्या १४२९ से घट कर दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक ९२५ रह गयी और ६ महीने हो जाने पर भी कोई तारीख न पड़ सकने वाले मुकदमों की संख्या ६९३ से घट कर ८२ रह गयी।

बस्ती जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें

*१०६—श्री रणबहादुर सिंह—क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला बस्ती में २१ जनवरी, १९५८ को १९९ सस्ते गले की दूकानें चल रही थीं।

राज्य में अन्न के आयात पर प्रतिबंध

*१०७—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश की सीमा से लगे हुये दूसरे प्रदेशों से अन्न लाने पर रोक लगा दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। यह रोक भारत सरकार द्वारा साधारणतया समस्त देश की आन्तरिक खाद्य स्थिति पर विशेषकर गेहूं तथा चावल को देखकर, लगाई गई है इनका आयात विदेशों से करना पड़ता है।

दोआबा हिण्डन व जमुना, जिला बुलन्द शहर में पेय जल का कष्ट

*१०८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि दोआबा हिन्डन व जमुना, जिला बुलन्दशहर, में जनता को शुद्ध पानी देने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं ।

*१०९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस पेय जल की योजना में सरकार का कितना धन व्यय होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

मऊ नगरपालिका के आय-व्यय की जांच

*११०—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ नगरपालिका के १९५६–५७ के आय-व्यय की जांच सरकारी आडिटर द्वारा हुई है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, जांच जनवरी, १९५८ के अन्त में हुई है और अभी आडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । अतः यह बतलाना संभव नहीं है कि उसमें क्या है ।

*१११—श्री गंगा प्रसाद सिंह—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*११२—श्री लक्ष्मणराव कदम—[सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया है ।]

फतिहाबाद-फीरोजाबाद सड़क को सरकारी प्रबन्ध में लेने की प्रार्थना

*११३—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—क्या सरकार आगरा जिले की फतिहाबाद-फीरोजाबाद सड़क के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं ।

आजमगढ़ जिले में भट्ठों से आय

*११४—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में जिला कोआपरेटिव फेडरेशन (डी० सी० एफ०) और सरकारी संघ के कितने भट्ठे १९५४–५५, १९५५–५६, १९५६–५७ में चलाये गये और उन भट्ठों से प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी आमदनी हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—उक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष १९५४–५५, १९५५–५६, व १९५६–५७ में क्रमशः ५१, ५१ व ६० भट्ठे चलाये गये और इन वर्षों में क्रमशः १,८०,०४३, १,४७,००५ रु० व १,८९,९७३ रु० की आमदनी हुई ।

*११५—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिले में सहकारी संघ एवं डी० सी० एफ० के जिन भट्ठों से ईंटें नियोजन, सिंचाई आदि विभागों को परमिट द्वारा दी गई हैं उनका १९५५–५६ व १९५६–५७ के बिलों का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—उक्त जिलों का आंशिक भुगतान हो चुका है और शेष धन की वसूली के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

मैनपुरी जिले में पंचायती अदालतों के सरपंचों के विरुद्ध कथित पेटीशन्स

*११६—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में हर हाकिम परगना के यहां पंचायती अदालतों के सरपंचों के खिलाफ कितने-कितने पेटीशन विचाराधीन हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला मैनपुरी में इस समय किसी भी हाकिम परगना की अदालत में न्याय पंचायत (पंचायती अदालत) के किसी सरपंच के विरुद्ध कोई पेटीशन विचाराधीन नहीं है ।

खीरी जिले से हटाये गये पंचायत राज सेक्रेटरी

*११७—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५५ तथा १९५६ में जिला खीरी में कितने तथा कौन-कौन पंचायत राज सेक्रेटरी 'डी' सूची से सम्बन्धित होने के कारण हटाये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सन् १९५५ में तो कोई नहीं, । सन् १९५६ में निम्नलिखित २१ पंचायत सेक्रेटरी हटाये गये—

१— श्री राम बिलास
२— ,, जगदेव प्रसाद
३— ,, रामसिंह
४— ,, छेदीलाल
५— ,, रामकुमार अवस्थी
६— ,, हरीराम
७— ,, राजकुमार
८— ,, गोवर्धनलाल
९— ,, खेमराज सिंह
१०— ,, केदारनाथ
११— ,, रामचन्द्र
१२— ,, प्रमेश्वर दयाल
१३— ,, चक्रपाणि
१४— ,, बिन्दा प्रसाद
१५— ,, छेदालाल
१६— ,, मूलचन्द
१७— ,, श्रीकान्त
१८— ,, पुत्तूलाल
१९— ,, लालता प्रसाद
२०— ,, उमराव लाल
२१— ,, बनवारी लाल

धर्मपुर-बरहज घाट के किराये की वसूली की जांच

*११८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मन्त्री धर्मपुर-बरहज घाट के किराये की वसूली की शिकायत के सम्बन्ध में २७–८–५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश देवरिया ने स्वयं शिकायत की जांच की अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा करवाई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उक्त शिकायत की जांच तहसीलदार सलेमपुर द्वारा कराई गई थी।

*११९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच करने वाले अधिकारी ने कितने व्यक्तियों का बयान लिया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जांच के समय ५ व्यक्तियों के बयान लिए गए थे।

*१२०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत करने वाले व्यक्ति से जांच करने वाले अधिकारी ने पूछताछ की थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जांच के समय शिकायत करने वाले व्यक्ति उपस्थित नहीं थे।

पीलीभीत-पूरनपुर सड़क पर पुल-पुलियों का अनुमानित व्यय

*१२१—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत-पूरनपुर सड़क को कितना चौड़ा बनाया जा रहा है?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क का पक्का गोला १२ फीट चौड़ा होगा।

*१२२—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त सड़क पर कितने पुल बनाये जायेंगे और उनका प्रेलिमिनरी एस्टीमेंट क्या है?

श्री गिरधारी लाल—उक्त सड़क पर कटना, गोमती व घाई नदियों तथा अन्य दो नालों पर पुलों को छोड़कर, सभी पुल-पुलियों का निर्माण किया जायेगा जिनकी अनुमानित लागत लगभग ९३,४०० रुपये होगी।

*१२३—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत-गुजरौला के बीच सी० सी० ट्रैक बनाया जाना क्यों रोक दिया गया है और अब तक कितना बन गया है?

श्री गिरधारी लाल—कथित सड़क पर सी० सी० ट्रैक का काम रोका नहीं गया है। दो मील सी० सी० ट्रैक डाल दिये गये हैं और आगे काम करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

गोरखपुर जिले में नवीन सड़कों के निर्माण की जानकारी

*१२४—श्री अमरनाथ—क्या सरकार गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में स्थित महाराजगंज से बागापार जाने वाली सड़क का निर्माण कराने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*१२५—श्री अमरनाथ—क्या सरकार गोरखपुर जिले की महराजगंज तथा फरेंदा तहसीलों में स्थित सिसवा बाजार से बृजमनगंज जाने वाली सड़क का निर्माण कराने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*१२६—श्री अमरनाथ—क्या सरकार गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में स्थित परतावल बाजार से कम्पियरगंज जाने वाली सड़क का निर्माण कराने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*१२७-१२८—श्री रामप्रसाद देशमुख—[१० मार्च, १९५८ को प्रश्न संख्या १४०-१४१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

अलीगढ़ नगरपालिका में हरिजन कर्मचारियों की संख्या

*१२९—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ नगरपालिका में कुल कितने कर्मचारी हैं, उसमें कितने हरिजन हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

कुल कर्मचारी	१,५३४
हरिजन	६२८

पाली, जिला झांसी, में टाउन एरिया स्थापित करने की आवश्यकता

*१३०—श्री रमानाथ खेरा (जिला झांसी)—क्या स्वशासन मन्त्री कस्बा पाली, परगना बाला बेहट, तहसील ललितपुर, जिला झांसी में टाउन एरिया कायम करने का विचार रखते हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं ।

नगला गुलरिया का पुरुवा मौजा बमरौलिया, जिला इटावा की आबादी का दो पंचायतों में बंटना

*१३१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या नगला गुलरिया का पुरुवा, मौजा बमरौलिया, तहसील विधूना जिला इटावा, की आबादी को सरकार ने पृथक्-पृथक् दो पंचायतों में बांट रक्खा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां ।

*१३२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या इस दो साल में गुलरियों [illegible]वा के किसानों की ओर से उस गांव को मिला कर एक ही पंचायत में करने के पत्र सरकार के पास आये ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । केवल एक प्रार्थना-पत्र जिला कार्यालय में प्राप्त हुआ था । इस पर जांच की गई । प्रार्थियों द्वारा बताई गई कठिनाई प्रमाणित न होने से उनके प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया गया ।

*१३३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगला गुलरिया, मौजा बमरौलिया की पूर्ण आबादी पहले एक ही पंचायत में शामिल थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां ।

लखनऊ में रायल होटल के चौराहे से दारुलशफा तक सड़क की निर्माण योजना

*१३४—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायल होटल के चौराहे से जो सीधी सड़क दारुलशफा को ले जाने की योजना है उसके लिये सरकार को कौन-कौन सी जगहों की इमारतों को गिराना पड़ेगा ?

श्री गिरधारीलाल—बिना किसी इमारत को गिराये जितना चौड़ा सम्भव हो इस सड़क को बनाने की योजना है।

आगरे में अल्प आय गृह-निर्माण योजनान्तर्गत ऋण तथा भूमि की प्राप्ति

*१३५—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, आगरा Low Income Housing Scheme के अन्तर्गत कर्जे की स्वीकृत की तिथि से ब्याज वसूल करता है न कि उस तिथि से जिस दिन कर्जा दिया जाय और यदि कोई उस तारीख से ब्याज न दे तो उसका सीमेन्ट, लोहा इत्यादि का कोटा बन्द कर दिया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। ऋण की पहली किस्त जिस दिन दी जाती है उसी दिन से ब्याज लगाया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ऋण लेने वालों को सीमेंट तथा लोहे आदि का कोई कोटा नहीं दिया जाता है। किन्तु इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऋण लेने वालों की सुविधा के लिए अपने स्टाक में से लागत की दर पर इस सामान का प्रबन्ध कर देता है। अतः ब्याज न देने पर कोटा बन्द कर देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

*१३६—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि Low Income Housing Scheme के अन्तर्गत सरकार की नीति No profit no loss के आधार पर मकान बना कर बेचना है ? तो क्या आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इस नीति का पालन कर रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*१३७—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नार्थ विजय नगर कालोनी आगरा, में भूमि किन दामों पर ऐक्वायर की गई है और किन दामों पर बेची गई है या बेची जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई भूमि पर मुआविजे की दर निश्चित करने का विषय न्यायालय के विचाराधीन है। अतः फिलहाल भूमि के मूल्य तथा उस पर विकास कार्य पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाकर ४ रु० प्रति वर्ग गज पर भूमि पट्टे पर इस शर्त पर दी गई है कि मुआविजे की दर के घटने या बढ़ने पर यथानुसार पट्टे की दर घटा या बढ़ा दी जायगी।

पीलीभीत जिले में नवीन सड़क तथा पिथौरागढ़-अस्कोट सड़क के निर्माण की जानकारी

*१३८—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि आगामी पंचवर्षीय योजना में वह जिला पीलीभीत में कोई पक्की सड़क बनाने जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल—यह सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६७४ पर।)

*१३९—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ अस्कोट सड़क का निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक यह सड़क पूरी हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क का पिथौरागढ़ से कनालीछीना तक का भाग मोटर यातायात हेतु खुल चुका है। कनालीछीना से अस्कोट तक के भाग के चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है।

जंगलाती ग्राम पंचायत, इलाका घाड़, जिला सहारनपुर के प्रधान की शिकायत पर कार्यवाही

*१४०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जंगलाती ग्राम पंचायत, इलाका घाड़, जिला सहारनपुर के प्रधान के पत्र पर जिसमें निकासी रवन्ना न दिये जाने और ठेके के कुप्रबन्ध आदि के विषय में शिकायत थी, क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—अरण्यपाल, पश्चिमी वृत्त, की मध्यस्थता के फलस्वरूप प्रार्थना-पत्र की मांगों पर गांव वालों के अनुकूल संतोषपूर्ण समझौता हो गया और अब कोई शिकायत नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

२—श्री वंशीधर शुक्ल—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया] ।

नगरपालिका प्रतापगढ़ द्वारा ड्रेनेज स्कीम के लिए ऋण की मांग

३—श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़)—क्या प्रतापगढ़ नगरपालिका में किसी ड्रेनेज स्कीम की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये सरकार से ऋण या अनुदान मांगा गया है ? यदि हां , तो कितना और उसे सरकार कब तक दे सकेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, लेकिन नगरपालिका प्रतापगढ़ ने ड्रेनेज स्कीम को कार्यान्वित करने के लिये ७ लाख रुपया मांगा था परन्तु सरकार ने ऋण देना उचित नहीं समझा ।

४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[२५ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

मुरादाबाद जिले के ठेकों के संबंध में कागजों के गायब होने की कथित शिकायत

५—श्री मुहम्मद मंजूरुल नबी (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर से निर्माण विभाग, सर्किल सीम वटैली ने मुरादाबाद जिले के ठेकों की मिसलों में किसी मिसिल से जरूरी कागजात गायब होने की कोई रिपोर्ट दिसम्बर सन् १९५६ में चीफ इंजीनियर, निर्माण विभाग के पास भेजी थी ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

६—श्री मुहम्मद मंजूरुल नबी—अगर हां, तो क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इस मामले की कोई तहकीकात की गई या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता ।

७—श्री मुहम्मद मंजूरुल नबी—अगर तहकीकात हुई, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री गिरधारी लाल—प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जिला बोर्ड के सभापति के निर्वाचन के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं जिनमें से एक श्री देवनारायण भारतीय का है। यहां कल प्रश्नोत्तर में जिला बोर्ड, शाहजहांपुर के चेयरमैन के बारे में प्रश्न पूछे गये थे और मंत्री जी ने जो उत्तर दिये उनके संबंध में वह कामरोको प्रस्ताव लाना चाहते हैं। यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

जिलाधीश, वाराणसी द्वारा सोशलिस्ट प्रदर्शनकारियों से मिलने से इनकार करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री राजनारायण का है। वह इस प्रकार है कि—"वाराणसी जिलान्तर्गत चन्दौली तहसील में कल स्थानीय सोशलिस्ट पार्टी की ओर से नहर रेट की वसूली में बर्ती जाने वाली धांधली को बन्द करने आदि की मांगों को लेकर श्री प्रभुनारायण जी, एम० एल० सी० के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शनकारियों से मिलना इनकार कर जिलाधीश ने पूर्णतया गैरजनतांत्रिक प्रणाली अख्तियार करने के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना की है। फलस्वरूप कल से बराबर प्रदर्शनकारियों का जत्था तहसील घेरे में पड़ा है और जनता में घोर असंतोष व्याप्त है तथा विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है।

अतः यह सदन उपर्युक्त आवश्यक तथा जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसमें जो यह जिलाधीश का मिलने से इनकार करने का प्रश्न है वह कोई सरकारी से संबंधित नहीं है लेकिन चूंकि एक एम० एल० सी० वहां पर हैं और कहा गया है कि वह घिरे पड़े हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह इस विषय में कुछ जानकारी रखते हों तो सदन को उसकी सूचना दे दें, वैसे प्रस्ताव की मैं इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि यह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई सूचना नहीं है। इस नोटिस के पहले हमें खबर भी नहीं थी कि ऐसी कोई बात हुई हो।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं. . . . .

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री राजनारायण—वह इसके बारे में नहीं है। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने इसके विषय में माननीय कमलापति जी को बता दिया था और उन्होंने वादा किया था कि जिलाधीश को फोन कर के जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय गृहमंत्री जी को इसकी कोई सूचना है?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, माननीय राज नारायण जी ने साढ़े १०-११ बजे के करीब मुझे खबर दी थी, उसके बाद मैंने जिलाधीश को टेलीफोन कराया लेकिन वह नहीं मिले . . . .

श्री अध्यक्ष—तो सूचना अभी नहीं है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

बाराबंकी में होली के अवसर पर झगड़े के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—"दिनांक ६-३-५८ को बाराबंकी नगर में होली के उत्सव मनाने के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गट्टू नामी मुसलमान पर रंग डाल देने के फलस्वरूप और उनके माफी मांगने के बाद गट्टू ने अपने लगभग १०० साथियों सहित होली खेलने वालों पर हमला कर दिया और लाठियों तथा ईंटों द्वारा बुरी तरह पीटा। घटना-स्थल पर एक हेड कांस्टेबिल पहुंचा, फलस्वरूप वह भी पीटा गया। लगभग २० लोग हेड कांस्टेबिल सहित घायल हुए। जब घायल लोग जिलाधिकारियों (कलेक्टर तथा एस० पी०) के पास गये तो उन लोगों ने उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया तथा अनुचित शब्द कहे। तीन बजे शाम तक इन घायलों की डाक्टरी परीक्षा तथा कोई मेडिकल हेल्प अधिकारियों द्वारा नहीं दिलाई गई। अधिकारियों की असतर्कता तथा उपेक्षा के कारण नगर में बड़ा असंतोष व्याप्त है। इन कारणों से सदन यह प्रस्ताव करता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये आज का अपना कार्य स्थगित किया जाय।"

यह कामरोको प्रस्ताव श्री मुकुट बिहारी लाल ने भेजा है। इस विषय पर भी विचार के साथ जो बजट का संबंधित अनुदान विचारार्थ सदन के सामने आने वाला है उस पर विचार के साथ उस समय चर्चा हो सकती है लेकिन इस विषय में मंत्री जी को कोई सूचना सदन को देना हो तो वह दे दें जिस से माननीय सदस्यों को सहूलियत हो सकती है और वह तमाम वाकयात पर बाद में चर्चा कर सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—कोई खास बात नहीं हुई है मान्यवर, होली के दिन बाराबंकी में कुछ रंग के खेलने में झगड़ा हो गया छोटा सा। जो सूचना मेरे पास आयी है उससे पता यह लगता है कि पहले से कोई न उत्तेजना थी, न इस बात का भय था, कुछ नहीं था। कुछ एक लड़कों का दल और उसमें कुछ बड़े लोग भी थे रंग डालता हुआ जा रहा था। पीरबटावन एक मुहल्ला है। वहां भी कुछ लड़के रंग खेल रहे थे जिसमें मुसलमानों के भी लड़के थे और भी लोग उसमें शरीक थे, हिन्दू मुसलमान सभी उसमें थे। उसी समय एक श्री गुट्टू जिनका लड़का भी होली खेल रहा था, वह अपने बैठके में बैठे हुए थे, किसी ने उनके बैठके के भीतर उनके ऊपर रंग डाल दिया। इससे वह नाराज हुए और बिगड़े, बाहर निकले और एक बच्चे को उन्होंने, कुछ ऐसी रिपोर्ट है कि दो चार थप्पड़ लगा दिए। इससे जो लोग होली खेल रहे थे वह कुछ बिगड़े और ऐसा लगा कि झगड़ा हो जायगा। श्री गुट्टू ने अपने मकान का दरवाजा वगैरह बन्द कर दिया। फिर लोगों ने उनके मकान को घेर लिया और मकान के ऊपर से कुछ ईंट पत्थर चले। कुछ लोगों को उससे चोट भी आयी। इस बीच पुलिस वहां पहुंच गई। उसने वहां १४४ भी लगा दी और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। जिन लोगों को चोटें लगी हैं उनकी भी रिपोर्ट है। करीब ११-१२ बजे का यह वाकया है। थोड़ी देर में वहां शान्ति भी हो गई और शाम को फंक्शंस भी हुए। जिन लोगों को चोट लगी है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ और वहां शान्ति है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, यह किसका कामरोको प्रस्ताव था?

श्री अध्यक्ष—श्री मुकुट बिहारी लाल का।

रुद्रपुर, जिला नैनीताल में भूमि वितरणार्थ समवेत प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री प्रताप सिंह का है। यह जिस घटना के ऊपर कल एक कामरोको प्रस्ताव आ चुका था यानी रुद्रपुर, जिला नैनीताल में ४ मार्च को जो झगड़ा वगैरह हुआ उसके बारे में है। कल इसका जिक्र आया था

[श्री अध्यक्ष]

तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सूचना दे दी थी कि वहां पर कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग हैं जो जबर्दस्ती कब्जा जमीन पर करना चाहते हैं। उनके यह जवाब देने के बाद मैंने अनिश्चितता के आधार पर इसे अस्वीकृत कर दिया था। अब माननीय प्रताप सिंह जी और नारायण दत्त जी तिवारी यह दो सदस्य यह कहते हैं कि हम जांच करके आये और देखकर आये हैं, इसलिये फिर से उन्होंने इसे उपस्थित किया है। यद्यपि एक बार इसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव आ चुका है जो अस्वीकृत हुआ है तो भी माननीय सदस्यों के जांच के पश्चात् यदि वह बहुत महत्व का विषय प्रतीत होता है और कोई दूसरा तरीका उसके ऊपर सदन में विवाद करने का नहीं होता तो पुनर्विचार करके उसे लिया जा सकता था, लेकिन जब इस सदन में इस विषय पर अनुदानों पर विचार के समय विवाद हो सकता है और संबंधित अनुदान भी आज ही उपस्थित होने वाला है। ऐसी अवस्था में, मैं समझता हूं कि उपनिवेशन के अनुदान के सिलसिले में माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा कर लें अतएव काम रोको प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैं प्रश्नों के संबंध में कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, जब मैं बोल रहा हूं आप कृपया उस समय न बोलें।

जब इसके ऊपर बहस हो सकती है, बहस में ये चीजें कही जा सकती हैं, तो मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। इसकी कोई अरजेंसी भी नहीं दिखायी देती है, और एक दफा यह अस्वीकृत हो भी चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, कल जैसा मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा आपने कल उस विषय को अनिश्चित घोषित किया था। आज इसमें एक बिल्कुल निश्चित विषय है और इसमें कालोनाइजेशन की बात नहीं है। इसमें पुलिस की बात है। तो पुलिस का अनुदान अभी हाल में आने वाला नहीं है और इसमें निश्चित लिखा हुआ है ४४ आदमी १५ फीट की कोठरी में....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, यह सब चीजें जितनी हैं वे उस प्रश्न पर उठी थीं कि कुछ भूमिहीन किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ और उनकी झोपड़ी वगैरह जलायी गयीं। उसी सिलसिले में जो कार्यवाही हुई उसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दे दिया था कि क्या वाकयात हुए थे। अब उस घटना के एक एक चीज के टुकड़े कर दिये जायं और कहा जाय कि पुलिस ने फलां जगह लाठी चार्ज किया, फिर दूसरा कहे कि मैं सब चीजों के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि जेल में जो आदमी बन्द हैं उनके लिये कह रहा हूं। तो विषय एक ही बना रहता है और उसी के सिलसिले में बहुत सी ये घटनायें हुयी हैं। कई घटनायें अलाहिदा अलाहिदा बयान करने से विषय बदल नहीं जाता है। जब इसके ऊपर बहस करने का आज मौका है आप घटना को बयान कर सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, अगर पढ़ दिया जाता तो हमको मालूम हो जाता।

श्री अध्यक्ष—जिन अत्याचारों का जिक्र कल किया गया था उससे ज्यादा माननीय नारायण दत्त जी बहस के वक्त कह देंगे, उसे सुन लीजियेगा।

१९५८-५९ की सार्वजनिक लेखा समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को दे देना चाहता हूं। वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये सार्वजनिक लेखा समिति के २० सदस्यों के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित प्रोग्राम नियत किया गया है :

१—नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय १४-३-५८ को ३ बजे सायंकाल तक।

२---नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ... १५-३-५८ को २ बजे सचिव के कमरे में।

३---नाम वापसी की अंतिम तिथि तथा समय ... २५-३-५८ को ३ बजे सायंकाल तक ।

४---निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में ... २८-३-५८ को ११ बजे से ३ बजे तक होगा।

तारांकित प्रश्न ९८ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न का गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, अभी माननीय सहकारी मंत्री जी ने प्रश्न संख्या ९८ के संबंध में जो उत्तर दिया है वह गलत दिया है। उन्होंने १९५३-५४ के बारे में कहा है कि वह सुपरसीड की गयी। जब कि वह सन् १९४९ में सुपरसीड की गयी। उसके संबंध में माननीय मोहनलाल वर्मा जी के ऊपर मुकदमा चलाया गया ....

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में आप फिर से सवाल उठाना चाहते हैं ?

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, मैं प्रिवेलेज का मोशन लाना चाहता हूं। इसके लिये आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप नोटिस दे दें।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं नोटिस दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---तो आप नोटिस को भेज दें।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५४-५५ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसका ज्ञापन

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५४-५५ के वार्षिक प्रतिवेदन* को उसके ज्ञापन* सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक प्रार्थना करना चाहता हू। इस रिपोर्ट पर भी और इसके पहले जो दो-तीन रिपोर्ट्स पेश हो चुकी हैं और जिनके विवाद के लिये आश्वासन दिया गया था कि समय निश्चित किया जायगा, उसके लिये आप समय निश्चित कर दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, कोई दिन आप जरूर निश्चित कर दें। आप से मैं बात कर लूंगा इस संबंध में, फिर निवेदन कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है मैं बात कर लूंगा।

वृहत्-जोत-कर नियमावली १९५७ में प्रख्यापित *संशोधन

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश वृहत-जोत कर नियमावली, १९५७ में राजस्व (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३५६/१-स, दिनांक २१ फरवरी, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश वृहत्-जोत-कर अधिनियम, १९५७ की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इसके लिये कोई दिन नियत किया जाय ताकि इस नियमावली पर बहस हो सके।

---

*छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष---१४ दिन के अन्दर आप अपने संशोधन उपस्थित कर दें। अगर संशोधन आ जावेंगे तो विचार होगा और अगर संशोधन नहीं होंगे तो यह समझा जायगा कि किसी को आपत्ति नहीं है और उस समय इस पर बहस नहीं हो सकेगी।

१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष---मैं चाहता हूं कि सदन इन अनुदानों पर समय निर्धारित कर दे। ११, १२ और १३ तीन दिन के लिये ये ग्रान्ट्स चलेंगी। तो आप लोगों का मैं इस संबंध में सुझाव चाहता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, अनुदान संख्या १, २, २२ और ३५ डेढ़ दिन और बाकी २८ और ४१ आधे दिन में कर ली जायं।

श्री अध्यक्ष---लेकिन यह तो तीन दिन का प्रोग्राम है।

राजा वीरेन्द्र शाह---पहले तो ११ और १२ ही बतलाया गया था।

श्री अध्यक्ष---लेकिन अब तीन दिन इसके लिये हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह---तो फिर राजस्व मंत्री के लिये दो दिन और श्रम व समाज कल्याण के लिये १ दिन नियुक्त कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। कटौती का प्रस्ताव जो पेश करेंगे उनको १५ मिनट और अन्य सदस्यों के लिये १० मिनट मेरी समझ में काफी होंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मेरा निवेदन यह है कि प्रस्तावक के लिये २० मिनट और अन्य बोलने वालों को १५ मिनट दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---प्रस्तावक के लिये तो २० मिनट ठीक है लेकिन दूसरों के लिये १० मिनट काफी होंगे।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---मेरा भी यही सुझाव है कि प्रस्तावक महोदय को २० मिनट और अन्य बोलने वालों को १० मिनट मिलें।

श्री अध्यक्ष---तो यही ठीक रहा। लेकिन २० मिनट प्रस्तावक को राजस्व मंत्री के अनुदानों में ही मिलेंगे क्योंकि इसमें दो दिन हैं और श्रम मंत्री के अनुदानों में केवल १५ मिनट ही प्रस्तावक को मिलेंगे क्योंकि उनके लिये एक ही दिन है।

अनुदान संख्या १---लेखा शीर्षक: ४---कृषि-आय कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक: ७---मालगुजारी, अनुदान संख्या २२---लेखा शीर्षक: ४०---उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३५---लेखा शीर्षक ५४---दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १---कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय---लेखा शीर्षक: ४---निगम कर और सम्पति शुल्क को छोड़कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत ३,१४,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या १--लेखा शीर्षक: ४--कृषि-आय-कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक: ७--मालगुजारी, अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक: ४०--उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक: ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि

राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक: ७--मालगुजारी के अन्तर्गत ५,६८,७२,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक: ४०--कृषि उपनिवेशन के अन्तर्गत ५५,४३,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक: ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ३६,६६,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ भाषण नहीं देना है। केवल उत्तर दूंगा।

श्री मलिखान सिंह--अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय माल मंत्री ने जो अनुदान संख्या १, २, २२ और ३५ यहां उपस्थित किये हैं मैं उनमें अलग-अलग एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की ६,३२,१५,७४२ की आबादी में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं जिनकी संख्या ५,४३,९०,०४३ है। इन सब का जीवन कृषि पर निर्भर है और इन अनुदानों से संबंधित जो गांव निवासी हैं उनका जीवन कृषि पर निर्भर है। श्रीमन्, इससे पहले अगस्त में इस अनुदान पर बहुत हुई थी तब माननीय माल मंत्री जी से मैंने कहा कि जमींदारी समाप्त होने के बाद किसान आशा लगाये हुए बैठा था कि जब कांग्रेस पावर में आयेगी तो हमारा लगान आधा कर दिया जायगा, या जो जमींदार बीच का दलाल था जो हमसे मुनाफा लेता था वह समाप्त कर दिया जायगा और हमें उस जमीन का राजा बना दिया जायगा, जमीन उसकी होगी जो जमीन को जोतेगा। सन् १९५२ में जिस समय जमींदारी उन्मूलन विधेयक सामने आया उस समय उन काश्तकारों को यह आशा बंधी कि अब यह नयी सरकार हमारे लिये कुछ सोचेगी, किन्तु जिस समय वह काला कानून कार्यान्वित हुआ, उन सब की आशायें धूल में मिल गयीं। यह कोई शक की बात नहीं है कि माननीय माल मंत्री जी ने अपने समय में जो प्रगतिशील जमीन के सुधार के संबंध में कदम उठाया वह सराहनीय है, किन्तु हमें साथ ही इस बात का दुःख है कि उन्होंने वह प्रगतिशील कदम सिर्फ सरकार के लिये रखा और जो जमींदार बीच का मुनाफा खाता था वह सरकार के खजाने में आने लगा। श्रीमन्, जमींदारी उन्मूलन से पहले किसानों के द्वारा सरकार के खजाने में ७ करोड़ ८४ लाख रुपया आता था और जब जमींदारी समाप्त हुई, जब यह कानून बना कि जमीन उसकी होगी जो जोतेगा और सरकार ने अपने हाथ में यह काम लिया उस समय अब सरकार के राजस्व में २२,१२,०२,२०० रुपया आने लगा, पहले से मालगुजारी तीन गुनी हो गयी। यदि इस आधार पर भी हम उन किसानों का लगान आधा करते तो साढ़े दस करोड़ रुपया इस तरह से सरकार के राजस्व में आ सकता था और उसके द्वारा हम काम चला सकते थे, किन्तु सरकार उस बात पर कोई ध्यान नहीं देती।

जहां तक जमींदारों का संबंध है, जो जमींदारों को मुआविजा और पुनर्वास दिया गया उन सब का भार भी उस काश्तकार पर डाला गया। जो काश्तकार पहले जमींदार के द्वारा दबता था आज उसी पर जमींदार का भार डाल दिया गया। जनसंघ ने अपने घोषणा-पत्र में जिस समय सरकार को सजेशन दिया था, उसमें कहा था कि आज छोटे-छोटे जमींदारों को आप नकद मुआविजा दीजिए और उनके पुनर्वास का प्रबन्ध कीजिये और जो बड़े-बड़े जमींदार हैं, जिन्होंने कारखाने खोल लिये हैं, जिनके पास आमदनी के जरिये हैं उन्हें कोई मुनाफा मत दीजिए। लेकिन सरकार ने आज तक उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली बार माननीय माल मंत्री जी ने यहां उत्तर देते समय यह कहा था कि ये आंकड़े जो हैं वे माननीय सदस्य कहीं से लाये हैं या किसी के पढ़े हुये हैं। मैं नहीं समझता कि आंकड़े

[श्री मलिखान सिंह]

कोई अपने आप बनाता है। ये आंकड़े केन्द्रीय सरकार के टैक्सेशन कमीशन की रिपोर्ट में दिये हुए हैं और इन्हीं के आधार पर मैं सिद्ध करता हूं कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले लगान अधिक है। श्रीमन्, आप यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रति एकड़ लगान ४ रुपये ६ आने ८ पाई है, पंजाब में जहां उत्तर प्रदेश से अधिक पैदावार होती है १ रुपये १ आने ६ पाई प्रति एकड़ लगान है, बिहार में १ रु० ६ पाई, राजस्थान में ११ आने ६ पाई, आसाम में २ रुपये ६ आने ८ पाई, बंगाल में १ रुपये ९ पाई, मध्य प्रदेश में १ रुपये ५ आने ३ पाई, मध्य भारत में २ रुपये ८ आने ९ पाई, बम्बई में १ रुपये ६ आने ६ पाई, पेप्सू में १ रुपये १५ आने २ पाई और ट्रावनकोर में २ रुपये ४ आने है। इन सब आंकड़ों को देखते हुए अपने उत्तर प्रदेश में लगान की दर दूनी है। मैं नहीं कह सकता कि सरकार इस ओर क्यों उपेक्षा की नीति बरतती रही। अंग्रेज के समय में तो किसान और मजदूर इसलिये दबाये गये क्योंकि वे समझते थे कि क्रान्ति तो मध्यम वर्ग और गरीब आदमी ही करते हैं, बड़े आदमी तो बैठ कर इशारा किया करते हैं।

इतिहास हमेशा दोहराता है कि जब कभी क्रान्ति हुई है तो छोटे वर्ग से ही हुई है। अंग्रेजों ने तो इसलिये उनको दबाया ताकि उनकी सत्ता कायम रहे किन्तु आज जब हमारा अपना राज्य है, प्रजातन्त्र है तो मैं नहीं कह सकता कि यह सरकार जो अपनी कही जाती है क्यों उनके साथ अन्याय करती चली आ रही है। इसी के साथ यदि और देखा जाय तो २२ करोड़ रुपये तो सिर्फ मालगुजारी के द्वारा किसान से आते हैं और सिंचाई कर ९,२५,४८,९०० रुपये आता है। इसके बाद कृषि कर ६४,६०,००० रुपये आता है। इस प्रकार करीब ३२,१२,११,१०० रुपये किसान से टैक्स द्वारा आते हैं जो प्रदेश भर के पूरे टैक्स का ३७.९ प्रतिशत होता है। यहां पर माननीय माल मंत्री जी यह कहेंगे कि यह पहले से महंगाई अधिक हो गयी है इसलिये लगान कम हो गया। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले से अब कितनी चीजों पर टैक्स अधिक हो गया है। चाहे आप बिक्री कर लीजिये, चाहे पंचायत टैक्स लीजिये, जो भी टैक्स होगा वह खरीदार पर पड़ेगा। यहां तक कि जो खाने-पीने की चीजों पर बिक्री कर लगाया गया वह भी किसान और देहात के मजदूर पर पड़ता है। जब हम इन्डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं और डायरेक्ट टैक्स भी हमारे ऊपर पड़ता है तो यह कहना कि यह तो बड़े-बड़े आदमियों पर पड़ता है ठीक नहीं है। बड़े-बड़े आदमियों पर तो उस का कुछ हिस्सा पड़ता है लेकिन अधिकतर ये टैक्स किसान और मजदूर पर पड़ते हैं जो इस देश के उत्पादन में सब से अधिक मदद करते हैं। जो किसान बड़ी मेहनत करके गल्ला पैदा करता है और हम सब को जीवन देता है उसके लिये इस तरह की उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा ही नहीं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि उसके साथ सौतेले भाई का सा व्यवहार किया जा रहा है। आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुये ११ साल हो गये, लेकिन जो घोषणायें जिस पार्टी की यह सरकार है अर्थात् कांग्रेस ने की थीं, जिनकी बिना पर जनता से वोट पा कर यह सरकार यहां पर कायम हुई उनको आज तक पूरा नहीं किया गया। माननीय माल मंत्री जी ने पिछली बार कहा कि सन् १९२९ में घोषणा हुई क्या थी, ऐसी तो पार्टियां घोषणा करती हैं और बदलती रहती हैं। यदि इस तरह से राज्याज्ञा बदल जाय, पार्टी की घोषणा बदल जाय तो अव्यवस्था हो जायगी। किसी भी घोषणा के आधार पर जनता उसका पीछा करती है और जनता उसका साथ देती है तो उसी घोषणा के आधार पर जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। आज उन घोषणाओं में कांग्रेस असफल हुई और उसी का परिणाम यह है कि आज सरकार के विरोध में संख्या बढ़ती चली जा रही है और यह सरकार के लिये एक चेतावनी है। अब भी समय है कि वह चेते अन्यथा एक समय होगा जब उसको कानून के शिकन्जे में आ कर इस सदन की अदालत में आकर खड़ा होना पड़ेगा और यह जवाब देना होगा कि तुमने जो घोषणायें की थीं उनमें तुम असफल हुये हो उसका क्या कारण है और उस समय जनता के कानून के समय इस सरकार की एक नहीं चलेगी।

एक सदस्य—क्या घोषणायें की थीं ?

श्री मलिखान सिंह—एक माननीय सदस्य घोषणायें पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम जमींदारी खत्म कर देंगे और तुम्हारा लगान कम कर देंगे। यह घोषणा की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से।

श्रीमन्, इसी आधार पर यदि हम जमींदारों को दिये जाने वाले मुआविजे को देखें तो १५ रुपये से २५ रुपये तक जो मालगुजारी देते थे उनको औसतन २४५ रुपये मुआविजा पड़ता है। यह भी जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं और जो १० हजार के ऊपर मालगुजारी देते थे उनको औसतन ३,७४,३५,००० रु०, पुनर्वास या जमीन का जो मूल्य है, वह दिया जायगा। मैं कैसे कहूं कि यह सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न बनाने जा रही है? यह सरकार तो बड़े आदमियों को प्रोत्साहन दे कर, उनकी गद्दियों को बढ़ा कर उनको उस पर नशीन करना चाहती है। यह आज स्पष्ट है कि यह सरकार छोटे आदमियों को टैक्स के द्वारा दबाना चाहती है, यह स्पष्ट रूप से रिपोर्ट से पता चलता है। यह सरकार चाहती है कि छोटे आदमी आगे न बढ़ सकें और सरकार के साथ आ कर कन्धे से कन्धा मिलाकर न बैठ सकें, यह स्पष्ट मालूम होता है। लेकिन सरकार यह नारा लगाती है कि हम बैकवर्ड को प्रोत्साहन देते हैं, हम गरीबों को उठाते हैं, हम अछूतों को उठाते हैं। लेकिन वे बैकवर्ड क्यों हुए? वे बैकवर्ड इसलिये हुए चूंकि उनके पास आमदनी के साधन नहीं थे। जमींदार बैकवर्ड क्यों नहीं हुए चाहे वे किसी भी जाति के क्यों न हों? आप सामाजिक परम्परायें तभी बदल सकते हैं जब कि जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो। जब तक यह सरकार उन गरीबों के लिए नहीं सोचेगी, उनके लिये भूमिवितरण नहीं करेगी और ३० एकड़ का एवरेज रख कर वह गरीबों की मदद नहीं करेगी तब तक गरीबों का उत्थान नहीं हो सकता, तब तक किसानों का और मजदूरों का उत्थान नहीं हो सकता चाहे यहां पर बैठे-बैठे कितने ही नारे क्यों न लगाये जायं।

श्री चरण सिंह—मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि जनसंघ २० एकड़ या ३० एकड़ पर सीलिंग रखना चाहती है, क्योंकि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में उसने २० एकड़ का एलान किया था।

श्री मलिखान सिंह—जनसंघ की ३० एकड़ के लिये स्पष्ट विचारधारा है।

तो, श्रीमन्, आंकड़ों के द्वारा स्पष्ट मालूम होता है कि हमारे साथ या किसानों के साथ सरकार ने आजतक बराबर उपेक्षा की नीति बरती है। श्रीमन्, सरकार ने अभी बीच में एक और टैक्स लगा दिया है जिसका कि मैंने अभी नाम लिया था और वह है पंचायत टैक्स। उस टैक्स के द्वारा सरकार के पास ९,२५,८७५ रु० आता है। चाहे वह टैक्स गांव सभा को ही दिया जाता हो लेकिन फिर भी वह किसानों के ऊपर पड़ता है। आज तक सरकार ने नहीं सोचा कि यदि हम किसानों से दस गुना लेते हैं तो उसका कुछ रुपया पंचायतों को भेजते जिससे वे स्वयं अपना निर्माण का काम करते, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अनुदान देते हैं। लेकिन आज तक यह सोचने की बात नहीं हुई, ऐसा नहीं किया गया। जब गांवों के रहने वाले प्रदेश में बहुत हैं और गांवों की संख्या भी प्रदेश में बहुत है—इस प्रदेश में १,११,७२२ गांव हैं—जिनमें किसान रहते हैं उनके लिये आज तक सरकार ने सड़कों का प्रबन्ध नहीं किया, यदि मौके पर जा कर देखा जाय तो पता चलेगा और न उनके लिये कोई और साधन ही उपलब्ध किये गये हैं। हालांकि कहा यह जाता है सरकार की ओर से कि झोपड़ियों में बल्ब लगाये जायंगे, लेकिन वास्तव में कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता। तो यह उपेक्षा की नीति सरकार आज किसानों और मजदूरों के साथ बरत रही है, जिनके द्वारा यह शासन चल रहा है—जिनके द्वारा यह राष्ट्र बनता है, जिनके द्वारा आगे आने वाली परम्परा कायम होगी और जिनके द्वारा देश की भुखमरी दूर होगी। आज वे उपेक्षा की दृष्टि से

[श्री मलिखान सिंह]

देखे जा रहे हैं। तो फिर कोई किसान कैसे हिम्मत कर सकता है कि उसके पास पैसा रहे और वह अच्छी तरह से रह सके, क्योंकि यह सरकार बराबर इस तरह के टैक्स लगाती चली जा रही है? इस अनुदान में कर्जा देने की बात भी किसानों के लिये रखी गयी है लेकिन आप इस तरह के काम नहीं करना चाहते जिससे उनके पास निजी पूंजी बची रहे और वह उससे अपने उत्पादन का कार्य कर सके और स्वावलम्बी हो सके और बिना किसी दूसरे की सहायता के काम कर सके। आपने घोषणा कर के देहातों में पंचायतें कायम कीं और यह कहा कि किसानों और मजदूरों को वोट का अधिकार दिया है लेकिन इससे काम नहीं चल सकता है। आपने भूमिधर भी बनाये लेकिन उससे भी किसान का अधिक लाभ नहीं हुआ है।

जो किसान १० रुपया लगान देता है उसको १०० रुपया यानी दस गुना लगान देना पड़ेगा तब जाकर वह भूमिधर कहलायेगा। जिसके पास थोड़ा सा पैसा है वह तो भूमिधर बन जायगा, लेकिन जिस किसान के पास पैसा नहीं है उस को महाजन के पास जाना पड़ेगा और उससे २० परसेन्ट और ३७ १/२ परसेन्ट सालाना पर व्याज देने के लिये रुपया लेता है। यदि वह कोआपरेटिव बैंक के पास भी जाय तो वहां से भी उसको ९ रुपये फीसदी से कम रुपया नहीं मिलता है। वह कोआपरेटिव बैंक भी कम व्याज पर उसको रुपया नहीं देता है जो सरकार के द्वारा प्रोत्साहन देने के लिये खोले गये हैं। जो काश्तकार ९ रुपया सैकड़ा सालाना पर कर्जा ले कर भूमिधरी के लिये रुपया देता है और भूमिधर बनता है तो उसको आधा लगान होने के बजाय ९ और ५ मिला कर १४ रुपया लगान देना पड़ता है। यह १० का आधा ५ किस तरह से हुआ मेरी समझ में नहीं आता है। जिन किसानों के पास पैसा नहीं है उनको २, ३ परसेन्ट का कर्जा दे कर भूमिधर बनाया जाता तो उनके लिये कुछ लाभ हो सकता था। यदि सरकार इस तरह की नीति अख्तयार करे तो इससे कुछ लाभ हो सकता है। इस समय की जो नीति सरकार की है वह तो स्पष्ट है। आइन्दा के लिये वह किस प्रकार की नीति अख्तयार करेगी यह कुछ समझ में नहीं आता है।

जहां तक विधेयकों का सम्बन्ध है इस पुस्तक में हमारे राजस्व मंत्री जी ने जो कदम उठाया है उसके लिये मैं शुक्रगुजार हूं और प्रदेश का हर किसान उसका शुक्रगुजार है। लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि सरकार ने अभी तक उपेक्षा की नीति इन मजदूर और किसानों के साथ बर्ती है। सरकार ने और उसकी पार्टी ने यह घोषणा की थी कि हम किसानों का लगान कम कर देंगे और उनको खुशहाल बना देंगे लेकिन उनका लगान बजाय कम करने के और बढ़ाया गया है, यह बहुत शर्म की बात है। माननीय माल मंत्री जी इसको स्पष्ट करने की कृपा करें अन्यथा एक दिन ऐसा भी आयेगा कि इस प्रदेश की जनता सरकार के खिलाफ आह्वान करेगी और अपना अधिकार उनसे मांगेगी और लगान के आधा करने की आवाज उठायेगी। तब उस आवाज के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि इस सरकार की क्या स्थिति होगी यदि उस भयंकर स्थिति को बचाना है तो आज माननीय माल मन्त्री जी इसकी स्पष्ट घोषणा इस सदन में करें जिससे जनता जान सके कि आइन्दा इस सरकार की नीति क्या होगी। यह हो सकता है कि पार्टी की तरफ से कोई घोषणा हो जाय लेकिन जब तक सरकार की ओर से घोषणा न हो तब तक उसको सरकारी नहीं माना जा सकता। इसलिये हम चाहते हैं कि आज इसकी स्पष्ट घोषणा करने की कृपा की जाय। इसके बाद माननीय मंत्री जी जो कुछ कहेंगे मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री प्रताप बहादुर सिंह (जिला बहराइच)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसे कि सब लोग जानते हैं हमारा प्रदेश काश्तकारों का प्रदेश है और ८० फीसदी जनता इसकी गांवों में रहती है जिनका अधिक से अधिक सम्बन्ध राजस्व से है। अगर उनके साथ सही न्याय नहीं हुआ तो नहीं मालूम हमारा प्रदेश कैसे उठ सकता है। चार तरह के काश्तकार हमारे यहां हैं—भूमिधर, सीरदार, अधिवासी और असामी। असामी तो इस समय नहीं रहे। अधिवासी बाकी हैं। उनके

मुकदमे चल रहे हैं और वे परेशान हो रहे हैं। वे अपने घरों से मजदूरी छोड़ कर कचहरी जाते हैं और लौट आते हैं, पेशियां बढ़ जाती हैं और पेशियां जानने के लिये भी उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। इस तरह से पता नहीं उनकी कितनी मजदूरी बर्बाद जाती है और वह मुकदमे फैसल नहीं होते। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिलों में जो मैजिस्ट्रेट फाजिल हैं उनके जरिये से इन मुकदमों को वह जल्द फैसल करा दें।

इसके बाद सीरदार और भूमिधर की बात आती है। मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहूंगा कि यह भेद कैसा है? जब जमींदार नहीं रहे तो हर काश्तकार को भूमिधर हो जाना चाहिये। भूमिधर ही तो जमींदार हुआ, लेकिन उसको अभी तक जमींदारों का सा हक नहीं मिला। जब तक वह १० साला न जमा कर दे उस समय तक वह भूमिधर नहीं बन पाता। इस दस साला वसूल करने की ऐसी क्या जरूरत थी? आज जब सरकार की आमदनी २२, २३ करोड़ हो गई है तो यह दस साला लेने की क्या जरूरत रह गई? आज अगर ९ करोड़ के करीब जमींदारों को मुआवजा देना पड़ता है तो भी ६ करोड़ पुरानी माल-गुजारी निकाल कर ७ करोड़ रुपया बचता है। मैं इसलिए इस दस साला वसूल करने की कोई जरूरत नहीं समझता। अगर किसान दस साला जमा करके अपने जमींदारी हकूक खरीद सकता है तो यह सरकार जनता की कैसी? वह जनता की सरकार कैसे मानी जायगी? मैं गांव का रहने वाला हूं और जानता हूं कि काश्तकारों को पहले यह उम्मीद थी कि जब हमारा राज हो जायगा तो हम अपनी जमीन के मालिक हो जायंगे, लेकिन आज ११ साल हो गये और वह अपनी जमीन के मालिक नहीं हो पाये। आज भी काश्तकार दस साला दिये बिना अपनी जमीन बेच नहीं सकता और २५ प्रतिशत सूद पर रुपया लेकर जमा कर देने में उसका पड़ता नहीं खाता। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सारे काश्तकारों को बिना दस साला लिये हुये ही भूमिधर बना दिया जाय। पहले जब यह बात शुरू हुई तो गांवों में अधिकारियों ने बहुत से आदमियों से दस साला जमा करवा दिया ताकि उनकी तरक्की हो सके और आज ऐसे बहुत से आदमी हैं कि जिनसे दस साला भी वसूल किया गया और वे अपनी जमीनों के भूमिधर भी नहीं बन पाये हैं। अब कोई भूमिधर होना नहीं चाहता जब तक कि उसको अपनी जमीन को बेचने पर मजबूर न होना पड़े। आज सरकार का फर्ज है कि जो वायदा उसने पहले किया था उसको वह पूरा करे। उसकी आमदनी भी बढ़ गई है और इसलिये उसको बिना दस साला लिये हुए सारे काश्तकारों को भूमिधर करार देना चाहिये।

इसके अलावा कानून में बड़ी अनसर्टेनिटी है इसलिये कोई कैसे भूमिधर होना चाहेगा। तमाम प्रयोग हो रहे हैं। डाक्टरों के जैसी चीर-फाड़ हो रही है। आप नये नये प्रयोग रोज कर रहे हैं। अधिवासी का प्रयोग बन्द कर दिया गया। अब कोई अधिवासी नहीं बनता। मैं तो कहता हूं कि अगर शिकमी का कानून फिर बना दिया जाय तो जिन लोगों को जमीन नहीं मिल पाती है उनको जमीन मिलने लगेगी। अभी सुना है सहकारिता का कानून आने वाला है, सामूहिकता का कानून आने वाला है, अगले चालीस साल तक क्या इतमिनान है कि जो कानून बनेगा वह वैसा ही रह जायगा। चालीस साल में तो गोमती के पुल के नीचे से पता नहीं कितना पानी बह जायगा। इसलिये कानून में सर्टेनिटी का होना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने पटवारियों को अलग करके लेखपालों को रखा। उनके हकूक कम कर दिये, ठीक। लेकिन लेखपालों को नया शौक हुआ। उन्होंने सोचा कि हम भी नये ढंग से, नये तरीके से रहें। उनमें भी लन-देन शुरू हुआ और आज देहातों में हजारों मुकदमे १०७ के चल रहे हैं। गांव का बिना पढ़ा-लिखा आदमी ऊपर जा नहीं पाता और नीचे परेशान किया जाता है। आपने जो यह कानून बनाया था कि उसकी एक कापी प्रधान के पास रहनी चाहिये, वह था तो अच्छा, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है।

[श्री प्रतापबहादुर सिंह]

इस बात को कार्यान्वित होना चाहिये कि लेखपाल हर साल या छमाही उसकी एक नकल ग्राम के प्रधान को दे दिया करे और मैं श्रीमन्, यह कहूंगा कि गांव के प्रधान को यह हक दिया जाय कि जो इंतखाब पटवारी देता है उसको वही दे दिया करे और कानून में यह आवश्यक कर दिया जाय कि हर छठे महीने पटवारी गांव के प्रधान को कागजों की एक नकल दे दिया करे। क्योंकि आज काश्तकार को पता नहीं चलता है कि उसका खेत उसके नाम भी है या नहीं और ले दे कर गलत इंदराज कर दिया जाता है और आज तक इस गलत इंदराज का ठीक इलाज नहीं मिल पाया है। मैंने अपने जिले में गांव प्रधानों को नकल मिलने के बारे में पूछा तो बताया गया कि कानून में तो है लेकिन यह जरूरी बात नहीं समझी जाती है। इसलिये यह जरूरी समझा जाय जिससे गलत इन्दराज न हो सके।

चौथी बात वसूली की आती है। मुझे क्षमा कीजिये, मैं भी पहले जमींदार रहा हूं लेकिन आज सरकार के पास बहुत बड़ी जमींदारी है, उसके ऊपर सरकार को हुकूमत करने का हक है। उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि उस वक्त जब वसूली की बात आती थी तो जमींदार अपनी मालगुजारी तो दे देता था मगर वह लगान वसूल नहीं कर पाता था। २-२, ३-३ साल में जाकर वसूल होता था और कहा जाता है कि सख्ती की जाती थी, लेकिन अब तो सरकार इतनी सख्ती करती है कि तीन तीन रुपये के लिये लोगों पर रस्सा पड़ता है। मेरे पास स्वतंत्र भारत की एक कटिंग है।

श्री अध्यक्ष---आप अखबार की कटिंग को कोट नहीं कर सकते।

श्री प्रतापबहादुर सिंह---३ रुपया १० आने के लिये एक किसान पर रस्सा पड़ा। तो श्रीमन्, अब वही बातें होने लगीं। ४-५ साल में ही वही बातें शुरू हो गयीं। ये बातें नहीं होनी चाहिये। अगर यह भी मान लिया जाय कि किसानों को पूरी आमदनी हो जाती है और लगान देने को बच जाता है तो जो अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं, जो कि ६ एकड़ से कम की हैं, उनके काश्तकार लगान को समय पर नहीं दे पाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार कुर्क जमीनों की लिस्ट बनाने को कह दे और यह हिदायत कर दे कि ऐसे लोगों के साथ रियायत बरती जाय और जब तक वह लगान देने के काबिल न हो जायं, उसके साथ सख्ती न की जाय। जबरदस्ती का लफ्ज तो बहुत पुराना है, आज जनतंत्र के युग में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, मैं बहराइच का रहने वाला हूं। मेरे यहां घाघरा नदी है और उसके किनारे किनारे बांध बनाया गया है। इसके बीच की आराजी बरसात में भर जाती है, इस साल भी यह तजुर्बा हुआ। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जो दरिया या बांधों के बीच में पड़ गये हैं, उनके साथ खास रियायत की जाय। जब तक कि उनकी स्थिति ठीक न हो जाय, उनको लगान में छूट दी जाय। इसके अलावा वहां पर गन्ने वगैरा की फसल बुआई जाय क्योंकि जड़हन और ज्वार बह जाते हैं। ऐसी स्थिति २-४ साल तक रहेगी। इसलिये ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र मान कर तहसीलदारों को समझा दिया जाय कि उनके साथ सख्ती न की जाय बल्कि उनका लगान आधा कर दिया जाय।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माल विभाग की प्रगतिशीलता के ऊपर मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इस माल विभाग ने १३५६ फसली में एक बारगी लोगों को उनके खेतों पर कब्जा दे दिया। जो मूल रूप से जोतने वाले थे, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से उनको कब्जा दे दिया, अधिकार दे दिया। उसके पूर्व चाहे भूमि पर उसका कब्जा रहा हो या न रहा हो, अगर ३ वर्ष से उसका कब्जा है तो उसको पूरा अधिकार उस भूमि पर हो गया और यह सब केबिनेट ने माल विभाग की सहायता से किया। ऐसी भी अनेक धारायें कानून में उसने रखीं जिनके द्वारा लैंडलेस लेबरर को जमीन दी गयी, आदि आदि ऐसी बातें हैं जिनको भूला नहीं जा सकता। मुझे

आश्चर्य है कि माल विभाग के बजट के अवसर पर भी परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं। अभी कटमोशन के प्रस्तावकर्ता ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनको सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह कहा है कि यहां पर लैंड टिलर आफ दि स्वायल को नहीं दिया गया है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारवतर्ष में वह कौन सा प्रदेश है जहां पर कि शिकमी काश्तकारों को पूर्णरूप से अधिकार दे दिया गया है। यह निर्विवाद है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जमीन जोतने वाले का उस पर पूर्णरूप से अधिकार हो गया है। अभी एक प्रवक्ता ने सदन में बतलाया कि सीरदार, भूमिधर, अधिवासी हैं, आसामी का नाम लेकर वे अपना भाव स्पष्ट करना चाहते थे जिसको मैं समझ नहीं पाया। ३० अक्तूबर, सन् १९५४ के पूर्व जितने अधिवासी थे उन सबको केबिनेट ने एक शोशे में सीरदार बना दिया। अधिवासियों को पूर्णरूप से सीरदार बना दिया और कुछ ही काल के भीतर, मैं समझता हूं कि विधायन चल रहा है और मेरा ऐसा विश्वास है कि केवल भूमिधर ही रह जायेंगे।

इसके अलावा हमारे यहां के किसानों का इस इकनामिक युग में, इस आर्थिक ढांचे में जो लाभ हुआ है, मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश की सरकार के माल विभाग ने जिस तरीके से काम किया है, उस तरह से दूसरी कौन-सी सरकार काम कर सकी है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो इसने किया है वह यह कि खसरे का निर्मूल्यीकरण हो गया है। खसरा जो है डाकुमेंट आफ पजेशन माना जाता है जिसको लेकर इतना विवाद चलता है, इतनी बहस चलती है लेकिन अब माल विभाग ने खसरे को परीक्षण काल का डाकुमेंट माना है और खतौनी को एक विशेष डाकुमेंट माना है जिसमें पूरा रेकर्ड रहता है। अगर परीक्षण काल में कोई इन्दराज हो जाय तो उसका कोई महत्व नहीं होता है जब तक कि पूर्णरूप से निरीक्षण होने के बाद खतौनी में उसका इन्दराज न हो जाय। अब खसरे के बजाय केवल खतौनी ही खतौनी रह गयी है। मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि सम्भव है कि बहुत से लोगों की समझ में ये बातें न आ सकें और वे इसको बिलकुल एक आकाश कुसुम की बात समझें। पटवारी के लिये यह लाजिमी है कि वह खाना कैफियत में रिपोर्ट करे और दो तीन जगह टिप्पणी करे और टिप्पणी में इस बात को स्पष्ट करे कि यदि अनियमित रूप से ऐसी कोई बात हो तो विधानतः उसका कोई मूल्य न माना जाय। मैं समझता हूं कि माल विभाग ने ऐसी रचना करके कुछ थोड़ी सी गलती ही की है क्यों कि परीक्षण काल के इन्दराज का सरकार कोई मूल्य ही नहीं समझेगी, तो ऐसे रूल्स बनाने से क्या फायदा हो सकता है? नियमित रूप से जो भी विधान बने उसका मूल्य होना चाहिये। विधान को देखने से मालूम होता है कि परीक्षणकाल के खसरे का कोई मूल्य ही नहीं है तो फिर केवल खतौनी ही खतौनी रह गयी है। मैं समझता हूं कि उससे बहुत लाभ है। यह दूसरी बात है कि फौजदारी अदालतों के बारे में सब-इंसपेक्टर को कानून न मालूम हो तो सरकार को चाहिये कि वह अपने सब-इंसपेक्टरों को कानून पढ़ावे और इन्दराज खसरा और खाना कैफियत के अनुसार उनको प्रोत्साहन दे कि वे फसलों को कटवाने की इजाजत दे दें और इधर-उधर की बातें न देखें। जहां हमारे स्वयंसेवक हैं या हमारे समाजसेवी हैं, वहां ऐसे अन्धेर की बातें नहीं चलती हैं, लेकिन ऐसी अनेक बातें हैं जिनके लिये माल विभाग की जितनी भी प्रशंसा की जाय उतनी ही कम है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा अपने माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान एक विधान की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि माल विभाग का जितना भी काम है वह लिपिबद्ध होता है, वह कानून कायदे से बंधा होता है, उनके ऊपर डिसक्रिशनरी पावर नहीं होना चाहिये। अभी हाल में ही एक विज्ञप्ति जारी की गई है कि एम० एल० ए० उपस्थित हो जायं और परताल करें। मैं जानना चाहूंगा कि वह कौन सा विधान है रेवेन्यू कोड का कि जिसके अनुसार वह विज्ञप्ति जारी की गई है? वैसे तो कहा जाता है कि कुछ इनहेरेन्ट पावर्स हैं उनके अनुसार ऐसा कर दिया जाता है। यदि एम० एल० ए० उपस्थित भी रहेगा तो उस की सम्मति मूल्यवान नहीं होगी क्योंकि वह कोई बात नहीं कह पायेगा और मतभेद भी हो सकता है। तो क्या होगा, वोट से राय ली जायगी। मेरे खयाल में यह सारे माल विभाग के कानून के विपरीत हैं।

[श्री रामलखन मिश्र]

जिस तरीके से हम अपनी स्वेच्छाचारिता को काम में लाते हैं ---मैं किसी पर अटैक नहीं करता, लेकिन मैं फिर उसी स्वर में कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये। एम० एल० ए० का कर्तव्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का ही होना चाहिये और अधिकार उनके पूरे होने चाहिये वर्ना उससे एक असामंजस्य ही पैदा होगा।

चकबन्दी की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी ही कम है। इस प्रदेश में १ करोड़ ४१ लाख गाटे हैं और हमारे अकेले बस्ती जिले में २६ हजार गाटे हैं और वह प्रदेश के छठे भाग के बराबर हैं। हम कह सकते हैं कि किसानों को उससे बड़ा लाभ हुआ है, जिन हजारों किसानों के नाम दर्ज नहीं थे, अब चकबन्दी में उनकी जांच होने के बाद नाम दर्ज किये गये हैं। राजनैतिक पार्टियों का अनुभव अपने मन्तव्य के अनुसार जो कुछ भी रहा हो, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उसने कृषक को प्राण दिये हैं और उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। वह दीपक की अन्तिम ज्योति है...

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)-- वह बुझना चाहती है।

श्री रामलखन मिश्र---मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरी बात को आप को शान्तिपूर्वक सुनना चाहिये। यह जो लिटिगेशन पैदा होता है ..... (लाल बत्ती जलने पर) अध्यक्ष महोदय, मुझे आप ३-४ मिनट और दे दें।

श्री राजनारायण---दीपक की अन्तिम ज्योति बुझने वाली है कुछ और अवसर दिया जाय।

श्री रामलखन मिश्र---वहां जो मुकदमेबाजियां दिखाई पड़ती हैं वह सब पहले से वहां की भूमि में थीं, वह अब ऊपर आ रही हैं। उनका विसर्जन होने के बाद वहां शान्ति हो जायगी, इसलिये चकबन्दी से घबराना नहीं चाहिये।

इसके अतिरिक्त मेरा एक सुझाव यह भी है कि हमारा जिला बस्ती बहुत बड़ा है, नैपाल की सरहद तक फैला हुआ है। बांसी और डुमरियागंज और नौगढ़, तीन तहसीलों को मिलाकर अलग एक जिला कायम कर दिया जाय और शासन की दृष्टि से भी यह अति उत्तम होगा। इसके अतिरिक्त चकबन्दी कानून में धारा २२ के अन्तर्गत जो निगरानियां रोकी गई हैं उससे एक विषम वातावरण उत्पन्न हो गया है। उस अफसर को बड़ी ही कठिनाई में डाल दिया गया है और धारा २० के प्रकाशन के संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। इससे सारे प्रदेश में मन्द गति से बेचैनी फैली है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी की उनकी कर्त्तव्यशीलता पर भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। जमींदारी विनाश करने के पश्चात् पहाड़ से लेकर के सारे मैदानों के अन्तर्गत जो एक कानून बनाने की रूपरेखा उन्होंने तैयार की है और कर रहे हैं और प्रगति ला रहे हैं, उसके प्रति मैं पुनः धन्यवाद देता हूं।

*श्री रघुवीरसिंह (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, जो माननीय माल मंत्री ने यह अनुदान उपस्थित किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विभाग ने इतने बड़े क्रांतिकारी और सराहनीय कार्य किये हैं जो कि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां इस तरह के क्रांतिकारी कानून बने हों। समाजवादी व्यवस्था में सबसे पहला, क्रांतिकारी कदम जो होता है वह जमीन की व्यवस्था होती है। जमीन का इन्तजाम किस तरह से हो, जमीन किस तरह से किसानों के अधिकार में रहे और जमीन पर कब्जा करने का या काश्त करने का किसको अधिकार हो, यह समाजवादी जो प्रथा है उसमें उसका सबसे पहला रूप और सबसे पहला काम है। हमारी सरकार ने समाजवाद की तरफ सबसे पहले कदम बढ़ाया और जमींदारी का विनाश किया। काश्तकारों को उनके अधिकार दिलाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमींदारी कानून एक ऐसा क्रांतिकारी कानून है कि जो हमारे देश के किसी दूसरे सूबे में तो है ही नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं जहां इस तरह का कानून काश्तकारों को अपनी भूमि का मालिक बनाने वाला बनाया गया हो। दूसरी जो विशेषता इस कानून की है वह यह है कि इस कानून द्वारा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जमींदारी को समाप्त किया गया और इसको हमारे प्रदेश में लागू किया गया। अगर आप रूस और चीन की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां एक खूनी क्रांति हुई, उसमें लाखों आदमी कत्ल हुये, मारे गये, जमींदारों के सिर काटे गये, हर तरह से वहां तबाही और बरबादी हुई। लेकिन हमारे प्रदेश में इस कानून के द्वारा आप यह देखते हैं कि जिस वक्त यह कानून बना तो रात को जो काश्तकार सोये थे, वह सब काश्तकार थे, जमींदार के आतंक से तंग और परेशान थे, लेकिन सुबह उठते ही उन्होंने अपने आपको जमीन का मालिक पाया। इस देश में जमीन का बंटवारा इस बुरी तरह से था कि काश्तकार परेशान था। लेकिन बहुत शांति से बगैर किसी झगड़े फसाद के, बगैर किसी को जेल भेजे हुये, हमारे प्रदेश में जमींदारी का खात्मा हुआ और काश्तकार जमीन का मालिक हुआ। फिर मैं नहीं समझता कि इस तरह की आलोचनायें जो होती हैं वह क्यों होती हैं। वह क्यों नहीं देखते कि कितने सुन्दर ढंग से हमारे प्रदेश में जमींदारी का विनाश हुआ है और काश्तकारों को लाभ पहुंचा है। अब से पहले काश्तकारों की हालत को वह देखते तो उन्हें मालूम होता, और जो गांवों के रहने वाले हैं उन्हें पता है कि उनकी क्या दशा थी। वह बिलकुल एक भिखमंगे की तरह से थे, वह बिलकुल निराश थे, उनके दिमाग में कभी यह बात नहीं आ सकती थी कि वह भी एक दिन जमीन के मालिक बनेंगे। उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। उतनी ही विद्या को जानने वाला जो काश्तकार होता था वह जमींदार के मुकाबिले में खाट पर नहीं बैठ सकता था। उसके सामने सिर नहीं उठा सकता था, बिलकुल एक गुलाम की तरह से जमीन पर बैठा करता था, एक भिखमंगे की तरह से रहता था। लेकिन आज वह अपना सिर ऊंचा करके और सीना फुलाकर चलता है। उसे इस बात का घमंड है कि वह अपनी जमीन का मालिक है और जमींदारों की जो गिरफ्त हमारे ऊपर थी वह सब साफ हो गई है। इसलिये ज्यादा विस्तार में न जाते हुये मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह एक महान् क्रांतिकारी कानून है और समाजवाद की तरफ ले जाने वाला कदम है। समाजवाद में पहला काम होता है जमींदारी को खत्म करना और उसे हमारे माल मंत्री जी ने खत्म किया। उसके लिये मैं मालमंत्री जी को बधाई देता हूं।

दूसरी बात जो चकबन्दी कानून है और जिसकी बहुत आलोचना होती है, जिसके बारे में तरह-तरह की बातें कही जाती हैं, उसके बारे में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। यह मैं मानता हूं कि गलतियां हो सकती हैं, उसमें कमियां हैं, दिक्कतें हैं। जो कठिनाइयां सामने आती जाती हैं उनको दूर किया जाता है। इसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि उससे नुक्सान ज्यादा है या फायदा। मैं एक किसान हूं। आजकल जहां चकबन्दी नहीं हुयी है उससे हमें इतना बड़ा नुकसान होता है कि अगर किसी आदमी के ४ छोटे-छोटे खेत हैं, वह ४ जगह पर हैं, तो काम करने में वक्त ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है, रखवाली भी नहीं होती है। लेकिन चकबन्दी होने से सारे खेत एक जगह हो जाते हैं जिससे काम करने में काफी सहूलियत होती है, नुकसान भी कम होता है, वक्त भी बचता है। दूसरे इससे खेतों का उत्पादन काफी तेजी के साथ बढ़ जाता है और सिंचाई के साधन भी बढ़ जाते हैं और खेती को अच्छे ढंग से करने के लिये काफी साधन उपलब्ध हो जाते हैं। तो चकबन्दी भी जमींदारी खत्म होने के बाद दूसरा क्रांतिकारी कदम है जमीन के मामले में, किसान को ऊंचा उठाने वाला कदम है, समाजवाद की तरफ ले जाने वाला एक और कदम है। जहां चकबन्दी हो रही है वहां लोगों में काफी उत्साह है। कुछ लोगों को शिकायतें होती हैं, लेकिन मैंने आम तौर पर यह देखा है, हमारे जिले में तहसील सरधने में चकबन्दी हो रही

[श्री रघुबीर सिंह]

है, वहां मैंने देखा है बहुत कम लोगों को इस तरह की शिकायतें हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई।

मैं एक गांव में गया वहां लोगों ने चकबन्दी की शिकायतें कीं। मैंने उनसे पूछा आप यह बतायें कि आपके गांव में कितने गाटे बने तो उन्होंने कहा ३०० बने हैं जिनमें से बहुत कम के बारे में ज्यादती की शिकायतें हुयीं। तो जो बड़े जमींदार हैं, जिनकी जमींदारी छिन गई है और अब भी उनके पास कुछ रह गयी वही छोटे लोगों से नाजायज फायदा उठाने के लिये ताकि उनको अच्छे चक मिलें, सरकारी कर्मचारी उनके दबाव में आकर उनको फायदा करा दें, दूसरे लोगों को डरवाते हैं। लेकिन दरअस्ल काश्तकार इससे खुश हैं। यह भी एक क्रांतिकारी कदम है। इससे किसानों की पैदावार बढ़ेगी, उनकी तरक्की होगी। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं तथा इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--श्रीमन्, सरकार की तरफ से जमीन के संबंध में जितनी बातें कही गयीं कि जमींदारी तोड़ने का बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर मुझे कहना है।

श्रीमन्, हमारे साथी मलिखान सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जमींदारी टूटने से यह फायदा तो हुआ कि आजकल खुद सरकार जमींदार हो गयी। किसान इस बात को सोचता था कि जब जमींदारी टूट जायगी तो वह अपनी जमीन का मालिक होगा। जमीन किसी की बनाई हुई नहीं है। कारखाने में भी जब कोई चीज बन जाती है तब उस पर सरकार टैक्स लगाती है लेकिन जमीन को किसी ने बनाया नहीं। जमीन पर किसान मेहनत करके खेती करता है। सरकार तब कोई टैक्स ले जब उससे आमदनी हो। अंग्रेजों ने भी पहले जमीन पर टैक्स नहीं लगाया था। चलते हुए आदमियों से कहा कि १०-२० गांवों के मालिक बन जाओ और उससे आमदनी दो। लेकिन अब सरकार क्या करती है कि खुद किसान से टैक्स लेती है। तो मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे काश्तकार से क्या लेते हैं लगान लेते हैं? या आमदनी लेते हैं? अगर सरकार आमदनी लेती है तो २ एकड़, ५ एकड़ या १० एकड़ जमीन के अन्दर कोई आमदनी नहीं होती। सरकार हमको आंकड़े दे कि २, ५ या १० एकड़ जमीन में काश्तकार अपना और अपने परिवार का खर्चा काटने के बाद क्या आमदनी करता है? सरकार जो किसान से टैक्स ले रही है तो उसने खुद जमींदार की हैसियत अख्तियार कर ली है।

अगर काश्तकार अपनी जमीन का खुद मालिक है तो फिर आपको टैक्स क्यों देगा? अगर आमदनी पर देता है तो उसको आमदनी होती नहीं। कहा जाता है कि बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। २ एकड़ जमीन के जोतने वाले इस सूबे में ५५ फीसदी किसान हैं और ५ एकड़ जमीन के जोतने वाले २५ फीसदी के करीब हैं। इन छोटे-छोटे काश्तकारों से, सरकार बतलाये कि वह मालगुजारी लेती है या लगान लेती है। लगान लेती है तो फिर सरकार खुद मालिक है और अगर मालगुजारी लेती है तो उसके मानी हैं कि आमदनी लेती है। लगान कभी भी मालिक नहीं देता। लगान हमेशा वह देगा जो दूसरे के हिस्से में जाकर रहेगा। पहले जब जमींदारी टूटी नहीं थी तब १८ करोड़ रुपया लगान जमींदार वसूल करते थे और उसमें से ७ करोड़ वे सरकार को देते थे आमदनी का और ११ करोड़ खुद रखते थे। अब सरकार बजाय ७ करोड़ लेने के २२ करोड़ लेती है। तो मेरा सीधा सवाल है सरकार से, अगर उसने काश्तकार को मालिक बनाया है तो आमदनी वह उससे ले और २ एकड़, ५ एकड़, या १० एकड़ में आमदनी होती नहीं, और अगर वह लगान लेती है तो फिर इस बात को झूठ बोलती है कि हमने जमीन का मालिक काश्तकार को बनाया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—'झूठ' अनपार्लियामेंटरी है।

श्री बलवानसिंह—यह मुझे कहने का अधिकार है।

श्री चरणसिंह—मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं। तात्पर्य चाहे माननीय सदस्य का कुछ भी रहा हो लेकिन आपने कहा है कि "फिर आप झूठ बोले हो।" सरकार के लिये तो कहा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—'झूठ' शब्द का प्रयोग न हो तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बलवानसिंह—मेरा मतलब यह था कि 'सरकार काश्तकारों से झूठ बोलती है।'

श्री अध्यक्ष—आप बैठें। 'झूठ' शब्द नहीं समझा गया कि वह पार्लियामेंटरी है। अब जिस कांटेक्स्ट में आपने उस शब्द का उपयोग किया उसमें आपका यह मतलब नहीं है कि इरादतन कोई सदस्य जान-बूझकर झूठ बोला, बल्कि जो उसने बात कही वह असत्य है यह आपका तात्पर्य है। इसलिये मैं कहता हूं कि आप 'झूठ' शब्द का प्रयोग न करें जिसमें भ्रम पैदा हो सकता है। आप कहिये कि 'यह सत्य नहीं है, असत्य बात है।'

श्री बलवान सिंह—राजस्व मंत्री को अगर एतराज है तो मैं 'असत्य' कहूंगा। तो मेरा यह सीधा सवाल है कि आप जो काश्तकार से कहते हैं कि हमने तुमको सहूलियतें दी हैं, तो उसके सामने अपनी साफ तसवीर रखें। अगर काश्तकार जमीन का मालिक है तो वह फिर आमदनी देगा और श्रीमन्, आमदनी कभी भी, जो होती है वह खर्चे को काट कर होती है।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे। सवा बज गया है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

सरकार द्वारा 'ब्लिट्ज' को विज्ञापन दिये जाने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—किस विषय का?

श्री राजनारायण—ऐसा है कि 'ब्लिट्ज' एक अखबार है। उसमें श्री गोविन्द नारायण जी, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी ओर से एक एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है और उनकी प्रशंसा में लेख भी है। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि इस सदन ने 'ब्लिट्ज' को कोई विज्ञापन देने की मनाही की है। इसलिये अगर यह बात है तो इस सदन का क्लियर कंटेम्ट हुआ है क्योंकि अगर सदन किसी अखबार को विज्ञापन देना बन्द कर दे.....

श्री उपाध्यक्ष—यह बहस की बात नहीं है, आप चाहते क्या हैं?

श्री राजनारायण—मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है और चूंकि यह चीज मुझे अभी मालूम हुई है इसलिये मैं अर्लिएस्ट अपारचुनिटी ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, इसको लिख कर भेजिये तो उस पर कार्यवाही होगी।

१९५८–५९के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १–लेखा शीर्षक ४–कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २–लेखा शीर्षक ७–मालगुजारी, अनुदान संख्या २२–लेखा शीर्षक ४०–उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३५–लेखा शीर्षक ५४–दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निध को संक्रमित धनराशि

श्री बलवानसिंह---श्रीमन्, मैं कह रहा था कि सरकार एक अपनी ठोस नीति रखे। इस सरकार की दस साल की जिन्दगी में यह सबसे बड़ा काम माना जाता है कि उसने इस सूबे से जमींदारी खत्म की। लेकिन इससे काश्तकार को क्या राहत मिली ? गांव का काश्तकार इसी चीज को जानना चाहता है। अगर आप उससे कोई मालगुजारी या कर लें तो किसी सिद्धांत पर लीजिये। शहर के अन्दर म्युनिसिपैलिटी जो मालगुजारी लेती है या इन्कम टैक्स लिया जाता है तो वहां पर यह साफ रूल है कि जब तक उसकी ३०० रुपये महीने की आमदनी नहीं होगी---२५० रुपये महीना भी हो सकता है---तब तक उससे मालगुजारी या इन्कमटैक्स नहीं लिया जायगा। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि वही कानून इन काश्तकारों पर भी क्यों न लागू हो ? ये काश्तकार भी तो अपने जीवन के लिये बड़ी-बड़ी मेहनत अपने खेतों पर करते हैं। जब यह सरकार सैकड़ों व्यवसायों को छूट देती है और इतनी छूट देती है कि जब तक उस व्यवसाय से आमदनी न हो तबतक सरकार उससे कोई भी पैसा मालगुजारी या इन्कम टैक्स का नहीं लेगी, तो फिर खेती के धंधे में भी यह सरकार वही कानून क्यों नहीं लागू करती है ? मेरा यह सीधा सवाल सरकार से है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस सवाल का जवाब देगी।

एक एकड़ और दो एकड़ जमीन के काश्तकार को कभी आमदनी नहीं हो सकती। मैं सरकार को एक सुझाव देता हूं। यह सरकार जानती है कि आधी आमदनी कास्ट आफ प्रोडक्शन पर खर्च हो जाती है इसलिये बाकी में से अगर चौथाई की आमदनी पर सरकार मालगुजारी रखे तो एक अच्छा सुधार होगा। मेरा तो यहां तक कहना है कि जिस तरह से राजस्व मंत्री जी ने माना है कि सवा ६ एकड़ जमीन तक की जोतें अलाभकर हैं तो यह सरकार उनको बिलकुल माफ कर दे। इससे सरकार को मुश्किल से १० करोड़ रुपये का नुक्सान होगा। अभी तक श्रीमन्, इस सूबे में ४० करोड़ रुपया गबन का ऐसा पड़ा हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिये यह १० करोड़ रुपये की एक बहुत ही छोटी सी रकम होगी। जब यह सरकार ४० करोड़ रुपये को बरदाश्त कर सकती है तो १० करोड़ की छोटी सी रकम जिस से करोड़ों इंसानों का संबंध है, उसको भी बर्दाश्त करे। इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीय माल मंत्री जी इस चीज पर विचार करें।

दूसरी चीज श्रीमन्, मैं चकबन्दी के सिलसिले में रखना चाहता हूं। इस चकबन्दी से क्या होगा क्या यह माननीय मंत्री जी नहीं जानते। मुजफ्फरनगर में चकबन्दी हुई और इस तरह से इस सूबे में २३ जिलों में चकबन्दी हो रही है। इस पर सालाना एक करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। जिस तरीके से चकबन्दी हो रही है उससे किसी प्रकार की शांति किसानों को नहीं मिलेगी और न कोई चकबन्दी ही होगी। इसलिये मेरा कहना यह है और सोशलिस्ट पार्टी का तो पहले से ही कहना है कि जब तक जमीन का बंटवारा न करो तब तक चकबन्दी से कोई फायदा नहीं है। हालांकि मंत्री जी इसको नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इस बात की जिद में हैं कि हम चकबन्दी करके रहेंगे तो फिर मेरा एक छोटा सा सुझाव यह है कि जब तक गांवों के कागजात की दुरुस्ती न हो जाय तब तक आप चकबन्दी न करें। आज हर तहसील में हजारों झगड़े हो रहे हैं, जमीन पर कब्जे के सिलसिले में और सरकारी आदमी और पुलिस किसानों को लूट रही है .....

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—जहां से आप आये हैं वहां पर चकबन्दी हो रही है या नहीं ?

श्री बलवानसिंह—कानपुर में अभी चकबन्दी नहीं हो रही है। मेरा कहना है कि पहले आप कागजात की दुरुस्ती कराइये और तब जाकर चकबन्दी का आर्डर दीजिये।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह इतनी सीधी है कि मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं अपने लायक दोस्त को मश्विरा दूंगा कि इस सिलसिले में कुछ कहने से पहले वे कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्ज रूल्स को पढ़ लें। उसमें पहला काम ही यही है कि कागजों की दुरुस्ती की जाय। केवल ९ महीने दुरुस्ती कागजात पर खर्च हो जाते हैं और उसके बाद ही चकबन्दी होती है। फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पहले कागजात की दुरुस्ती करा दी जाय फिर चकबन्दी हो।

श्री बलवानसिंह—लेकिन जो दुरुस्ती हो रही है उसमें धांधलेबाजी हो रही है। ९ महीने तो क्या अगर आप १० साल भी कागजात की दुरुस्ती के लिए दे दें तो उससे क्या होता है ? आपने यह चीज कानून में तो डाल दी है, लेकिन उस पर अगर अमल न किया जाय तो कोई क्या करे ? एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं और वह यह कि आपने भूमिधरों को जमीन बेचने का अधिकार दे रक्खा है। आप चकबन्दी करेंगे और उसके बाद बेची हुई जमीन के हिस्से दूसरी तरफ जायंगे। तो फिर आपकी चकबन्दी कहां हुई ? हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें जितने बच्चे हैं उतनी ही जगह बटवारा होगा, तो फिर आपकी चकबन्दी कैसे होगी ? इसलिए आपको चाहिए कि आप कानून को ठीक करें ताकि चकबन्दी मजबूत हो। यह मेरा एक सुझाव है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि जहां तक मुआविजा देने का सवाल है उसमें अब भी सरकार अपनी गल्ती को संभाल ले और कम से कम बड़े आदमियों को मुआविजा देना बन्द कर दे। कहां तक आप करोड़ों रुपया मुआविजे का देंगे ? अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप उस चीज को देना ही चाहते हैं तो गरीब आदमियों को दें। अब आपने तकावी वसूल करनी शुरू कर दी है, डंडे मार मार कर। एक तरफ मालगुजारी और दूसरी तरफ तकावी, तो इससे क्या होगा ? इसलिये मेरा सुझाव यह है कि आप इन बड़े-बड़े आदमियों को कम्पेन्सेशन देना बन्द कर दें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—बड़े आदमियों से आपका मतलब क्या है ? वे कहां से शुरु होते हैं ?

श्री बलवानसिंह—माननीय सदस्य उसको जानते होंगे कि बड़े कौन हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो २ हजार से ऊपर मालगुजारी देते हैं वही बड़े-बड़े जमींदार हैं। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जमीनों के ऊपर सीमा बांध दीजिये। एक तरफ हमारे माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि वृहत्-जोतकर के हिसाब से लोग बड़ी जोत नहीं रखेंगे। यदि आप यह समझते हैं कि यदि उनके ऊपर टैक्स लगाया जायगा तो वे जमीन छोड़ देंगे तो यह विचार गलत है। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक हद बांधिये। आप जो यह अनुभव कर रहे हैं यह १०० वर्ष के बाद भी फेल होगा। टैक्सेशन से जो एकरेज बढ़ेगा उसके डर से किसान उसको छोड़ नहीं सकता। अगर आप यह समझते हैं कि वह छोड़ देगा तो आपकी यह भूल है।

[श्री बलवान सिंह—]

मेरा एक और भी सुझाव है। कृषि पंडितों का यह कहना है कि जितनी पैदावार छोटी जोत की इन्टेन्सिव कल्टीवेशन से बढ़ती है उतनी पैदावार बड़ी जोत की १०० एकड़ के फार्म या खेत की उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। सरकार ने खुद भी यह कहा है कि बड़ी जोतों से फायदा कम होगा।

मैं यह पूछूंगा कि आखिरकार आप चकबन्दी पर इतना जोर क्यों देते हैं? जब यह सरकार मानती है कि कोआपरेटिव फार्मिंग आयेगी और सरकार की यह पालिसी है और उसकी पार्टी की तरफ से यह एलान हुआ है तो फिर आप क्यों चकबन्दी की बात करते हैं? यह हो सकता है कि माननीय मन्त्री जी अपने असर से थोड़े बहुत समय तक कोआपरेटिव फार्मिंग को रोक दें, लेकिन देश के अन्दर कोआपरेटिव फार्मिंग जरूर एक दिन आयेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि बड़ी जोत के ऊपर फी एकड़ उतनी पैदावार नहीं होती जितनी कि छोटी जोत पर होती है। यह कृषि पंडितों का कहना है और माननीय मन्त्री जी को इसको मानने में कोई उज्र नहीं होगा। इसलिये मेरा यह ठोस सुझाव है और सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों पर मैंने यह सुझाव रखा है। अगर इस सिद्धान्त से देश के किसानों का लाभ हो तो सरकार को यह मान लेना चाहिये। अगर वह इस बात को नहीं मानते हैं इसलिये कि यह सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से सुझाव आया है, तो इससे किसानों का नुकसान होगा और देश का भी इससे नुकसान होगा।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज जो मुझे सदन में बोलने के लिये समय दिया मैं इसके लिये आपका आभारी हूं। माननीय मन्त्री महोदय से मुझे आज प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुए यह प्रार्थना करनी है कि कुमायूं डिवीजन के हरिजन किसानों को सरकार की कृपा से ३ हजार एकड़ जमीन तराई भावर में मिली है। वह नैनीताल की तराई में है इसके लिये मैं सरकार का आभारी हूं। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि वहां पर आये हुए लोगों के पास उस भूमि को आबाद करने के साधन नहीं हैं। तराई भावर ऐसी जगह है कि जहां बड़ी लम्बी घास होती है इसलिये उस भूमि को आबाद करना आसान नहीं है जब तक कि सरकार अपने ट्रैक्टरों द्वारा उस जमीन को एक बार जोत न दे। इस सिलसिले में हमने वहां के अधिकारियों से बातचीत की और सब इस नतीजे पर पहुंचे कि इसकी जुताई के लिये कम से कम फी एकड़ ५० रुपये के हिसाब से खर्च बैठेगा। उस ३,००० एकड़ जमीन के पांच एकड़ को मवासा के हिसाब से अनुपयुक्त भूमि निकाल कर ४७२ प्लाट हुए हैं और उसकी जुताई का कुल खर्च १ लाख ३५ हजार रुपया आता है। इसके अलावा वह जगह जंगल के बीच में है। चारों तरफ से जंगली जानवरों का डर है। उस जगह को घेरने के लिये ८ मील की लम्बान में जो तार आदि चाहिये उसके लिये कम से कम ४८ हजार रुपये की आवश्यकता होगी। इसके बाद उन ४७२ प्लाटों में ९ गांव बसाने की योजना है। हर गांव में कम से कम अगर एक कुआं बनाया जाय तो प्रति कुएं के लिये ३,००० रुपये के हिसाब से ९ कुओं के लिये २७,००० रुपया चाहिये। इस तरह से १ लाख ३५ हजार रुपया जुताई के लिये, ४८ हजार रुपया घेर-बाड़ के लिये और २७ हजार रुपया कुओं के लिये, कुल मिला कर २ लाख १० हजार रुपये का खर्च बैठता है। जब तक सरकार इतना खर्च उस जमीन पर नहीं करती तब तक वहां पर भूमिहीनों को जमीन देना न देने के बराबर है क्योंकि वे वहां जाकर उसे आबाद नहीं कर सकते। वे साधन हीन हैं, भूमिहीन हैं, दीन और गरीब हैं। खराब हालत में हैं। अगर वे ऐसे न होते तो पहाड़ छोड़ कर तराई भावर में न आते। यहां आये हुए उनको चार, छ, आठ महीने हो गये हैं, लेकिन खेती वे नहीं कर पा रहे हैं। कारण साधनों का न होना ही है। थोड़े से लोगों ने अपने साधनों से एक दो एकड़ आबाद भी किया, लेकिन वहां के जंगली जानवरों ने उनकी खेती को बरबाद कर दिया है। उसका कोई नतीजा नहीं निकला है।

५४-दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि

अभी मैं और कई सदस्य जनवरी, फरवरी में वहां गये और उनकी हालत देखी। मेरा खयाल है कि जब तक सरकार से यह सहायता उनको नहीं मिलती तब तक वे आबाद नहीं हो सकते। मैं पहले भी माननीय माल मंत्री से मिलना चाहता था, लेकिन वे मिल न सके इसलिये अब मैं उन दीन और दुखी लोगों की ओर से प्रार्थना करता हूं कि उनका यह काम सब से पहले कर दिया जाय ताकि उनकी रोटियां अच्छी प्रकार से चल सकें और वह उस जमीन से फायदा उठा सकें। उनमें से काफी लोग तो आकर वापस चले भी गये हैं क्योंकि उनकी जीविका का कोई दूसरा साधन वहां नहीं है, बहुत से वहां पड़े भी हैं। मैं तो चाहूंगा कि मंत्री जी स्वयं वहां जाकर देखें तो उन्हें असली हालत मालूम हो जायगी। मैं चाहता हूं कि उन्हें भूमिहीनों के बजाय भूमिधर बना दिया जाय। पहाड़ के भूमिहीनों का बहुत समय से भूमि के लिये आन्दोलन चल रहा है और उन्होंने ५० हजार एकड़ भूमि की मांग पेश कर रखी है। उसमें से कुछ थोड़ी सी कहीं स्वीकृत हुई है। सिर्फ ३,००० एकड़ भूमि शिल्पकार कालोनी के रूप में यहीं मिली है। यदि इसमें कामयाबी नहीं हुई तो लोग निराश हो जावेंगे और राष्ट्रीय सरकार के होने से यह लाभ नहीं हुआ तो उनकी निराशा राष्ट्र के लिये खराब होगी। इसलिये इस कमजोर अंग को शीघ्र बलवान बनाने की आवश्यकता है इतना ही मुझे कहना है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मलिखान सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, माल विभाग का सम्बन्ध अधिकतर किसानों और गांव की जनता से है। देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये अगर उन लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी गई तो देश की स्थिति नहीं सुधर सकती है। महात्मा गांधी जी के भी यही शब्द थे। उनकी स्थिति कृषि में सुधार होने से, अच्छे बैल, बीज, औजार और जमीन होने से सुधर सकती है। लेकिन उनके ऊपर लगान, आबपाशी और टैक्सों का इतना ज्यादा बोझ है कि वह ये चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस लिये इनमें कमी की जाय। लगान के साथ किसान के ऊपर सैकड़ों तरह के टैक्सों का भार लादा जा रहा है। लगान की कमी के बारे में मंत्रीजी कहते हैं कि उन्होंने सेटिलमेन्ट रूल्स के मुताबिक, जो १९०१ में चीजों के भाव थे उनके मुताबिक शरह मुकर्रर की है और वह पैदावार का १/५ हिस्सा है। चूंकि आजकल खाद्यान्नों की कीमत ४ गुनी हो गई है, इसलिये वह आकर १/५ के बजाय १/२० रह गई है, तो लगान में कमी हो गई। दलील तो बड़ी सुन्दर है लेकिन अगर उन चीजों की कीमत भी देखी जाय जो काश्तकार को खरीदनी होती हैं और जिनकी कीमत ४ गुने के बजाय ५ और ६ गुनी हो गई है, इसलिये काश्तकारों को पहले के मुकाबले अब ज्यादा देना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, परती जमीनों के बटवारे में गांव समाजों को अधिकार दिये गये हैं कि उसे भूमिहीनों में बांट दें। लेकिन गांव समाज के निर्माण और पंचायतों के चुनाव के तरीके की वजह से गांव समाज और पंचायतों पर उन्हीं लोगों का अधिकार है जो गांव में प्रभावशाली हैं और छोटे किसानों और गरीबों पर उनका असर है। इसका नतीजा यह है कि परती जमीनों पर खेतिहर मजदूरों और भूमिहीनों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है और वे जमीनें सभापतियों ने अपने सम्बन्धियों, मित्रों या रिश्तेदारों को पट्टा कर दी हैं। अभी मुझे एक गांव के बारे में मालूम हुआ कि २५ बीघे का पट्टा सभापति ने अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया है जो वहां से १० मील पर रहते हैं, जब कि गांव में ही बहुत से खेतिहर मजदूर और भूमिहीन व्यक्ति मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि पट्टा तस्दीक करने से पहले कानूनगो यह अवश्य देख ले कि ऐसे पट्टे जिनके नाम किये गये हैं उनके पास पहले से भूमि है या नहीं, और अगर है तो उसके कैंसिलेशन की सिफारिश कर वह एस० डी० ओ०

[श्री भीखालाल—]

के पास भेज दे। बहुत सी आराजी ऐसे काश्तकारों को दी गई है जिनके पास पहले से आराजी है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी एक नक्शा तैयार करावें कि गांव समाज द्वारा जो पट्टे किये गये हैं उन पट्टेवालों के पास पेश्तर से कितनी जमीन है? इस मामले को देखना चाहिये।

बहुत सी जमीनें गांव समाज के अलावा वन विभाग को देदी गई हैं। उसका नोटीफिकेशन सन् १९५२ में गजट द्वारा हो गया था। गांव समाज वाले गजट नहीं देखते हैं और न उन्हें इसका पता ही चला। उसमें गांव समाज के अधिकारियों ने कुछ जमीनों के पट्टे कर दिये हैं और कुछ पर काश्तकारों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। यदि वे भूमिहीन हैं तो उन्हें अधिकार दे देना चाहिये। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा था कि उन्हें अदालत जाना होगा, लेकिन मेरा कहना है कि अगर वे भूमिहीन हैं तो अदालत न दौड़ा कर उन्हें सुओ मोटो अधिकार दे देना चाहिये। यह न्याय संगत नहीं है कि जिस जमीन में गल्ला पैदा हो सकता है उसमें हम बबूल बोवें।

भूमिहीनों को जमीन देने की बात और खेतिहर मजदूरों को साधन देने की बात यहां पर बारबार आती है और लगभग सभी पार्टियों की ओर से कहा जाता है कि जमीन की हदबन्दी की जाय और बची हुई जमीन का बटवारा किया जाय। जैसे हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को शब्द 'भ्रष्टाचार' से चिढ़ है उसी तरह से माल मंत्री जी को इस 'हदबन्दी' और 'जमीन के बटवारे' शब्दों से चिढ़ है क्योंकि पिछली दफा भी आपने कहा कि हदबन्दी के बाद बटवारे के लिये पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं बचती है। उन्होंने आंकड़े दिये और कहा कि साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन जेरेकाश्त है, केवल पौने छै लाख एकड़ जमीन बच जाती है। पौने छै प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। तो जितनी भी जमीन मजरुआ और गैर मजरुआ बच जाती है, उसको खेतिहर मजदूरों में बांट दीजिये। उसके बांटने में आपको क्या ऐतराज है? यही कि यह छोटा सा काम है। तो छोटा काम तो आप करना नहीं चाहते हैं और बड़ा काम या बड़ी योजना आप ले नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि भूमिहीनों को जीविका का साधन देने के लिये आपने कौन सी योजना चलाई है?

अब पटवारियों के इन्दराज के संबंध में मैं कुछ कहूंगा। पटवारियों के कागजात के गलत इन्दराज को लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की दफा ३९-४० के तहत दुरुस्त किया जाता है। वह गलती या तो पटवारी की लापरवाही से होती है, या जानकर की जाती है अथवा काश्तकार को परेशान करने के लिये वह ऐसा कर देता है। नतीजा यह होता है कि काश्तकार को सैकड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि वह सरकारी रिकार्ड्स को ठीक रक्खे और अगर उसमें कोई गलती है तो उसको ठीक करे। अगर लेखपाल या पटवारी कोई गलत इन्दराज करता है तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी काश्तकार की नहीं बल्कि सरकार की होनी चाहिये, क्योंकि उसके कर्मचारियों ने ही वह गलत इन्दराज किया है, उसका पूरा खर्चा सरकार को ही करना चाहिये।

लगान की वसूली के सिलसिले में कुर्क अमीन लोग बहुत ज्यादतियां करते हैं। अभी तीन रोज हुए मैं एक गांव में गया था। वहां एक कुर्क अमीन साहब एक काश्तकार के पास बिना वारंट के गये। उसको पकड़ कर मारा गया और ऐसा मारा गया कि उसके कपड़े खून से लथपथ हो गये। जब थाने में इसकी रिपोर्ट की गयी तो यह जानकर कुर्क अमीन साहब ने उल्टी रिपोर्ट कर दी और अब सरकारी अहलकार की मजाहमत करने में उसके ऊपर केस चल रहा है। इसलिये कुर्क अमीनों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिये और ऐसी कार्यवाही से उनको रोकना चाहिये। मुझे आशा है कि मैंने जो सुझाव रखे हैं उनमें से जो भी माननीय मंत्री जी उचित समझेंगे, उनको मान लेंगे।

संख्या १--लेखा शीर्षक ४--कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी, अनुदान संख्या २२--लेखा संख्या ३५--लेखा शीर्षक शीर्षक ४०--उपनिवेशन तथा अनुदान ५४-दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान हमारे सामने उपस्थित है, उसके समर्थन करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि माल विभाग ने जनता के कल्याण के लिये इतने अधिक और इतने बहुमुखी कार्य किये हैं जिससे प्रदेश की जनता की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, माली हालत अच्छी हुई है और उसकी प्रतिष्ठा भी ऊंची हुई है और इस प्रदेश की जनता और हर एक किसान खुशी हुआ है। करोड़ों और लाखों किसान हमारे प्रदेश में रहते हैं, जमींदारी के समाप्त होने से उनको लाभ हुआ है। शिकमी जमींदार बन गये हैं, जमीन और काश्त उसकी अपनी हो गयी है, मकान उस का अपना हो गया है, कुआं और पेड़ उसका हो गया है, वह अपने अस्तित्व को समझने लगा है। गांव का एक-एक बच्चा, बूढ़ा और स्त्री, माननीय माल मंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे भी उनकी कामयाबी की कामना करते हैं।

अभी माननीय मित्रों ने चकबन्दी का जिक्र किया, कुछ ने कोआपरेटिव फार्मिंग का जिक्र किया, अभी एक माननीय मित्र ने लगान के आधे करने की बात भी कही, इन सब बातों के कहने में क्या रहस्य है, इसको मैं किताबों के आंकड़ों से तो नहीं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर बताने का प्रयत्न करूंगा। लगान के आधे और चकबन्दी के खिलाफ पिछले चुनावों में भी बहुत सी बातें कही गयीं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह पूरा का पूरा चकबन्दी का क्षेत्र है, वहां चकबन्दी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाजें उठाई थीं, उन लोगों की जमानतें जब्त हुई, यह सारी दुनिया को जाहिर है। मैं जानता हूं कि किसान मार्च कराने वालों और उनके प्रचार में कितनी सच्चाई है। मैं एक गांव का जिक्र कर देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के अन्दर लालपुर नाम का एक गांव है जो चकबन्दी क्षेत्र के अन्दर है। उस गांव में झगड़े के अन्दर एक कत्ल भी हो चुका है, लेकिन चकबन्दी की क्रिया इतनी अच्छी तरह से चल रही है कि उस गांव में जितने भी प्लाट्स थे उन प्लाट्स के ऊपर समझौता हो गया है। लगभग ४,००० प्लाट्स में से केवल ३ प्लाट्स उस गांव में ऐसे रह गये हैं जिन पर अभी समझौता नहीं हुआ है। कानूनी फैसला भी नहीं हुआ है क्योंकि उस स्थान पर कत्ल हो चुका है। इस प्रकार आप देखें कि जिस गांव में ४,००० प्लाट्स में ३ प्लाट्स के अलावा समझौता हो गया हो, फिर भी उस गांव के अन्दर अपने देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रचार करते हैं कि इस गांव के काश्तकारों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उस समझौते के बाद यह मीटिंग की गयी कि चकबन्दी के कारण बहुत गड़बड़ी चल रही है। तो यह नक्शा हमारे सामने है। जो किसान मार्च लेकर आये थे वे बिना टिकट के आये थे और जब बड़े स्टेशन पर उतरे तो पकड़े गये और यह सब आम लोगों के सामने है।

चकबन्दी के सिलसिले में मैं यह नहीं कहता हूं कि इसमें गड़बड़ी होती ही नहीं है, लेकिन उन गड़बड़ियों की आड़ में किसी की फर्जी लीडरी अब नहीं चल सकती है, किसी की फर्जी दलाली नहीं चल सकती है। चकबन्दी से अब लोगों की असलियत खुलती जा रही है कि कौन आदमी अपने हलवाहे के नाम अपनी जमीन लिखा देता है और कौन गरीब किसानों की और जनता की भलाई की बात करता है और मौके पर क्या करता है? आज चकबन्दी के जरिये दलालों की रोजी खतम हो रही है। दो दलाल मुकदमे लड़ा-लड़ा कर अपनी रोजी चलाते थे अब इस चकबन्दी के हो जाने से मुकदमेबाजी कम हो रही है और गांवों के अन्दर से दलाली और फर्जी नेतागीरी खत्म हो रही है। जो लोग किसानों के हित का नारा लगाते हैं, मौका आने पर उनकी असलियत खुल जाती है....

श्री उग्रसेन--सरकार की भी असलियत खुलती है।

श्री मदनगोपाल वैद्य—जितने सफेद पोश नेता हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उन सब की असलियत खुलती है, मैं तो सबके लिये कह रहा हूं। जो लोग लगान आधा करने का नारा लगाते हैं वे.....

श्री उग्रसेन—पार्टी का नाम बतलाइये।

श्री उपाध्यक्ष—बार-बार माननीय सदस्य टोकें नहीं।

श्री मदनगोपाल वैद्य—मैं प्रत्यक्ष अनुभव की बात कहता हूं कि हमारे बहुत से माननीय साथी और माननीय साथियों के साथ सहानुभूति रखने वाले लोग किस तरह से किसानों का लगान आधा करने की बात करते हैं। किसानों से कहा जाता है कि तुम अपनी जमीन का आधा ठाकुर साहब के नाम या पंडित जी के नाम लिखा दो और फिर मौज से सनातन की तरह जैसे पहले रहते थे उसी तरह से शान्तिपूर्वक रहो। हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। तो यह लगान आधा करने की तरकीब है। ऐसी हालत में किसानों की मजबूरी है कि वे क्या करें?

एक सदस्य—किसने ऐसा किया?

श्री मदनगोपाल वैद्य—मैं हजारों सैकड़ों नाम बतला सकता हूं एक मिनट के अन्दर, कम्युनिस्ट पार्टी के भाई, सर्वोदय दल के भाई ऐसे हैं जो इसीलिये उस पार्टी में चले गये कि इस तरह से उनका स्वार्थ सधे।

एक सदस्य—नाम भी तो बतलाइये।

श्री मदनगोपाल वैद्य—अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो रसूलाबाद एक गांव है, वहां के सभापति ने और सरपंच ने करीब ८० बीघे जमीन हड़प ली और वे एक पार्टी के दो आने के सदस्य भी हैं। खुद जमीन हड़प कर उसके विरोध में प्रचार करते हैं। अब और नाम मैं लेना ठीक नहीं समझता।

जहां तक कोआपरेटिव फार्मिंग की बात है, जो लोग चकबन्दी का विरोध करते हैं वे कहते हैं कि सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन क्यों नहीं देती है? जो लोग सफेदपोश हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, जितने अपने नाम खेतों पर भी लिखवा रखे हैं, वे समझते हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग हो जाने पर गांव के जो बुद्धू लोग हैं वे ही खेती करेंगे और इस तरह से उनकी भी खेती उनके द्वारा हो जायगी। तो कोआपरेटिव फार्मिंग के अन्दर असली रहस्य यही है।

आज कोआपरेटिव फार्मिंग की केवल एक भावना समाज में चल रही है, वह मेरे विचार से कहीं सफल और कहीं असफल होगी। इस विषय में अपने अनुभव के आधार पर मैं अपना निश्चित मत बताना चाहता हूं। आज केवल वही कोआपरेटिव फार्मिंग सफल हो सकती है जिसको एक प्रकार के लोग ही चलायेंगे, अगर एक कोआपरेटिव फार्मिंग केवल सफेदपोश ही मिल कर करते हैं तो वह सफल हो सकती है या केवल बुद्धू लोग ही मिलकर बनायें और चलायें तो वह सफल हो सकती है, लेकिन अगर १० बुद्धू और २ दफ्तर में काम करने वाले लोग बनायेंगे तो वह २ व्यक्ति कुछ नहीं करेंगे सिवा इसके कि कुछ थोड़ा सा हिसाब किताब लिख लें और बाकी १० ही उनकी सेवा करेंगे, इस तरह की कोआपरेटिव खेती नहीं चल सकती। कोआपरेटिव फार्मिंग सिद्धान्ततः ठीक है, लेकिन अगर बुद्धू मिलकर ही खेती करें तो सफल हो सकती है और होशियार लोग मिलकर अलग खेती करें तो सफलता मिल सकती है। लेकिन होशियार और बुद्धू साथ-साथ कोआपरेटिव फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते। कुछ लोग जो खेती नहीं कर सकते, हल नहीं पकड़ सकते वह दूसरों को हरवाहा बनाकर रखेंगे, इस तरह से सफलता नहीं मिल सकती। यही कोआपरेटिव फार्मिंग का रहस्य है।

इसके अतिरिक्त जो चकबन्दी का कार्य हुआ है वह बहुत ही सुन्दर है। उस के द्वारा मुकदमेबाजी समाप्त हो रही है। कोआपरेटिव फार्मिंग बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन आज काश्तकार पर बड़ा जुल्म है, बड़ा आतंक है, अपने पड़ोसी का। आज सफलता तभी हो सकती है जब समान स्टेटस वाले मिलकर खेती करें, १० बुद्धू और २ होशियार करेंगे तो सफलता नहीं हो सकती।

समय कम रह गया है, इसलिये मैं एक आध बात ही और कहना चाहता हूं। सरकार ने देहातों में जमींदारी समाप्त की और वह शहरों में भी उसे समाप्त करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि फैजाबाद के नागरिक क्षेत्र की भी जमींदारी शीघ्र समाप्त की जाय और कैन्टूनमेंट क्षेत्र फैजाबाद में भी शीघ्र लैंड रिफार्म्स की व्यवस्था की जाय। फैजाबाद में नजूल का कुछ क्षेत्र लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कंट्रोल होता है और कुछ माल विभाग से। मैं चाहता हूं कि ऐसा कुल क्षेत्र एक ही विभाग के हाथ में रहे। हम चाहते हैं कि माल विभाग का पूरा कंट्रोल उन जमीनों पर रहे और वहां पर जो काश्तकार हैं उनकी भी यातनाओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

एक शिकायत और है कि माल विभाग के और दीवानी के जो फार्म कचहरियों में लाइसेंस होल्डर्स बेचते हैं वह जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं होते और वह चोर बाजार में बिकते हैं। फैजाबाद के बाराबंकी में जाकर बिकते हैं और बाराबंकी के फैजाबाद में बिकते हैं और उनको सही दामों पर नहीं बेचा जाता। इसका ठीक से प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कल बधाइयों की बौछार बहुत जोर से हुई। आज अनुदान १, २, २२, तथा ३५ पर विचार करते समय मैं सब से पहले माननीय चौधरी चरण सिंह जी को, जो इस सरकार में माल मन्त्री हैं बधाई पेश करना चाहता हूं। हमारे मित्रों को यह जानकर ताज्जुब होगा कि मैं यह बधाई क्यों दे रहा हूं? यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यही एक ऐसे मन्त्री हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यह सरकार 'जबरदस्ती' शब्द इस्तेमाल करके, केवल शब्द ही नहीं बल्कि कार्य रूप में भी 'जबरदस्ती' कर सकती है, उन को इस स्पष्टोक्ति के लिये मैं उन को बधाई दे रहा हूं।

दूसरे इस सरकार के माल विभाग से और उसके लेजिस्लेशन से सम्बन्धित जो कार्य हैं उन पर विचार विमर्श करते हुए मैं दो एक निवेदन करना चाहता हूं।

सरकार की भूमि व्यवस्था की नीति जितनी ही प्रगतिशील होगी उतना ही यह प्रदेश तरक्की कर सकेगा। यहां की ७० प्रतिशत से अधिक आबादी तरक्की नहीं कर सकेगी अगर भूमि व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इस सम्बन्ध में जो मोटी-मोटी बातें हैं, तथा जो खामियां महसूस हो रही हैं उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहला रिफार्म जो हुआ वह हुआ जमींदारी एबालिशन का जिसका दावा यह सरकार करती है तथा जिसे करते वक्त वादा किया गया था कि हम किसान को राजा बना रहे हैं और उस राजा बनाने का उनसे एक मामूली सा मुआवजा दस गुने के नाम पर मांगा गया। किस प्रकार वह दस गुना वसूल किया गया यह कहानी आज सबकी जानकारी में है और जो छोटी सी पुस्तिका हमारे हाथ में दी गई है उसमें भी यही बताया जा रहा है। लगभग ५ लाख ८४ हजार व्यक्तियों की ऐसी रकमें आज तक जमा पड़ी हुई हैं जिनको सनदें नहीं दी गई हैं और उसका कारण बताया गया है कि या तो जमा करने वालों ने पूरी रकम अदा नहीं की थी या उन्होंने कुछ झगड़े वाली जोतों के सम्बन्ध में इस तरह की रकमें जमा कर दी थीं।

[श्री मदन पांडेय—

लेकिन मैं इस सरकार से और इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविकता यह नहीं है कि किसी ने कम रकम जमा की थी, बल्कि उससे यह रकम जमा इस तरह से करवायी गई थी कि उसे खुद नहीं मालूम था कि वह पूरा जमा कर रहा है या आधा जमा कर रहा है । हमारे जिले में सन् १९४८–४९ में गन्ने के दाम से दो आने की कटौती हुई थी । उस दो आने की कटौती की रकम दस गुना की रकम में सम्मिलित कर ली गई । पता सभी को है किस प्रकार किसानों से निशानात हासिल कर लिये गये । मैं केवल महाराजगंज तहसील की बात कर रहा हूं, जहां लगभग ४ लाख रुपया बकाया पड़ा है किसानों का । न तो उनको सनदें मिल पा रही हैं और न उनको रुपया ही आज तक वापस मिला । कभी कोआपरेटिव विभाग के पास भेज दिया जाता है, कभी कहीं चला जाता है । इस तरह की बातें हैं । दूसरी तरफ हमको एक निवेदन और करना है कि इस विभाग के माननीय माल मन्त्री कहते हैं कि वे बहुत प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन कर रहे हैं, लेकिन अरबन एरिया की जमींदारी खत्म करने की बात तो सन् १९४८–४९ से चल रही है, परन्तु आज तक वह समाप्त नहीं हुई । इस समय भी पता नहीं क्या मुहब्बत है इस सरकार को शहर के उन जमींदारों से जिनके मकानात शहरी क्षेत्रों में पड़ते हैं । इस वक्त जो पुस्तिका में जिक्र किया गया है, कहा जा रहा है कि जिस जमीन पर खेती होती है उस पर हम इस अधिनियम को लागू कर रहे हैं, लेकिन जहां मकानात बने हुए हैं, आबादी है, वहां इस को लागू नहीं कर रहे हैं । पता नहीं उसमें ऐसी देरी करने की क्या आवश्यकता पड़ी हुई है ? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसे शीघ्र से शीघ्र खत्म करे और शहर के लोगों को भी जमींदारों के चंगुल से बचाने की कृपा करे । कुमायूं जमींदारी एबालिशन का कार्य वैसे ही पड़ा हुआ है । सारी जमींदारी एबालिशन का कार्य समाप्त हो गया लेकिन पता नहीं क्यों उसे लटकाया जा रहा है ? हमको अभी हाल में एक सूचना यह मिली है कि जिस प्रवर समिति को यह बिल सौंपा गया है उसको अभी चार महीने का समय और दिया जाय । यह टालने वाला कार्य अगर सरकार न करती तो ज्यादा अच्छा होता । भूमिधरी राइट्स के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया ५ लाख ८४ हजार की सनदें इन्कम्पलीट पड़ी हुई हैं । जिस तरह से रकमें ली गई हैं उससे प्रकट होता है कि दसगुना जमा करके भूमिधरी किसान नहीं लेना चाहता । मेरा सुझाव है कि अब बगैर दस गुने की मांग किये हुए भूमिधरी राइट्स सरकार किसानों को दे दे ।

रियलाइजेशन में जबरदस्ती बर्तने के सिलसिले में मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दो तीन घटनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । अभी होली की छुट्टी में मैं घर गया था वहां कुछ अपने क्षेत्र में भी जाने का अवसर मिला । महाराजगंज तहसील के खसरारी गांव में, जो कि सिसवा से दो तीन मील के फासले पर है, वहां के दो-तीन आदमियों के उद्धरण से यह स्पष्ट हो जायगा । चोकट नाम का एक भर है जिससे कुर्क अमीन ने रुपये मांगे, उसने कहा कि मेरे पास नहीं है, मेरा घर देख लिया जाय, लेकिन कुर्क अमीन उस पर भी राजी नहीं हुए, जबर्दस्ती उसे बांधकर तीन रोज तक महाराजगंज हवालात में सड़ाया गया और उसके बाद उससे कहा गया कि छोड़ने का इरादा तो नहीं था, लेकिन तरस खा कर छोड़ देते हैं, जाओ कहीं से लाकर लगान दो । अब वह इस वक्त अपने घर के बर्तन वगैरह बेच रहा है और अमीन के आने का इन्तजार कर रहा है । उसका दिल धड़क रहा है कि अब किस तरह से छुट्टी पायेंगे । इसी प्रकार से उक्त ग्राम के त्रिबेनी तेली, नाम का आदमी जिसका बाप मर गया था और बाजार से दसवां के लिये सामान ला रहा था कुर्क अमीन ने रास्ते में उसे पेशाब करते समय पकड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि बाजार के एक आदमी से अनाप शनाप सूद पर ८० रु० लेकर उसने कुर्क अमीन को नहीं दिये फिर भी रसीद केवल ७४ रु० कई आने की मिली । यही ढंग है वसूली का जिसके लिये मैं पहले ही मन्त्री जी को बधाई दे चुका हूं ....

श्री चरणसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि पेशाब कर चुका था या बीच में ही गिरफ्तार कर लिया ?

श्री मदन पांडेय—जैसा भी आप समझें, कर चुका था या हो सकता है कि आधा न करने दिया गया हो। अब मैं इस सम्बन्ध में कोई छोटे मोटे आदमी की बात नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारे जैसे आदमी की बात सम्भव है मन्त्री जी न सुनें। इस सम्बन्ध का एक तार माननीय शिब्बन लाल सक्सेना जी का आया था, जिसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा अध्यक्ष महोदय को भी मिली थी मैं उसको सदन की जानकारी के लिये पढ़ देना चाहता हूं।

"Terror let loose by Distt. Authorities in realizing rents from starving villagers. Our Bansgaon K.M.P.P. Secretary, Ram Narain Singh complained of excess realization of rents in Bansgaon Jahsil to Qurkamin Rameshwar Lal who ordered his chaprasi who tied him with turban to take him to Tahsildar to pay rents. Ram Narain was let off when crowd collected to protest. People's anger would have taken serious turn if Ram Narain had not preached nonviolence, and calmed people. Govt. playing with fire by such calculated insults of political workers and kisans for realising rents from starving people."

यह है वह तार जो उन्होंने दिया था और इसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा अध्यक्ष महोदय को भी दी थी।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

श्री मदन पांडेय—मान्यवर, २ मिनट और चाहिये मुझे।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री मदन पांडेय—इसी सम्बन्ध में एक दरख्वास्त भी हमको खसरारी के जानकी कहार से मिली जिसने जेवर गिरवीं रखा ३५ रु० के लिये और कुर्क अमीन को देने पर रसीद उसको दी गई ३३ रु० ३८ नये पैसे की। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि हम लोगों ने आपसे दरख्वास्तें की, निवदन किये, डेलीगेशन मिले, रिप्रजेन्टेशन हुए, प्रजातंत्र में जितने तरीके हमारी मुसीबतों को आप के सामने रखने के हो सकते हैं हम सब कर चुके हैं। आप हमें अपने जवाब में बतायें कि कौन सा रास्ता हम अख्तियार करें ? नहीं तो भूखी, नंगी जनता पर माल विभाग के अधिकारियों द्वारा लाठी, डंडा और जेलखाने ले जाने की इस प्रथा को खत्म कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं, पिछले साल भी मैंने इशारा किया था कि जब ग्रान्ट पर बोलने लगें तो खास-खास शिकायतों पर बहस होनी चाहिये, न कि पालिसी पर, जिसका कि जिक्र जनरल डिस्कशन में होना चाहिये। आमतौर पर मैं देखता हूं पालिसी पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है और शिकायतों पर कम। इससे किसी पक्ष का कोई लाभ नहीं होता। तो आइन्दा के भाषणों में मैं यह चाहूंगा कि स्पेसिफिक ग्रीवान्सेज पर ज्यादा जोर दिया जाय और पालिसी की बातें मैं रोकूंगा।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस विभाग पर बोलना नहीं चाहता था मगर मैं सोचता हूं कि अगर दो शब्द इस विभाग के बारे में नहीं कहता हूं तो शायद मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति कर्तव्य पूरा नहीं कर सकूंगा। इसलिये माननीय माल मन्त्री जी का ध्यान, जैसा आप ने कहा, कुछ शिकायतों की ओर

[श्री बेचनराम गुप्त—]

दिलाना चाहता हूं। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि जहां तक भूमि व्यवस्था का सम्बन्ध है माननीय माल मन्त्री जी ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है और सन् १९४६ से ले लिया जाय तो भूमि व्यवस्था के बारे में एक नयी व्यवस्था इस प्रान्त में कायम हुयी है, जो और प्रान्तों से आगे है। हमारे मित्र झारखंडेराय अक्सर केरल गवर्नमेंट का जिक्र किया करते हैं मगर वहां की भूमि व्यवस्था को यहां की भूमि व्यवस्था से मिलान करके देखेंगे तो यही सिद्ध होगा कि यहां के काश्तकारों को बहुत अधिक अधिकार दिये गये हैं।

ग्रामीण जनता का सम्बन्ध सरकार के दो कर्मचारियों से विशेषकर होता है, एक पटवारी से और दूसरे पुलिस से। दोनों की वजह से जनता काफी दुखित और त्रस्त रहती है। जहां तक पटवारियों का सवाल है उनके सिलसिले में माननीय माल मन्त्री जी ने आमूल परिवर्तन किया और उनके अधिकारों की कमी की और इस बात की कोशिश की कि किसी प्रकार से कोई शिकायत न हो। मगर मनुष्य की एक प्रकृति होती है। किया तो उन्होंने अच्छे के लिये, लेकिन वे शिकायतें दूर नहीं हुईं। लेखपाल पटवारियों से भी ज्यादा खराब साबित हुए। मगर खैर, जो कुछ भी माननीय माल मन्त्री ने किया वह बहुत अच्छा किया।

हम नहीं जानते कि बिहार में किस तरह की व्यवस्था है, लेकिन इतना जानता हूं कि बिहार में पटवारी क्लास है ही नहीं। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे प्रान्त में कायम हो जाय जिसमें पटवारियों की जरूरत न पड़े तो बहुत अच्छा है। ग्राम के सभापतियों को अधिकार दिये जायं। माननीय माल मन्त्री जी ने शुरू किया है, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय और पटवारियों या लेखपालों से हम को नजात मिल जाय तो बहुत अच्छा है।

एक बात की ओर और मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। १९४९ में बनारस स्टेट के विलय होने के बाद बनारस जिले की ज्ञानपुर तहसील में एक कोनिया इलाका है जहां कि बन्दोबस्त का सवाल था। माननीय माल मन्त्री जी ने कहा कि वहां के लिये लगान फिक्स किये देते हैं और वहां हमेशा एक ही लगान रहेगा। लगान फिक्स होने में देर हुई और तीन वर्ष का लगान काश्तकारों के जिम्मे बकाया हो गया क्योंकि सरकार उसका निर्णय जल्द न कर सकी। हमने यह कोशिश की कि यह लगान उनसे किस्त में वसूल किया जाय। साफ-साफ शब्दों में तो नहीं कहा गया था लेकिन कुछ इशारा यह था कि यह लगान किस्तों में वसूल किया जायगा।

माननीय माल मंत्री ने सदन के भीतर और सदन के बाहर इस बात को तसलीम किया है कि लगातार अधिक पानी बरसने से किसानों की रीढ़ लगान देने के लिये टूट गयी है और उनकी सारी व्यवस्था गड़बड़ा गयी है और अब वे लगान देने में समर्थ नहीं हैं। अभी हाल में ३ मार्च को बनारस जिले भर में पानी बरसा, ओला पड़ा और आंधी आई जिससे काफी फसल को नुकसान हुआ है। बावजूद इस सबके हमारी ज्ञानपुर तहसील में उन तीन सालों का लगान वसूल किया गया, तकावी का बकाया भी वसूल किया गया और इस साल का लगान, खरीफ का लगान, और जितने लगान हैं सब बराबर वसूल किये जा रहे हैं।

माननीय माल मंत्री ने सदन में कहा है कि कोई कोअर्सिव मेथड न एडाप्ट किया जायगा। उनके सचिव साहब से भी मालूम हुआ कि हिदायत भेजी गयी है कि कोई सख्ती न की जाय। लेकिन मैं निवेदन करूं कि कोई भी ऐसा तरीका कोअर्सिव नहीं रह जाता जो न एडाप्ट किया गया हो। हमारी तहसील में १२ आदमी तहसील की जेल में बन्द कर दिये गये। लोगों को मुर्गा बनाया गया। एक कांग्रेसी को जेल में १५ दिन बन्द किया गया। कृपया माल मंत्री बतायें कि कौन सा कोअर्सिव मेथड रह गया जो लगान वसूली में नहीं प्रयोग किया गया? श्रीमन्, देखा जाय कि जो हालत काश्तकारों की है उसे माल मंत्री महोदय कबूल करते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि उनकी हालत खराब है और

लगातार उनकी फसल नष्ट हो रही है। अभी रबी की फसल जो सूखा से बची हुई थी वह ओले से सत्यानाश हो गयी। किसान कहां से रुपया लाकर लगान देगा? इस ओर में माल मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सख्ती के साथ जो लगान की वसूली हो रही है, कृपया उसे बन्द करें, क्योंकि वह मुर्गी जो सोने का अन्डा दिया करती थी, अगर वही नहीं रहेगी तो अंडा कहां से आवेगा?

श्री उपाध्यक्ष—पुजारी जी देखिये, आप नीति के बारे में जिक्र न करें, जो शिकायतें आपके जिले में हों या सूबे में उसी पर बोलें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—यह तो होली का त्योहार है। किसानों के बारें में बहुत बात-चीत आपके सामने हो चुकी है। किसान को १० वर्ष पहले हम और आप अन्नदाता कहा करते थे कि किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है। सन् १९३० में कहा, सन् १९३२ में कहा, १९३६ में कहा। १९३६ में तो बड़े वायदे किये थे। कहा करते थे कि किसान के खाने, पहिनने, व्योहार, शादी, लड़की के चाल-चलन, भात, छोछक सब चीज देने के बाद जो बचे उसे वह जमींदार को दे देंगे और जनता आपके व्याख्यान से रीझ गयी, सब्जबाग, सिनेमा दिखा करके किसान को मोह लिया गया कि बड़े आनन्द हैं। उन्हें यह मालम नहीं था कि यह धोखा है और हम ऐसे फंदे में पड़ेंगे कि जो घर के रहेंगे न घाट के। तो मुझे याद आई कि कहा करते थे कि किसान भगवान से बड़ा है, अन्नदाता है। वह सब्जी बाजार को भेजे, गेहूं सब से पहले बाजार को भेजे, चीनी बाजार को भेजे, गुड़ बाजार को भेजे, कपड़ा बाजार को भेजे, दूध-दही बाजार को भेजे और खालिस मक्खन हम बड़े आदमियों को भेजे। ऐसे अन्नदाता किसान पर दिन पर दिन जुल्म हो, यह कैसा अन्याय है।

एक बात मुझे याद आ गयी श्रीमन्, कि सरकार का कोई कसूर नहीं है, जो बात है वह मुझे मालूम है। डाक्टरों को तो कृषि विभाग पर कर दिया, जो डाक्टरी जानते हैं उन्हें तो खेती के मुहकमे पर कर दिया और जो वकील है उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, यह उलटा मामला हो गया। बने कैसे? सरकार का कोई कसूर नहीं, उसकी कोई खता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—आप माइक्रोफोन पर बोलिये।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं ठीक बोल रहा हूं। तो वह ठहरे वकील, वकालत जानते हैं। वह क्या जानें कि बीज नीचा पड़ा था या ऊंचा, भूड़ कैसे भरी जाती है, मखारे में पानी कब लगता है. सरसों, दुआं, लहा में चेंपा, गेहूं में रतुआ कब लगता है, चने में सूंडी कब लगती है, ओले से कितना नुकसान होता है, जब चूहे खेत में लगते हैं तो ३ मन बीघा की फसल ६ धड़ी का बीघा हो जाती है। रात को रोज सोने नहीं देता, ऊपर से लेकर नीचे तक किसान के सब दुश्मन हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह माननीय माल मंत्री की ग्रांट है, माननीय कृषि मंत्री वाली खत्म हो गयी। आप मालगुजारी वगैरह के बारे में कहें।

श्री टीकाराम पुजारी—पानी की जरूरत पड़ती है जनवरी में और पानी चलता है अक्तूबर में। हमारे चौधरी साहब किसान तो हैं लेकिन पानी वक्त पर नहीं मिलता।

एक चीज और है। जो यह नया खाद चला है इसके लिये पानी की जरूरत होती है क्योंकि इसमें गरमी ज्यादा होती है। तो नया खाद तो आपने दे दिया लेकिन पानी नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष---खाद की बात कहने से मैंने मना किया है। आप मालगुजारी की वसूली वगैरह के बारे में बात करें।

श्री चरणसिंह---मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री टीकाराम पुजारी से) आप जरा बैठ जाइये, वह प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं।

श्री चरण सिंह---मुझे आप से शिकायत है उनसे नहीं। आप मुझे उनसे जबर्दस्ती सर्टिफिकेट दिलवाना चाहते हैं।

(हंसी)

श्री टीकाराम पुजारी---चकबन्दी में कहा गया कि जमीनें एक जगह कर दी जायंगी। अभी जो रबी की फसल पश्चिम में होती है तो खरीफ की फसल दक्षिण में होती है वह सब जमीन एक जगह कर दी जायगी। हमारी माताओं बहनों को जो तकलीफ होती थी वह दूर हो जायगी। मगर चकबन्दी में चार-चार चक बने। एक दफा एक किसान को सी० ओ० ने जिताया, एस० डी० ओ० ने जिताया, हाकिम परगना ने जिताया, कलेक्टर ने जिताया और दूसरी बार उसी किसान को एक ने हराया दूसरे ने हराया, तीसरे ने हराया, सभी ने हराया। तो यह चकबन्दी नहीं चक्करबन्दी है, बल्कि मौतबन्दी कहिये। सरकार ने चार चीजें हमें दीं और चार चीजें लीं। चार 'धा' सरकार ने हमसे लिये --धरती, धन्धा, धन और धर्म, और चार 'झा' हमको दिये--झाड़, झोला, झंडा और झगड़ा। सच्ची बात कहता हूं कि किसानों को पुलिस लूट रही है। ओले पड़ गये लेकिन लगान ले रहे हैं। इतना भी नहीं हुआ कि एक-सा लगान कर दें। एक किसान १ रुपया दे रहा है और दूसरा किसान जिसका पड़ोस में ही खेत है वह दो रुपया दे रहा है। एक ही जमीन के दो तरह के लगान हैं। लेकिन अब छोटे किसान जान गये कि थोड़े ही दिन रहे हैं चक्करबन्दी के और चक्करबन्दी जल्दी जायेगी। इसको राजा रोक नहीं सकता। मैं आपको बताऊंगा कि दिन में जो बच्चा हंसेगा वह रात को रोयेगा। जो विरोधी दल की बात नहीं मानेगा तो समझ लीजिये कि जो बच्चा दिन में हंसता है वह रात को रोता है और सरकार को भी बाद में रोना पड़ेगा।

*श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माल मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इसमें सन्देह नहीं है कि, जिसका जिक्र हमारे बहुत से साथियों ने किया है, माल विभाग के द्वारा प्रदेश में बहुत से महत्वपूर्ण काम हुए हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि जमींदारी समाप्त होने से किसानों को वे सुविधायें नहीं मिलीं जिनको कि सोचा जाता था। तो मैं आपके द्वारा उन्हें बताना चाहता हूं कि उनकी जानकारी हो सकती है कि जहां से वे आये हैं वहां पर किसानों को सुविधायें न मिली हों, लेकिन मैं अपनी तरफ का जिक्र करना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के पहले किसी किसान को जब कभी एक खूंटा गाड़ने की जरूरत होती थी तो वह उसके लिये पहले जमींदार के पास जाता था और तब उसे आज्ञा मिलती थी कि अपने दरवाजे पर वह खूंटा गाड़ सकता है। श्रीमन्, चरनी भी, जिसका कि संबंध बैलों से होता है, उसे वे अपने दरवाजे पर नहीं लगा सकते थे। ये छोटी मोटी चीजें हैं जिनका कि किसानों के जीवन से इतना घनिष्ट संबंध था और जिनसे कि उनकी रोजमर्रा की उनकी जिन्दगी बराबर परेशान हुआ करती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस किसान की भैंस या गाय दध देती थी उसके घर में अगर उसका बच्चा बीमार होता और उसका वह दूध देना चाहता लेकिन अगर जमींदार का जिलेदार उसके घर पहुंच गया तो किसान भैंस को भी लेकर जमींदार के घर चला जाता था। तो मैं इस संबंध में कोई विशेष जिक्र नहीं करना चाहता और केवल आपके द्वारा माननीय सदस्यों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बताना चाहता हूं कि जहां हम और बातों का जिक्र करते हैं वहां हम उन बातों को भूल जाते हैं जो कि हमारे प्रदेश में जमींदारी के समय मौजूद थीं। एक माननीय सदस्य जिन्होंने यह कहा कि किसान जो लगान देता है उसको कोई रियायत नहीं मिली, उससे मैं सहमत हूं। यह ठीक है कि जितना लगान किसान जमींदार को देते थे आज उतना ही लगान किसान सरकार को देते हैं और उनको इस संबंध में कोई छूट नहीं मिली है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन उनके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं और मैं अपनी तरफ का जिक्र करना चाहता हूं कि अभी दो वर्ष पहले तक मैं अपने जिले में जिस तहसील से आया हूं वहां किसान जितना लगान सरकार को देने लगे, ४ रुपये या ५ रुपये बीघा, वहां पर जमींदार किसानों से १७-१७ रुपये बीघा लगान लेते थे। तो मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों को १७ या १८ रुपये फी बीघा लगान जमींदार को देना पड़ता था उनको क्या कोई रियायत नहीं मिली है? मैं इस विवाद को यहीं पर छोड़ना चाहता हूं।

अब उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अधिवासी कानून या सीरदारी कानून का संबंध है और उसके संबंध में अन्य माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र का जिक्र किया है उनको मैं यह बताना चाहता हूं कि माल विभाग का जो काम है वह ऐसा काम है जिसका प्रदेश की समस्त जनता से संबंध है। इस विभाग के काम में एक्साइज ड्यूटी, कर ड्यूटी, नहर का रेट, ट्यूबवेल्स के रेट्स की वसूली, कोआपरेटिव ड्यूज की वसूली, इन सब प्रकार के करों की वसूली अमीन के ताल्लुक कर दी जाती है। अगर इन्डस्ट्रीज विभाग की वसूली नहीं हुई है तो उसे भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वसूल करता है। तो, श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह माल विभाग ऐसा है जो जनता से रुपया वसूल करने वाला विभाग है। हर एक विभाग का जितना रुपये की वसूली का काम है वह सब यही विभाग करता है। मैं भी उन भाइयों की बात से इन्कार नहीं कर सकता हूं जो यह बताते हैं कि किस प्रकार से आज जनता से रुपया वसूल किया जा रहा है। इस विभाग के सामने बहुत सी दिक्कतें हैं। इस विभाग का काम केवल रुपये को वसूल करने का है। चाहे वह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, अस्पताल हो, एजुकेशन हो या पुलिस हो, उन सबके लिये अनुदान इकट्ठा करना इस विभाग का काम है। जब उसके बांटने का अवसर आता है तो इस विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनको बुलाया नहीं जाता है। मेडिकल अलग हो जाता है, कोआपरेटिव अलग हो जाता है और एजुकेशन अलग हो जाता है।

इस प्रकार से जितना उसका मेजर वर्क है वह तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है और जितना डिस्ट्रिब्यूशन का काम होता है वह उन विभागों के द्वारा किया जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि मेरा ऐसा सुझाव है कि जितने डेवलेपमेंट के काम होते हैं उनमें इस विभाग के कर्मचारी की, जहां तक मेरी जानकारी है, उनके डिस्ट्रिब्यूशन में कोई मदद नहीं ली जाती है। एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है। वह इतना कर देता है कि उसको इतना बीज दे दिया जाय लेकिन जब वसूली का प्रश्न आता है तो इस विभाग को दे दिया जाता है। अगर उस किसान के घर को देखा जाय तो उसके घर में ५-७ मन गल्ला भी खाने के लिये नहीं रह जाता है। यह वसूली का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। काम किया एग्रीकल्चर विभाग ने और उसकी वसूली करनी पड़ती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। इसी तरह से कोआपरेटिव का काम है, नहर का पैसा है मद्य निषेध के ठेकेदारों से पैसा लेना होता है, उन सब वसूलयाबी की जिम्मेदारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर आती है। तो इससे काफी दिक्कत पैदा होती है।

[श्री रणबहादुर सिंह—]

अब मैं इस पर ज्यादा न कहकर २-३ बातों के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें सन्देह नहीं है कि माल मंत्री महोदय ने किसी भी शिकायत के विषय में बहुत ध्यान दिया है। जब मैं विधान सभा का सदस्य नहीं था तो उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में ३ साल पहले मैंने एक शिकायत एक डिप्टी कलेक्टर के विषय में उनके पास भेजी थी। उस वक्त मेरा उनसे कोई परसनल कन्टेक्ट नहीं था लेकिन उस पर उन्होंने तुरन्त ऐक्शन लिया। वह शिकायत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी और उस पर मुझे बुलाया गया। जो उचित बात थी तुरन्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने की। आज भी मेरे सामने एक १२ साल का खसरा मौजूद है जिसको मैंने माननीय माल मंत्री जी को दिखाया है। एक हरिजन, जो लगातार १२ साल से अपने खेत पर काबिज चला आ रहा है, २-३ साल से जमींदार साहब उस पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने उसको मंत्री जी को दिखाया और माननीय माल मंत्री जी ने तुरन्त कार्यवाही करने का आदेश दे दिया है। इसलिये जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन के विषय में मैंने आपके द्वारा जिक्र किया।

एक सुझाव मैं आपके द्वारा यह रखना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश में ६ १/४ एकड़ की बात कही जाती है लेकिन मैं तो उससे भी नीचे जाकर ३ १/२ एकड़ की बात करता हूं कि उसके नीचे जितने काश्तकार हैं उन सबका लगान माफ कर दिया जाय। इसके अलावा जमींदारी विनाश के अन्य प्रकार के जो काम हमारे प्रदेश में किये गये हैं उससे जनता का बहुत लाभ हुआ है .....

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)—मैं अपनी जानकारी के लिये यह जानना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य माल विभाग की मुस्तैदी के बारे में बता रहे हैं या माल विभाग के अनुदान के बारे में बता रहे हैं?

श्री चरण सिंह—आप जो गालियां दे रहे हैं वह उनका जवाब दे रहे हैं।

श्री रणबहादुर सिंह—मैं अधिक न कहकर इतना कहना चाहता हूं कि हमारे इस प्रदेश में जनता के लिये छोटी-छोटी जोतों को सुधारने के लिये बहुत काम किये गये हैं। इस विभाग ने बड़े-बड़े क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनियां में, अगर मैं कहूं तो भूमि सुधार के संबंध में जहां पर व्यवस्था की गई है, वहां भी ऐसे कदम नहीं उठाये गये हैं। जिस प्रकार से भूमि सुधार का तरीका रखा गया है वह बहुत प्रशंसनीय है। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह कि हमारे यहां के तीन या साढ़े तीन एकड़ से कम के किसानों का लगान बिलकुल माफ किया जाना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने सवा छः एकड़ का जिक्र किया, लेकिन मेरा सुझाव साढ़े तीन एकड़ से कम वाले किसानों का लगान माफ करने का है। यह एक क्रान्तिकारी उदाहरण दूसरे प्रदेशों के लिये होगा और वह भी इसे अपनायेंगे। मेरा खयाल है कि अगर यह काम मौजूदा माल मंत्री जी के समय में न हो सका तो फिर शायद जल्दी संभव न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरे बाद बोलने वाले सदस्य मेरी इस बात का समर्थन करेंगे और इसके लिये जो भी तरीका हो, जिस तरह से भी यह संभव हो, हमको उसे करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर श्री मलिखान सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, देश स्वतंत्र होने से पूर्व हमारे इन बड़े-बड़े नेताओं ने देहात में प्रत्येक किसान के समक्ष ऐसी बातें कही थीं कि जिस वक्त भारत को हम स्वतंत्र कर लेंगे और सत्ता अब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे हाथ में होगी तो सबसे पहला काम हमारा यह होगा कि हम जमींदारी का खात्मा करेंगे और किसान को भूमि का मालिक बनायेंगे। मान्यवर, यह सुन्दर समय आया, देश स्वतंत्र हुआ। हम सबको खुशी हुई और सौभाग्य से हमारे वही नेता, जिन्होंने वायदे किये थे सत्तारूढ़ हुए और ऐसा कानून भी वे लाये कि जिससे जमींदारी समाप्त हों। मान्यवर, जिस समय गरीब किसान ने जमींदारी समाप्ति की घोषणा सुनी, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, किन्तु किसानों को कुछ ऐसा देखना पड़ा कि मानो एक के कब्जे से कोई चीज दूसरा व्यक्ति किन्हीं लोगों की मदद से अपने कब्जे में कर ले और जिन लोगों से वायदा कर के उस चीज को अपने कब्जे में लें, उन व्यक्तियों को ही और कष्ट दें। श्रीमन्, किसानों को भूमिधर बनाया गया और सरकार ने सोचा कि हम ऐसा कानून बना कर अपने वायदों की पूर्ति कर लेंगे। कागजी कानून बनाया गया। वह गरीब किसान जो ठीक प्रकार से अपना लगान भी नहीं दे पाता था उससे दसगुना वसूल करने के पश्चात आपने उसे अपनी भूमि का मालिक बनाया। हम देखते हैं कि जमींदारी का उन्मूलन होने के बाद सरकार ने किसानों को भूमि का मालिक नहीं बनाया बल्कि किसानों को भूमिहीन बना दिया।

यह बात बिलकुल प्रत्यक्ष है और माननीय माल मंत्री इसे जानते भी होंगे कि जो किसान सरकारी अधिकारियों के दबाव में या और किसी वजह से दसगुना जमा करता है अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो वह या तो गांव के पुराने जमींदार के पास जाता है या फिर गांव के महाजन के पास। उससे रुपया लाकर दसगुना जमा करता है और वह जमींदार या महाजन सूद में जो रुपया किसान से लेता है उस दौरान में वही उस भूमि का मालिक बन बैठता है। जब किसान भूमिधर हो जाता है तो महाजन उसे परेशान करना शुरू करता है और चूंकि उसके पास सिवाय भूमि के और कोई चीज नहीं रहती, इसलिये वह उसी को बेचने के लिये मजबूर हो जाता है। जो जमीन उनके बाप दादों से उनके कब्जे में चली आयी थी, वह उससे वंचित हो जाता है और वह महाजन के पास चली जाती है। इधर सरकार कहती है कि उसने लोगों को भूमिधर बना दिया लेकिन असलियत यह है कि गरीब लोग भूमिहीन हो गये और जमीन उन लोगों के पास चली आयी जिनके पास पैसा था। माननीय मंत्री जी अगर अच्छी प्रकार से देखें तो उनको विदित होगा कि उत्तर के रजिस्ट्री के दफ्तरों में आजकल कितने ही पट्टे जमीन के ऐसे होते हैं जो कि आज तक गरीब किसानों की थीं।

श्री उपाध्यक्ष—आप दुहराइये नहीं। पांच मिनट में आपने केवल एक बात कही है।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा—उन किसानों के बारे में, जिनके पास कोई भूमि नहीं थी, उनके लिये आपने कोई प्रावीजन नहीं किया है और जमीन उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। दूसरी ओर सरकार की नीति जो जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् रही है, उससे बेगार और बेकारी बहुत बढ़ी हैं। पहले जिन लोगों के पास कोई जमीन नहीं थी, वे जमींदारों के जंगलों में अपने पशुओं को चराते थे लेकिन आज उसके लिये कोई ऐसी जमीन नहीं है। दूसरी ओर उसको कोई जमीन भी नहीं देता है क्योंकि आप का कानून है कि जो जीतेगा उसकी भूमि हो जायगी। अगर वह सरकार के जंगलों में अपने पशुओं को चराता है तो उसकी गाय, भैंस और अन्य पशु पकड़ लिये जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसको इसके लिये जेल जाना पड़ता है। आपने उनके लिये कोई चरागाह भी तो नहीं रखे, जहां पर वे अपने पशुओं को चरा सकें।

अभी एक कांग्रेसी भाई, श्री मदन गोपाल वैद्य, ने बताया कि जमींदारी उन्मूलन के बाद गांवों की माली हालत बहुत सुधर गयी है। माली हालत सुधरी है, ऐसी बात मेरी समझ

[श्री भुवनेश भूषण शर्मा—]

में नहीं आयी। आज किसान परेशान है, खेत उसके बिकते जा रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान के वसूल करने में उसको परेशान किया जाता है, आज किसान अपनी इज्जत को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। उसके ऊपर कुर्क अमीन आता है। अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो उसके पशु कुर्क कर लिये जाते हैं और उस को बंदी बना लिया जाता है। वह किसान जिसके पास कोई कानूनी साधन नहीं है, तपती धूप में अपने खेतों में काम करता है, उसका पसीना चूता है, साल भर काम करने के बाद भी भोजन के लिये उस के पास गल्ला नहीं हो पाता है, सरकारी मालगुजारी के लिये अपने गल्ले को वह बेचता है, खाने के लिये मोटा-झोटा खाता है या भूखों मरता है। आज आम की गुठली खा खाकर वह जीवन-यापन करता है, उसको मजदूरी भी नहीं मिलती है। आज उसे केवल प्रकृति का ही सहारा है। आज भी ऐसे स्थान हैं जहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन उस पर टैक्स लगाया जाता है। परमात्मा के नाम पर वह जमीन में काम करता है। अगर सूखा पड़ जाती है तो उस जमीन में कुछ भी नहीं होता। सरकार ने ऐसी जमीनों के लिये कोई प्राविजन नहीं रखा है कि जिन जमीनों में कुछ पैदा न हो उनका टैक्स माफ कर दिया जाय।

एक बात मुझे और कहनी है। हमारे साथी श्री रणबहादुर सिंह जी ने कहा कि दो साल पूर्व कुछ ऐसी घटनायें घटीं कि जमींदारों ने चार रुपया बीघा की जमीन को ८-१० रुपया बीघा में उठा दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आज से दो साल पूर्व जमींदारी रही हो। श्रीमन्, एक बात यह कही जाती है कि देहातों में जमींदार किसानों को बहुत परेशान करते थे और यहां तक कि वे खूंटा तक नहीं गाड़ने देते थे। लेकिन आज भी इस तरह की शिकायतें गांव गांव से आती हैं कि गांव के प्रधान की मर्जी के बिना किसान अपने जानवरों के लिये खूंटा नहीं गाड़ सकता है। इस तरह के बहुत से उदाहरण मौजूद हैं। दफा ११५ के मुकदमें एक-एक जिले में दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह हजार चल रहे हैं। मान्यवर, वे गरीब किसान जो तालाबों से अपने मकान के लिये मिट्टी लाते थे वे आज बिना प्रधान की मर्जी उस तालाब से मिट्टी भी अपने मकान के लिये नहीं उठा सकते हैं।

श्री चरणसिंह—प्रधान और पंचायतों के अलावा गांव सभा की जमीनों का अधिकार किसको दिया जाय?

श्री भुवनेश भूषण शर्मा—प्रधानों को अधिकार दिया गया है यह तो ठीक है ही, लेकिन मैं तो आप की उस बात का जवाब देना चाहता हूं जो कहा गया कि पहले जमींदार किसानों को खूंटा नहीं गाड़ने देते थे, इसलिये मैंने कहा कि आज गांव के प्रधान भी जमींदारों से ज्यादा ज्यादती करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

*कुंवर महमूद अली खां (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माल मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करने और साथ ही साथ जो कटौती का प्रस्ताव है उस की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सब से पहले मैं माननीय माल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी साढ़े ६ करोड़ के करीब है और यहां की ७५ फीसदी जनता फार्मिंग पर बसर करती है, तो उसके लिये एक खातमा जमींदारी ऐक्ट जो पास किया गया है उससे यहां की जनता को जो लाभ हुआ है उससे हम सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह कहना सरासर गलत है और बड़ी बेइन्साफी है कि जमींदारी के खात्मे से काश्तकारों को फायदा नहीं हुआ है। देहातों के अन्दर ऐसी तब्दीली जमींदारी के खातमे से हुई है जो हिन्दुस्तान की तवारीख और यू० पी० की तवारीख में हजारों वर्ष से कभी ऐसी चीज नहीं हुई। खातमा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमींदारी से एक नयी जिन्दगी पैदा हो गयी है। देहातों के अन्दर जो सब से जबरदस्त तब्दीली हुई है, वह खयालात की तब्दीली हुई है। साइकोलाजिकली ट्रेन्ड देहातों का....

श्री उग्रसेन—किन चीजों में ?

कुंवर महमूद अली खां—आपने शायद समझा नहीं कि साइकोलाजिकली ट्रेन्ड किसे कहते हैं। तो देहातों के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष—ज्यादा बोलने का यही नतीजा होता है।

श्री उग्रसेन—कोई बात नहीं।

कुंवर महमूद अली खां—देहातों के अन्दर आज किसान अपने हकूक को समझते हैं। देहातों के अन्दर जो जमींदार थे, प्रधान थे, एक तरह से यहां फ्यूलिज्म सिस्टम था जिसे खात्मा जमींदारी के जरिये जम्हूरियत की तरफ माननीय माल मंत्री जी ने सब से बड़ा कदम उठाया और यहां की हुकूमत ने उस तरफ कदम उठाया जिससे सोशल आर्डर में एक जबरदस्त तब्दीली हुई।

दूसरे यहां की माली हालत में भी काफी तब्दीली हुई। आज मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि देहातों के अन्दर पक्के मकान देखने को मिलते हैं, अच्छे-अच्छे खेत देखने को मिलते हैं, जिनमें अच्छी-अच्छी फसलें उगती हुई दिखलायी पड़ती हैं, इर्रीगेशन के लिये कुएं, नहरें और सड़कें हैं जिनसे किसान लोग आज पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं।

जमींदारी खात्मे के बाद हमारे यहां दूसरी जबरदस्त चीज चकबन्दी की हो रही है। आज चकबन्दी के खिलाफ बहुत कुछ कहा जाता है। मैं नहीं समझता कि कोई किसान होते हुए भी चकबन्दी की मुखालिफत कर सकता है। कोई भी किसान चकबन्दी की मुखालिफत नहीं कर सकता है। किसानों को चकबन्दी से जबरदस्त फायदा हो रहा है। मेरे जिले में भी चकबन्दी हो रही है, वहां कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी जो चकबन्दी के खिलाफ हो। हमारे यहां चकबन्दी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है और हमारे यहां से माल विभाग के पास अक्सर खबर आती रहती है कि हमारी तहसील में जल्दी चकबन्दी होनी चाहिये। इसके खिलाफ अपोजीशन की तरफ से जो चकबन्दी की मुखालिफत है वह महज एक पोलिटिकल स्टन्ट है और सिवा इसके कुछ नहीं है या वह सीधी सादी जनता को बहकाने का एक तरीका है।

मेरा खयाल है कि कोआपरेटिव फार्मिंग भी बड़ी अच्छी चीज है लेकिन अभी हम उस के लिये तैयार नहीं हैं, आगे चल कर जब हमारी सोसाइटी डेवलप होगी तब वह रायज हो सके लेकिन अभी उस के लिये ग्राउन्ड तैयार नहीं है। चकबन्दी के लिये ग्राउन्ड तैयार है और वह की जा रही है और उससे कोआपरेटिव फार्मिंग का एक हिस्सा पूरा हो जायगा।

इसके बाद मैं कुछ थोड़े से सुझाव माननीय माल मंत्री की सेवा में आपके द्वारा रखना चाहता हूं। एस० डी० ओज० जो इस वक्त में बहुत सी जगह हेडक्वार्टर्स पर हो गये हैं उनको जल्द से जल्द हेडक्वार्टर्स पर रखा जाय जिन का ताल्लुक महकमा माल से है।

दूसरे जंगली जानवर जो खेती का नुक्सान करते हैं उनसे हिफाजत के लिये फायर आर्म्स किसानों को जरा लिबरल तरीके से दिये जायं ताकि उनकी खेती की जंगली जानवरों से हिफाजत हो सके।

दसगुने के बारे में कहा गया कि जबरदस्ती लिया जाता है, मेरा खयाल है कि यह बात बिलकुल गलत है। हर शख्स खुद ही दस गुना जमा कर के लाभ उठाना चाहता है और वह तो आज किसान के लिये एक मैटर आफ स्टेटस हो गया है, किसान बड़ी खुशी से वह जमा करता

[कुंवर महमूद अली खां—]

है और कोई जबरदस्ती कभी नहीं की जाती। इन दस सालों में जो तरक्की महकमा माल की माननीय मंत्री जी ने की है वह सब को मालूम है और हम सब को उसे सराहना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में महकमा माल से हमारे सूबे के ७५ प्रतिशत काश्तकारों का सम्बन्ध है और जैसा कि सदन में चर्चा है, चाहे बहुत से किसानों का लगान माफ न किया जा सका हो या आधा न किया जा सका हो लेकिन यह एक नग्न सत्य है कि लाखों लोगों को भूमि पर स्वामित्व अवश्य मिल गया है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन अधिक दूर न जाकर केवल मैं अपनी कुछ दिक्कतें मंत्री जी के सामने रखूंगा इस आशा के साथ कि उनका परामर्श मिल सके कि हम क्या करें। आप की आज्ञा से मैं एक उदाहरण दूंगा।

हमारे जिले में एक गांव है जिसकी बड़ी लम्बी चौड़ी आबादी है और उसमें १२४ परिवारों के लोग बसे हुये हैं। सन् ५६ में राजा साहब पयागपुर से पट्टे लेकर किसानों ने अपनी जमीन बनायी लेकिन उस क्रान्तिकारी कदम के विरुद्ध मैं बताऊंगा कि वहां के सरकारी कर्मचारियों के होते हुये उस जिले के कलेक्टर के नाते और कमिश्नरी के अहलकारों के नाते सन् ५९ फसली में कलेक्टर साहब ने अपने नाम परताल कराई। मेरा यकीन न हो तो कोई भी खसरा खतौनी का मुआयना कर सकता है, उस में लिखा है "बाबिज के० के० नायर, जिलाधीश गोंडा।" और दो तीन सज्जन और सरकारी कर्मचारी थे। दो चार साल चुप मारे बैठे रहे। फिर दीवानी में दावा दायर कर दिया और वह सारे १२४ परिवार सब बेदखल हो गए, इस क्रान्तिकारी कदम से इतना जबरदस्त लास हुआ कि अब उन १२४ परिवारों के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो, श्रीमन्, जहां तक कनून बनाने का सम्बन्ध है या मन्त्री जी के विचार का सम्बन्ध है मैं नहीं कह सकता कि उनके हृदय में ऐसी कोई बात है कि काश्तकारों का अहित हो। लेकिन यह बात हो रही है और मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा तरीका अख्तियार किया जाय। माननीय मन्त्री जी से बराबर कई बार स्पष्ट रूप में निवेदन किया जा चुका है लेकिन आज तक कोई चारा समझ में नहीं आता। काश्तकार जेलों में बन्द होते हैं, खेतों के नजदीक नहीं जाने पाते। उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। तो ५९ के पड़ताल का बुद्धिमानों ने इस तरह फायदा उठाया। गांव की जनता तो जाहिल है, उसने इस बात को सोचा भी नहीं। लेकिन बुद्धिमान लोगों ने जमीन का इतना जबर्दस्त अपहरण कर लिया कि अगर आप वहां पर जायं तो हृदय विदीर्ण हो जाता है उस गांव की हालत देख कर। श्रीमन्, मुझे मालूम नहीं कि मन्त्री जी के आदेश से हुआ या कैसे हुआ, लेकिन अगर हुआ है तो वास्तव में मैं अपनी तरफ से ऐसा समझता हूं कि मन्त्री जी जरूर धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे यहां चिट्ठी गई कि पांच-पांच गांव छांटकर आप लिख दें, आपके सामने एस० डी० ओ० जाकर पड़ताल करेगा। लिखा भी और गए भी। मौके पर देखा भी। लेकिन मैं निहायत अदब से साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज भी वही हालत है।

हमारा जिला बैकवर्ड समझ लीजिए या जाहिलों का समझ लीजिए, लेकिन आज भी वहां लोगों में कब्जा करने की वृत्ति जो थी वह वैसे ही मौजूद है जैसे कुछ दिन पहले थी। एक उदाहरण मैं दूं—एक आदमी सन् ५७ के मार्च में डिग्री पाता है और जून, सन् ५६ में जमीन पर दखल दिहानी हो गई। अब उसी खेत पर लेखपाल ने फरवरी में फिर कब्जा लिख दिया जमींदार का और दोनों की नकल भी दे दी। अब बताइए वह काश्तकार क्या करे। खैर, एस० डी० ओ० ने देखा और उस को दुरुस्त किया और ऐसी वृत्ति अगर मुहकमों में की जाय तो हो सकता है कि कल्याणकारी बात हो, लेकिन इस सूबे में खेतों पर आधिपत्य करने वालों के लिये मैं मन्त्री जी से अपनी बुद्धि के अनुसार और मेरे अपने मन में जो आया है वह कहना चाहता हूं कि आज अगर कोई जबर्दस्ती किसी के खेत पर कब्जा करे तो निश्चित रूप से सरकार का कदम होना चाहिये कि उसे कागनिजेबिल आफेंस बनाया जाय कि अब अगर कोई किसी के खेत पर

जबरदस्ती कब्जा करेगा तो सजा पायेगा। वरना हमारे बीच में जो यह कहा जा रहा है कि भूमिहीन लोग अधिक हैं मैं तो यह कहता हूं कि भूमिहीन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और अगर यही दशा रही तो थोड़े दिन में गरीब आदमी के पास खेत रहने को नहीं है। जबर्दस्ती लोग उस पर कब्जा कर लेंगे।

दूसरी बात मुझे आप से यह निवेदन करनी है कि आप ने इस सदन में भी बड़े जोर का वचन दिया था कि छोटे जमींदारों को पुनर्वास का भत्ता मिलेगा। लेकिन आखीर वह कहां चला गया ? आज तक किसी को नहीं मिल सका। बांड लेने के लिये तहसीलों में अगर कोई जाता है, सौ पचास रुपये का अगर बांड मिलता है, पचास का तो खैर नकद मिल जाता है, लेकिन अगर बांड मिलता है तो कम से कम तीन चार दिन वहां खड़े रहना पड़ता है। गवर्नमेंट के सारे काम डाकखाने के जरिये चलते हैं, लेकिन बांड का भुगतान जब तक तहसील में न जाओ और चार दरवाजों पर पूजा न करो, तब तक मिलना नामुमकिन है। मेरा यह सुझाव है कि उनको पुनर्वास का जो बांड मिलना है उस को जिस तरीके से मन्त्री जी मुनासिब समझें जल्द से जल्द दिलाने के लिये प्रयत्न करें और अगर कोई अड़चन न पड़े तो जैसे सारे काम डाकखाने से आसानी से हो रहे हैं, वैसे ही उनको डाकखाने के जरिये से भेज दिया जाय। श्रीमन्, इसी सदन में माननीय माल मंत्री जी ने, जब यह वृहद् जोत कर विधेयक पेश हुआ, तब यह बताया था कि दसी आमों पर सिंगिल प्वाइंट, यानी १ गुना लगेगा। लेकिन मैं नहीं जानता कि वह गलती से हो गया, और मैं ऐसा ही विश्वास करता हूं, माननीय मंत्री जी के बयान के बाद वहां साढ़े १२ गुना लग गया। आप यह समझें कि साढ़े १२ गुने का हुक्म आप का गया, वह सम्भव है गलत गया हो, या मेरे समझने में गलती हो, लेकिन वहां ऐसे ही लगाया जा रहा है। आप को इस बात की दुरुस्ती करवा देनी चाहिये ताकि जो देरी हो रही है और जो परेशानी है वह दूर हो जाय।

इसके बाद में आज जो चीज चारों तरफ व्याप्त है वह हमारे जिले में खास तौर से कब्जे की भरमार इतनी जोर की है, जमींनों पर आधिपत्य करना, गांव समाज की जमीन का अपहरण करना, यह बड़े लोगों का कर्तव्य हो गया है, चाहे कब्जा पट्टे के रूप में हो, चाहें जबरबस्ती लिखवा कर। तो मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस बात की जांच करायें कि कितनी जमीन इन ३-४ सालों में दी गयी और किनको दी गई और कितने लोग गैर-काबिज हैं। और यह तो सब जगह है। मैं यह मानता हूं कि हर जगह इस बात के आपने आदेश दे दिये हैं कि लेखपाल के कागज का इतना परसेंट जांच करेगा कानूनगो और कानूनगो का नायब तहसीलदार और नायब तहसीलदार का तहसीलदार और तहसीलदार का डिप्टी। लेकिन अगर वह न करे तो उनको क्या सजा दी जायगी ? इसका भी कोई निश्चित आदेश दे दें जिससे यह बात चलती रहे।

तीसरी बात यह है, यहां बड़े जोरों की चर्चा की गयी कि चकबन्दी बन्द कर दी जाय। लेकिन, श्रीमन्, मुझे जो तर्जुबा है मैं आपसे निवेदन करूंगा। मेरे जिले में तो चकबन्दी ने अभी कृपा नहीं की लेकिन हमने खेत अपने गांव वालों से मिन्नत करके जो हमारे पास ६४ एकड़ जमीन थी सबसे बदल कर एक चक बना लिया। रह गयी ५२ एकड़। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी पैदावार चक के बना लेने से चौगुनी बढ़ गयी है। चकबन्दी ऐसा पुनीत काम कोई नहीं है और जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाय। जहां तक मेरा अनुभव है, मेरे गांव के दो आदमी हैं, एक सी० ओ० है और दूसरा कुछ और है अभी थोड़े दिन हुए मिले थे, वह कहते हैं कि इस महकमे में जरा सी शिकायत पर फौरन बरखास्तगी होती है, अब इसमें किसी को नौकरी दिलवाने का काम न कीजिये। तो जहां इतनी सख्ती हो, उस काम को अवश्य बढ़ाया जाय। हमारे पड़ोस में डुमरियागंज में चकबन्दी हुई है, मैं वहां गया था, लेकिन मुझे कोई

[श्री बलदेव सिंह---]

इतनी जबरदस्त शिकायत नहीं मिली जिससे यह नतीजा निकाला जाय कि यह कार्य होने लायक नहीं है। यह होना चाहिये, इसी से देश का कल्याण होगा। चाहे कैसी कठिनाई आवे, फिर भी इस कार्य को जारी रखा जाय और जल्द से जल्द इस कार्य को करके सारे सूबे में चकबन्दी करा दें। इसी से देश की उपज बढ़ेगी। यह एक पुनीत कार्य है कि सब के बिखरे हुए खेत एक जगह कर दें। इसी से देश का कल्याण होगा।

श्री सईद अहमद अंसारी (जिला सहारनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरा पहला मौका है इस सदन में बोलने का। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बहुत मुमकिन है कि मुझ से कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल हो जायं, आप माफ करेंगे। एक साल हो गया है मुझे सुनते-सुनाते कभी इस ओर के लोग उधर के लोगों पर हमला करते हैं और कभी उधर के इस ओर बैठे हुए सदस्यों पर हमला करते हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि वे कोई ऐसी ठोस दलील क्यों नहीं देते जिससे सरकार के लिये, मुल्क व कौम के लिये बेहतरी हो। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करता हूं कि जो हजरात जमींदारी के हक में बोल रहे हैं इससे कब्ल वे जमींदार थे और वे शायद यह चाहते हैं कि जमींदारी हमेशा कायम रहे। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज कर दूं कि इससे कब्ल जमींदारी का जो समाज कायम किया गया था वह गवर्नमेंट बरतानिया द्वारा किया गया था और कुछ मालदार हजरात ऐसे थे जिनके पास १०-२० मवाजियात होते थे। उनसे गवर्नमेंट थोड़ा सा लगान ले लेती थी और बाकी लगान जो वे किसानों से वसूल करते थे उन्हीं के पास रह जाया करता था। मेरे हल्के में ऐसा होता था कि जो गरीब काश्तकार थे वे बटाई पर जमीन लेते थे। जमींदार मालदार होता था और उसके पास कुछ काम करने वाले लोग होते थे। वे फसल का हिसाब लगा कर लगान वसूल करते थे। फर्ज करो कि फसल कमजोर है, ४ मन के हिसाब से किसी खेत में फसल होती है, लेकिन काम करने वाले उसको ६ मन बताते थे और गरीब किसान मजबूरन उसे ही मान लेता था। नतीजा यह होता था कि फसल जब कटती थी तो ४ मन में ३ मन जमींदार ले लेता था और बचा १ मन। उस १ मन में गरीब किसान क्या कपड़ा बनाये, क्या खाये? थोड़े दिन किसी तरह से हिसाब-किताब चला। फिर जमींदार से उसने कर्ज ले किया, उसका सूद बढ़ा। सूद बढ़ने का नतीजा यह हुआ कि जो उसके पास थोड़ी बहुत जमा की हुई पूंजी थी वह भी खत्म हो जाती थी और उसके खत्म होने पर उस पर इतने मजालिम होते थे कि जिनकी कोई हद नहीं। बारपाई के नीचे उसका हाथ दबा दिया जाता था और उसकी छाती पर पत्थर रख दिया जाता था और कहा जाता था कि माल बेचो, जमीन बेचो और यहां तक लफ्ज इस्तेमाल किये जाते थे कि जोरू बेचो। एक तरफ तो यह होता था, लेकिन दूसरी तरफ आजकल का रुख देखा जाय। मौजूदा सरकार ने डेमोक्रेसी को अपनाया। डेमोक्रेसी तब तक कायम नहीं हो सकती थी जब तक जमींदारा खत्म नहीं किया जाता। जिस समय इलेक्शंस का टाइम आता था तो जमींदार की तरफ से कहा जाता था कि देखो, कल कहीं नहीं जाओगे, हमें वोट देना पड़ेगा। इस तरह से राय देने के हक से भी वे महरूम रह जाते थे। इसका नतीजा यही निकला कि डेमोक्रेसी का चलना बिना जमींदारे को खत्म किये हुए मुश्किल था, लिहाजा जमींदारे को खत्म किया गया।

उस पार बैठने वाले माननीय सदस्य फरमाते हैं कि ये जो टैक्सेज लगाये जा रहे हैं इनको खत्म किया जाय, ये ज्यादा हैं। अगर इनको खत्म किया जायगा तो दूसरी तरफ जो भुखमरी का सवाल किया जाता है उसे कैसे हटाया जायगा, जब पैसा नहीं होगा? फिर उधर के लोग चाहते हैं कि तालीम भी मुफ्त हो, जगह-जगह बीज गोडाउन बनें, ट्यूबवेल्स लगाये जायं, बांध बने, तो यह सब कैसे होगा? आसमान से तो पैसा आयेगा नहीं। सरकार अगर पैसा टैक्सेज के जरिये वसूल नहीं करेगी तो कहां से करेगी? नतीजा यह होगा कि गवर्नमेंट फेल हो जायगी और सिविल वार हो जायगी और गवर्नमेंट उसे किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर पायेगी।

खात्मा जमींदारी जो हुआ है मेरी समझ में वह इतने शान्त तरीके से हुआ है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, यह लामिसाल चीज है। इसको मैं सुनेहरा इनक़लाब कहूंगा। इसके लिये मैं इस सरकार को मुबारकबाद देता हूं।

अब चकबन्दी का मसला है। चकबन्दी की मुखालिफत की जा रही है, लेकिन उससे बहुत फायदे हैं। फर्ज करो, एक खानदान है, उसमें एक दो बच्चे हैं, एक बीवी है और एक बड़ा घर में करने वाला है। अगर उनके अलग-अलग खेत हैं तो बच्चों को सूखी, बासी रोटी दे कर भेज देते हैं, एक तरफ बीवी और एक तरफ खाविन्द चले गये, न तो वह बच्चों को अच्छी तालीम दे सकता है और न और किसी किस्म की तरक्की कर सकता है। इसके अलावा कोआपरेटिव सिस्टम भी तभी कामयाब हो सकता है जब जमीन एक जगह हो जाय। कोआपरेटिव फार्मिंग कहीं भी हो अगर वह चकबन्दी की जगह पर हो तो सबको जाब्ते के तरीके से पैसा मिलेगा। और अगर अलग-अलग जमीन हुई तो यह चीज कामयाब नहीं हो सकती और साथ ही जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे वह भी खाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा चकबन्दी बहुत अच्छी चीज है और सब तरफ से यह मांग आ रही है कि चकबन्दी हो जाय जिससे एक जगह रहकर काश्तकार अपनी खेती की देखभाल कर सकता है। बाज मौकों पर तो ऐसा हुआ कि किसान ने खाद डाला तो खाद ही चोरी चला गया। अब अगर वह पुलिस में रिपोर्ट करता है तो पुलिस कहती है कि तुम रखवाली पर क्यों नहीं रहते। और चकबन्दी है तो कुर्बोजवार के आदमी भी मौजूद रहेंगे और देखभाल में मदद कर सकेंगे। लिहाजा यह बहुत अच्छी स्कीम है। विरोधी दल अगर इसकी मुखालिफत करता है तो इसको वही बेहतर समझ सकता है।

मंगलौर में मुसलसल ३–४ साल से सैलाब आ रहा है। वहां एक मर्तबा बहुत ज्यादा जालावारी हुई। उसके बाद सैलाब आया तो एक मौत हुई, दूसरा सैलाब आया तो दो मौतें हुईं, तीसरी मर्तबा सैलाब आया तो ३ मौतें हुईं। मामला आगे को बढ़ रहा है लेकिन अभी तक वहां किसी माफी वगैरह, मालगुजारी या लगान में रिआयत नहीं दी गयी और मुसलसल तरीके से वसूल की जा रही है। इस सिलसिले में मैं आपके द्वारा माल मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें और जहां मुसलसल सैलाब आ रहा है उनके लिये कुछ ऐसा इन्तजाम करें जिससे गरीब किसान जो हर साल तबाह व बरबाद हो जाता है उसको रिआयत मिले। वहां चीज यह है कि चीप रेट्स की गल्ले की दुकानें खोली जा रही हैं, लेकिन देहात में कहा जाता है कि काश्तकार रहते हैं, पर मजदूर भी रहते हैं, तो उनके लिये वहां कोई अनाज की दुकान कायम करें।

तीसरी अर्ज यह है कि मुहम्मदपुर पावर हाउस बनने से जो सतह पानी की है मंगलौर की, वह ऊंची आ गयी है और चोआ से पानी मुसलसल भरा रहता है, कभी सूखता नहीं। लेकिन आबपाशी और मालगुजारी वैसे ही वसूल की जा रही है। उसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दरख्वास्त करूंगा कि मैंने एक साल पहले एक सवाल किया था लेकिन नहीं मालूम एक साल हो गया, वह कहां पड़ा है! तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि उसकी तरफ तवज्जह दें और कोई ऐसी स्कीम बनायें जिससे नाला वगैरा बन जाय और पानी का निकास भी हो जाय। धन्यवाद।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)––उपाध्यक्ष महोदय, आज जो वित्तीय अनुदान हमारे समक्ष माल विभाग के सदन की अनुमति के लिये प्रस्तुत हैं उनके सम्बन्ध में अपने वक्तव्य के द्वारा माननीय मंत्री जी को कोई सुझाव देने का तो मैं इसलिये साहस नहीं कर सकता कि मेरे थोड़े से अनुभव के आधार पर मेरी यह धारणा है कि हमारे माल मंत्री माननीय श्री चौधरी चरण सिंह जी अपने विषय के जितने बड़े ज्ञाता हैं, जितना बड़ा उन्हें भूमि समस्या पर अधिकार

[श्री रामकुमार वैद्य—]

और ज्ञान प्राप्त है उसमें मेरे सुझावों का कोई विशेष महत्व नहीं होगा। लेकिन मैं सामान्यतया धन्यवाद देने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में अपने विचार आपके द्वारा इस सदन के आदरणीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम धन्यवाद केवल सदन में अनुदान प्रस्तुत किये गये यदि इसके लिये देने लगेंगे तो फिर जो महत्वपूर्ण कार्य हुये, विशेष किसी कार्य के प्रति अपनी निष्ठा प्रस्तुत करना चाहें तो उस समय कुछ कहने के लिये शेष नहीं रह जायगा। इसलिये मैं धन्यवाद की बात नहीं कहूंगा; किन्तु मैं अपने जिले की जनता की ओर से विशेषकर माननीय माल मंत्री जी के प्रति आपके द्वारा आभार प्रदर्शित करता हूं। कारण यह है कि सितम्बर सन् ५७ में पश्चिम में जो बाढ़ आयी थी तो उस समय मेरे जिले मुरादाबाद में भी भयानक बाढ़ आयी थी। उस समय माननीय मंत्री जी ने, उनके विभाग के सभी कर्मचारियों ने मुरादाबाद में जिलाधीश से लेकर जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने जिस तत्परता से कार्य किया उसके लिये मुरादाबाद की जनता सबके प्रति और विशेषकर चौधरी साहब के प्रति बहुत कृतज्ञ है। यह ठीक है कि जैसी विपत्ति उस क्षेत्र में आयी उसके अनुसार सहायता यह सरकार नहीं दे सकी और कदाचित् दे भी नहीं सकती थी, इसलिये कि जब सर्वनाश होता है, विशेषकर दैवी कारणों से, तो उसको सरकार पूर्णरूप से पूरा नहीं कर सकती। फिर भी, मेरी क्षेत्रीय जनता और मेरे जिले के लोगों को बड़ी राहत मिली क्योंकि सरकार द्वारा बड़ी शीघ्रता से कार्य किया गया था और जनता की विपत्ति को विपत्ति माना गया था।

इसके अतिरिक्त मंत्री जी की सेवा में मैं तो तीन सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं अनुभव करता हूं कि जब से भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किये गये, जमींदारी अबालिशन हुआ, बड़ी-बड़ी जोतों पर प्रतिबन्ध लगाये गये और बहुत प्रकार के अधिकार कृषकों को दिये गये और एक नयी व्यवस्था का उदय हुआ, उसके साथ ही साथ कुछ कठिनाइयां भी उपस्थित होने लगीं। जैसे-जैसे खेती का महत्व हमारे किसानों की समझ में आता जाता है कि आज कृषि का मूल्य अधिक है और किसानों को यह आशा होती जाती है कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, उतना ही उन्हें भूमि के प्रति मोह बढ़ रहा है। उसका एक बुरा परिणाम यह है कि अपने खेतों की एक-एक इंच भूमि तो वे जोतते चले ही जाते हैं साथ ही साथ ग्रामों के बीच जो एक ही रास्ता है, जिस पर लोग चल सकें और परिवहन हो, वह भी गायब होता जाता है। पहले जहां १०—१० और ८—८ फीट की सड़कें थीं, वहां अब २—२ और ढाई-ढाई फीट की पगडंडियां रह गयी हैं। हम लोग बड़े-बड़े प्रश्नों पर तो ध्यान देते हैं लेकिन इन कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं देते। जबकि यह स्पष्ट है कि हमारे प्रान्त में बहुत सी सड़कें पक्की नहीं हैं और बहुत वर्षों तक ये पक्की हो भी नहीं पायेंगी तो कम से कम जो कच्चे रास्ते हैं उनको तो निकाला जाय और उनकी जगह निर्धारित की जाय। इसके लिये मेरा आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन है कि वह इस विषय में तेजी से कदम उठाये। किसी एक छमाही में तमाम सड़कों का सर्वे कराया जाय और उन्हें दुरुस्त किया जाय, जहां सड़कें कम चौड़ी रह गयी हैं वहां उन्हें चौड़ा किया जाय।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि माल विभाग में भ्रष्टाचार की बाबत बहुत कहा जाता है और कदाचित् यह सत्य है कि माल विभाग में भी अन्य विभागों की तरह भ्रष्टाचार होगा। मैं यह भी समझता हूं कि माल विभाग का सम्बन्ध जहां हमारे प्रान्त की अधिकांश जनता खेती पर निर्भर करती है उससे है। तो जिस विभाग का सम्बन्ध अधिक से अधिक जनता से रहेगा तो यह निश्चित है कि यदि हमारे दैनिक जीवन में बुराई विद्यमान है तो वह बुराई हमारे माल विभाग में भी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इस उपाय से भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता कि प्रायः उसकी चर्चा हो और उसी से हम संतोष करलें कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। इस सम्बन्ध में न तो कोई नैतिक आन्दोलन ही किया गया है इस प्रान्त में व्यापक रूप से और न ही मैं समझता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई क्रान्तिकारी कदम ही उठाये हैं। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार को

दूर करने की और जहां बहुत से प्रभावोत्पादक कदम उठाये जा सकते हैं वहां यह भी हो सकता है कि माल विभाग में जो बहुत से कर्मचारी हैं उनके कार्य की सीमा निर्धारित कर दी जाय। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी जितनी तहसीलें हैं और उनमें जितने कर्मचारी हैं उनके कार्य की कोई सीमा नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि वहां पर भ्रष्टाचार होगा लेकिन उनकी कार्यशैली में भी कोई दोष होगा। लेकिन जहां हम उनके भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं वहां हमें उनके साथ सहानुभूति नहीं होती कि माल विभाग में कितना कार्य होता है। एक पटवारी सुबह से रात्रि तक कार्य करता है। मैंने खास तौर से एलेक्शन के जमाने में देखा है कि उनको रात दिन काम करना पड़ता है। ये अल्पभोगी कर्मचारी जितना काम करते हैं उसकी सराहना हम नहीं करते। अगर मिनिस्टर साहब का दौरा हो, चाहे वे माल विभाग के मिनिस्टर हों या किसी दूसरे विभाग के हों, लेकिन तहसील वालों को बराबर काम करना पड़ता है। आज उनके काम की कोई सीमा नहीं है। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो वहां के सामान्य कर्मचारी हैं, नीचे दर्जे के कर्मचारी हैं, ९० प्रतिशत उनका वेतन स्तर ऊंचा किया जाय। उनके कार्यों की गुरुता को देखते हुये मैं समझता हूं कि जहां कहीं भी भूमि व्यवस्था हो उससे सम्बन्धित कर्मचारियों में अगर असंतोष न हो तो कोई बजह नहीं दिखाई देती कि उनमें भ्रष्टाचार हो। मैं कोई कारण नहीं समझता कि एक व्यक्ति को अगर अधिक सुविधायें दी जांय उसके बाद भी वह खराब होगा और वह बुराइयां करेगा। जहां तक मनुष्य का सम्बन्ध है, मैं नहीं मानता कि वह बुराइयों से प्रेम करता है बल्कि परिस्थितियों के वश वह बुराइयां करता है। इसके साथ-साथ मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि जो अन्य उपाय हों वह न किये जांय। विभागीय दंड की पद्धति तो होनी ही चाहिये। मुझे इतना ही निवेदन करना था। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव पर और अन्य सदस्यों द्वारा जो सुझाव रखे गये हैं उन पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

*श्री बाबूराम (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके द्वारा माननीय माल मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और कुछ सुझाव अपनी तरफ से पेश करूंगा। पहली बात भूमि व्यवस्था के बारे में जो कही जाती है वह किसी हद तक सही है। हमारी सरकार ने भूमि व्यवस्था के बारे में जो कदम उठाए, पहले जमींदारी खत्म करने की बात और फिर अधिवासियों को जो हक दिये उनसे जितना फायदा सरकार चाहती थी कि किसानों को मिलें वह नहीं मिल सका। उसमें ऐसी चीज रही कि अगर छोटा काश्तकार किसी बड़े आदमी की जमीन पर अधिवासी बन गया तो उन्होंने अपनी ताकत की बदौलत उनसे इस्तीफा ले लिया।

दूसरी चीज यह है कि ग्राम सभाओं में जो जमीन खाली हुई वह असल में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमीन मिलनी चाहिए थी लेकिन वह उनको न मिलकर ग्राम सभा के अधिकारियों ने अपने परिवारवालों को या अपने सम्बन्धियों को जमीन दी।

तीसरी चीज में चकबन्दी के सिलसिले में कहना चाहता हूं। जहां तक चकबन्दी का सवाल है, कुछ हमारे साथियों ने चकबन्दी का विरोध किया, । उनकी बात सही हो सकती है क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग हमारे साथियों ने चकबन्दी के खिलाफ प्रचार भी किया और इसी बात पर यहां चुनकर आये कि वे चकबन्दी नहीं होने देंगे, लेकिन उनको यह मालूम नहीं कि चकबन्दी ऐसी चीज बड़ी अच्छी और बेहतरीन चीज है जिसको हर आदमी पसन्द करता है। हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां हों और उन कमियों के कुछ कारण हों जैसे कि हमारे जो अधिकारीगण थे वे भी चकबन्दी से अधिक परिचित नहीं थे पूरी तौर से। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूराम]

उसी इलाके से चुनकर आया हूं जहां चकबन्दी हो रही है और वहां पर किसान लोग चकबन्दी से भलीभांति परिचित नहीं थे जिसकी वजह से काफी खराबी वहां हुई। चकबन्दी के विषय में मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मेरा यह निवेदन है कि जो चक बनाये गये वह सीधे-सीधे और चक्करदार न बनाकर टेढ़े तरीके से बनाये गये। जो चकबन्दी के अधिकारी हैं उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि एक चक से दूसरे चक में जाने आने के लिये रास्ते की व्यवस्था नहीं है जिससे लोग आसानी से इधर-उधर जा सकें। चकबन्दी का दारोमदार इस बात पर था कि हारबन्दी के तरीके से चक बनाये जायें लेकिन वह हारबन्दी सही तरीके से नहीं हुई। मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार की जहां पर गड़बड़ी हुई है अगर वहां के ५० फीसदी किसान यह चाहते हैं कि चकबन्दी का कार्य वहां पर दोबारा हो तो वहां पर इस कार्य को दोबारा किया जाय। वह इसका खर्चा भी देने के लिये तैयार होंगे। तो इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिये।

मैं एक यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत से ऐसे गांव हैं जो दरिया से कट गये हैं। दरिया के कट जाने की वजह से उनके रहने के लिये कोई जगह नहीं है। तो सरकार कोई व्यवस्था करे जिससे जिन लोगों के पास कोई जगह नहीं है उनके आबाद करने के लिये कोई व्यवस्था की जाय।

एक बात मैं सहकारी खेती के विषय में कहना चाहता हूं। मैं यह मानता हूं कि सहकारिता बड़ी अच्छी बात है लेकिन हमारा प्रदेश अभी सहकारिता के काम को चलाने के योग्य नहीं है। मैं देखता हूं कि जो लोग सहकारिता की आवाज उठाते हैं वह आपस में एक दल बनाकर बैठ जाते हैं। उनमें सहकारिता नहीं चल पाती है और आपस में बहुत से मतभेद रह जाते हैं। तो हमारा प्रदेश जो इतना बड़ा है वहां पर सहकारिता की खेती चल सकेगी यह मुश्किल चीज है। मैं अधिक समय न लेकर इतना कहना चाहता हूं कि माल मन्त्री जी ने इस देश में एक बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया है और उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मलिखान सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले की कुछ समस्यायें हैं इस माल विभाग के सम्बन्ध की। इस सरकार को बने हुये ११ वर्ष हो गये लेकिन अभी तक हमारी तहसील के इन्दराज की गड़बड़ी के सम्बन्ध में कागजात दुरुस्ती नहीं हुई। एक बार तो इन्दराज दुरुस्ती की कार्यवाही हुई थी लेकिन उससे कोई खास नतीजा नहीं निकला। हम चाहेंगे कि माननीय माल मन्त्री पुनः इन्दराज दुरुस्ती के लिये कदम उठायें। हमारे जिले में इस तरह की गड़बड़ी है कि पहले कानून से बहुत गांवों में चकबन्दी हुई थी लेकिन किसानों ने अपने पुराने खेतों को नहीं छोड़ा। आज वहां पर उन किसानों का नाम उनके पुराने खेतों पर दर्ज हो गया है। उस पर उनको अधिवासी बनाकर दुगना लगान कर दिया गया। किसान चाहते हैं कि हम अधिवासी न हों बल्कि पुरानी ही हालत में माने जायं ताकि उनका लगान कम हो जाय। मेरे यहां के कई गांवों में ऐसी शिकायतें मिली हैं। मेरे यहां के किसानों की ३३ बटा ३९ के दाखिले की राय एस० डी० ओ० ने दी थी कि अगर लेखपाल तस्दीक कर दे, और गांव वाले जिनके खेत में इस तरह की गड़बड़ी हो गई है, मेरे यहां ३३ बटा ३९ दाखिल कर दें तो उनका नाम दुरुस्त हो जायगा। मुझे कुछ लेखपालों के सम्बन्ध में माननीय माल मन्त्री जी से कहना है कि कुछ गांवों से इस तरह की शिकायतें आई हैं कि वहां पर लेखपालों ने इन्तखाब देने में ३३ बटा ३९ की कार्यवाही के अन्दर काफी रुपया लिया है, जिनके विरुद्ध कार्यवाही होना जरूरी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सिसवामुंशी, रामपुर मीर और रजवल आदि गांवों में खासकर यह बात हुई है, मेरी इस बात को नोटिस समझ कर माननीय माल मंत्री जी उसकी जांच करायें तो अच्छा होगा।

श्री चरणसिंह--मैं इसको नोटिस नहीं समझूंगा जब तक कि आप लिख कर तफसील से नहीं देंगे।

श्री अमरनाथ--अच्छी बात है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जैसा श्री बलदेवसिंह जी ने कहा कि गोंडा में बहुत सी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, ठीक यही हालत हमारे यहां की भी है। मैं चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री जी उस ओर ध्यान दें। जो गरीब किसान, मजदूर और खास कर हरिजन हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उन्हीं के खेत पर जबरदस्ती कब्जा किया जाता है। शिकमी काश्तकारों को, गोकि आपने अधिवासी के अधिकार दे दिये हैं, लेकिन वे लोग जिनकी वह जमीनें पहले थीं, हटाकर जबरदस्ती उन पर कब्जा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन पर असल काश्तकारों ने उज्रदारी कर रखी है और मैं समझता हूं कि इस वक्त तक जिनका फैसला हो चुका है उनको छोड़ कर करीब १,००० उज्रदारी मेरी तहसील में इस तरह की होंगी और दो तीन साल से यह उज्रदारियां चलती चली आ रही हैं। उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां मालूम हुआ कि एस० डी० ओ० और तहसीलदार उनको देखते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता। अगर कोई एक अफसर इसके लिये और बढ़ा दिया जाय तो अच्छी बात होगी ताकि जल्दी से जल्दी यह मुकदमे फैसल हो जायं। इनके लिये किसानों को बार-बार जाना पड़ता है, तारीखें बढ़ती जातीं हैं और वह परेशान होते हैं। वहां, जैसा कि सभी को मालूम है, किसान सिर्फ परेशान ही नहीं होते वरन् उनको पूजा भी करनी पड़ती है। इस संबंध में माननीय शिब्बनलाल सक्सेना जी ने लिखित रूप में शिकायत भी भेजी थी कि वहां दोनों फरीकों से रुपया लिया जाता है और तारीखें छोड़ी जाती हैं और मुकदमों में कोई कार्यवाही नहीं होती लेकिन अब तक उस दरख्वास्त के संबंध में कुछ पता नहीं चला कि क्या कार्यवाही की गयी।

दूसरी बात यह कि अपाहिजों के खेतों पर भी आपके लेखपालों ने शिकमी काश्तकारों को सीरदार करार दे दिया है। उनको असामी के अधिकार मिलने चाहिये थे, लेकिन उनको सीरदार बना दिया गया। वे जमीन के मालिक अपाहिज हैं, उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं, अदालतों में जाकर वे अपनी पैरवी भी नहीं कर सकते। तो उनको इस तरह से परेशान करना ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा और सुझाव देता हूं कि माननीय मंत्री जी कानून में कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे इन अपाहिजों को परेशान न होना पड़े। इस प्रकार की कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके अलावा मेरी तहसील में बहुत से किसानों को दसगुने की सनदें नहीं दी गयीं। दाखिल खारिज के लिये सनद की जरूरत पड़ती है और वह समय से सनद दाखिल नहीं कर पाते। उन्हें बड़ी दिक्कत हो गयी है। उस पर एस० डी० एम० या तहसीलदार के दस्तखत समय से नहीं हो पाते, ताकि वे किसानों को समय से मिल सकें और वह उनको अपने मुकदमों में समय से दाखिल कर सकें। मंत्री जी को इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। हमारी तहसील हमेशा बैकवर्ड रही है और वहां जमींदारी के जमाने में जमींदार लोग किसानों के नाम जमीन नहीं होने देते थे और उसे छीन लेते थे। वहां ज्यादातर किसान भूमिहीन हैं। वहां बंजर जमीन भी बहुत है जिसका कुछ उपयोग नहीं हो रहा है। गोकि गांव समाज को अधिकार सरकार ने दे रखा है कि वह भूमिहीनों को जमीन का बटवारा करे लेकिन वह नहीं हो रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जिलाधीश को आदेश देकर या किसी भी तरह उस जमीन को भूमिहीनों को दिलावें।

हमारे यहां अधिवासियों के मुकदमों में या दाखिल-खारिज के मुकदमों में अथवा दुरुस्ती कागजात इत्यादि के फैसलों के अमलदरामद में बड़ी दिक्कत होती है। गोकि अदालत को यह खुद करना चाहिये लेकिन जब तक अहलकारों को कुछ नहीं दिया जाता है, अमलदरामद नहीं होता है। जो कुछ नहीं देता है उसकी मिसल दाखिल दफ्तर हो जाती है और वह हैरान

[श्री अमरनाथ—]

किया जाता है। इसी तरह लोगों को नक्शा नं० २७ लेने में अहलकारों को कुछ देना पड़ता है तब वह मिल सकता है। नहीं तो कई दिन उनके बेकार हो जाते हैं। श्रीमन्, अभी श्री बलदेवसिंह जी ने भी कहा था कि इस तरह उन्हें वहां भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे जल्दी नक्शा मिले और जल्दी पुनर्वासन अनुदान भी मिल जाय जिसमें उस नक्शे को दाखिल करना होता है। अभी तक हमारे जिले में और खासकर महाराजगंज तहसील में पुनर्वासन अनुदान नहीं बंटा है। मुआइना मिसल का तरीका है कि कोई आदमी बिना कानूनी फीस दिये नहीं कर सकता, लेकिन जो यह सरकारी फीस देकर मुआइना करता है उसे अधिकारी परेशान करते हैं और देर लगती है और परेशानी होती है और जो अहलकारों को या मुहाफिजखाने वालों को कुछ दे देते हैं उन्हें आसानी से मुआइना करा दिया जाता है। माल मंत्री जी कोई सख्त आदेश दें जिससे इस तरह की बात न हो।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माल मंत्री जी को प्रस्तुत अनुदानों पर धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं।

आज भी और आज से पूर्व भी विशेषकर दो बातें इस सदन में सुनने को मिलीं। एक तो चकबन्दी का कुछ माननीय सदस्य चाहे वह उससे वाकिफ हों या न हों, उसूलन विरोध किया करते हैं। दूसरे, मालगुजारी की वसूली के सम्बन्ध में हमारे पूर्वी जिलों के कुछ माननीय सदस्य, और विशेष कर माननीय गेंदासिंह जी, सदैव विरोध करते हैं। वह दिन तो हम शीघ्र देखने वाले हैं जब श्री गेंदासिंह जी का राज्य इस प्रदेश में होगा और उस समय कोई भी टैक्स किसी भी रूप में जनता से वसूल नहीं होगा, लेकिन जनता के लिये शायद लखनऊ से कुछ सजे सजाये माल खाने के लिये भेजा करेंगे। बाढ़ के मौके पर, बजट के मौके पर, प्रश्नों के मौके पर, उनसे सदैव ही यह सुना कि फीस वसूल न की जाय, बाढ़ या आपत्ति के समय में जो सहायता या तकावी सरकार की ओर से दी जाती है, उसमें से एक पाई भी वसूल न की जाय। यह बात तभी तक शोभायमान होती है जब तक कि वे किसी जिम्मेदारी के पद पर आसीन नहीं होते। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता, चाहे वह पूर्वी जिलों का हो या पश्चिमी जिलों का हो, कि एक भी पैसा मालगुजारी का न लिया जाय और यह कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उन हिस्सों पर लगा दिया जाय जहां की नुमायंदगी ज्यादा हो।

मैं जरा भी इस बात को कहने में हिचकता नहीं हूं कि दैवी प्रकोप के कारण पूर्व और पश्चिम के लोग एक साथ पीड़ित हुए, चाहे वह ओला हो, अतिवृष्टि हो या सूखा हो। इस में भी शक नहीं कि हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी आर्थिक कठिनाई है, लेकिन मैं बहुत गौरोखोज के साथ यह कहता हूं कि इन आर्थिक कठिनाइयों के साथ-साथ जो पब्लिक की रीढ़ टूटी है, उसको तोड़ने में विरोधी दल के लोगों का हाथ रहा है, उन लोगों का हाथ रहा है जो जनता को निरुत्साहित और अकर्मण्य बनाते हैं, जो यह आन्दोलन किया करते हैं कि टैक्स न दो, लगान न दो। जनतंत्र में यह आवश्यक होता है कि हम जनता के साथ सहानुभूति रखें लेकिन उस सहानुभूति के माने यह नहीं होते कि वह दैवी प्रकोपों का सामना करना भी बन्द कर दें और यही कहती रहे कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता हुई कि मुरादाबाद के वैद्य जी ने इस बात को माना कि यद्यपि बाढ़ के मौके पर उतनी सहायता नहीं हुई, जितनी कि होनी चाहिये लेकिन फिर भी जहां तक सरकार कर सकती थी, उसने किया। उन्होंने बहुत साहस के साथ इस बात को सदन में स्वीकार किया। चरित्र के माने भी यही हैं कि जो वास्तविक बात हो उसके कहने में कोई हिचकिचाहट न हो। मुझे पहली बार ही यह सुनने का मौका मिला जबकि विरोधी पक्ष की ओर से किसी ने यह कहा हो कि आपत्ति के समय जो सहायता की गयी उसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है।

विरोधी दल के लोगों ने जिनमें से बहुतों में मेरी श्रद्धा भी है, कभी भी यह नहीं कहा कि जनता की मुसीबत के समय सरकार की ओर से किसी भी अंश में जो सहायता की गयी, उसके लिये सरकार धन्यवाद के काबिल है। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के लोग

बजाय इसके कि केवल आलोचना ही करें, जनहित में जो कार्य होते हैं, उनका वर्णन भी करें और सबल आलोचना करें तो देश की जनता उनकी आभारी होगी। लेकिन उन सभी कामों की निन्दा करना, जो कि सरकार की तरफ से किये जाते हैं, उससे जनता में यह खयाल हो सकता है कि यह तो इनकी आदत ही बन गयी है। अच्छी बातों को छिपाने की आदत बन जाने से न तो कांग्रेस सरकार के लिये अच्छी बात होगी, और न विरोधी दल के लिये ही अच्छा होगा और जनतंत्र के लिये यह चीज घातक साबित होगी।

अब चकबन्दी के संबंध में मुझे कुछ कहना है। कुछ लोगों ने चकबन्दी के विरोध में एक आन्दोलन प्रारम्भ किया था। मेरे क्षेत्र में भी पी०एस०पी० के नेताओं ने चकबन्दी के विरोध में जनमत को इकट्ठा करना चाहा। लेकिन मैंने सदैव ही विरोधी दल के लोगों को इसके लिये दावत दी और उनके साथ कंधे से कंधा लगा कर यह कहा कि अगर गांवों में ६० प्रतिशत भी दस्तखत चकबन्दी के विरोध में करा दोगे तो मैं कह दूंगा कि यहां चकबन्दी नहीं होनी चाहिये। लेकिन थोड़े दिनों के प्रयत्नों के बाद वे असफल रहे और उनको महसूस हो गया कि जनता चकबन्दी चाहती है। मैं यह तो दावा नहीं करता कि चकबन्दी के कारण मैं चुनाव में जीत गया क्योंकि चुनावों में जीत और हार के अनेक कारण होते हैं लेकिन मैं यह दावा करता हूं कि तहसील सिकन्दराबाद में चकबन्दी लोगों की बहुत बड़ी संख्या के आग्रह के पश्चात् ही प्रारम्भ की गयी और बहुत बड़ा विरोधी लोगों का आन्दोलन आज इसीलिये ठंडा हो गया। २४ घंटे चकबन्दी के बीच में रह कर, हमारे यहां १०० गांव ऐसे हैं जहां लोगों ने आर जी तौर पर चक लगाये। बिलकुल गांव के किसान लोग मिल कर बैठ गये और अपना चक स्वयं बना लिया। सरकारी कर्मचारी वहां नाममात्र को मौजूद रहे और इसी वजह से मैंने प्रदेश की कमेटी में यह सुझाव दिया कि आफिसरों के मुकाबले में सबसे पहले गांव के लोगों को ही मौका दिया जाय कि वे अपने चक स्वयं लगा लें।

मेरी तहसील के जो आंकड़े हैं उनको देखें तो मालूम होगा कि २७० गांवों में मुश्किल से १० फीसदी ही रिवीजन के मामले हुये। अगर चकबन्दी आफिसर जनता के सहयोग से मौके पर जाकर जांच करें तो जो १० फीसदी किसान किसी वजह से चकबन्दी से नाराज हैं वे नाराज न हों। अगर जो कहते का बताशा गांव में बंटता है तो वहां भी १० फीसदी लोग ऐसे निकल ही आते हैं कहीं सगाई है कि हमें मुट्ठी कम मिली, हमें बताशे कम मिले; तो यह तो जमीन के परिवर्तन का मामला है जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है लेकिन जो लोग न किसान हैं और न किसान की अहमियत को समझते हैं और न मौके पर जाकर मुआइना ही करते हैं वे जब इसका विरोध करते हैं तो बड़ा दुख होता है। अगर मौके पर जाकर मुआइना किया जाय तो इसमें बहुत कुछ सुधार हो सकता है। मैंने माननीय माल मंत्री जी से प्रदेश की कमेटी में और जिले की कमेटी में भी यह सुझाव दिया था कि रिवीजन के अधिकारी डी०एम० हों या डाइरेक्टर हों; अगर वे मौके पर जाकर जांच करें तो चकबन्दी की तमाम असलियत खुल जायगी। अफसरों की बेईमानी, गांव के लोगों का अन्याय और गांव के बड़े-बड़े आदमी जो अच्छी जमीन लेना चाहते हैं, वह सब गांव में मौके पर जाकर मालूम हो जाता है। तो मैं हर एक नेता से और विशेषकर विरोधी दल के नेताओं से जो चकबन्दी का विरोध करते हैं, प्रार्थना करूंगा कि वे भी मौके पर जाकर जांच करें तो बहुत अच्छा हो।

मुझे अखबार में यह पढ़ने को मिला कि हरदोई के एक जनसंघी माननीय सदस्य ने माल मंत्री को बधाई का पत्र लिखा। उन्होंने पहले बजट के मौके पर इसकी बहुत कड़ी आलोचना की थी, लेकिन जब वे खुद हरदोई जिले में चकबन्दी क्षेत्र में मौके पर गये तब उन्होंने पत्र लिखा। यह मैंने समाचार पत्र में पढ़ा। वास्तव में यह सही बात है कि मौके पर अगर जाकर देखा जाय तो जो आदमी चकबन्दी के विरोध में यहां वावेला मचाते

[श्री रामचन्द्र विकल]

हैं वे असलियत को समझ जायेंगे। जहां तक बेईमानी की बात है वह तो हमारे देश में हमारे चरित्र में घर कर चुकी है। यह कह देना बहुत अन्याय होगा कि चकबन्दी विभाग का कोई कर्मचारी बेईमान ही नहीं, यह तो मैंने पहले ही बतलाया कि यह तो हमारे चरित्र में घर कर चुकी है। बेईमानी पहले होती थी, यह सही बात है लेकिन कोई सदस्य चाहे वह विरोधी दल का हो या इधर बैठने वाला हो, यह नहीं कह सकता कि जिस शख्स ने या सदस्य ने किसी आफिसर का नाम लेकर माननीय माल मंत्री जी से शिकायत की, उसके खिलाफ माननीय मंत्री जी ने कोई कार्यवाही न की हो।

मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि माननीय माल मंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ उन आफिसरों के खिलाफ हमेशा क्रांतिकारी कदम उठाया और उनकी हमेशा यह चुनौती रही कि चाहे कोई विरोधी दल का हो या इस तरफ का हो, कोई ऐसी शिकायत लावे जिसमें कुछ असलियत हो तो जांच के बाद उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायगी और कार्यवाही हुई है। इसी का परिणाम यह हुआ है कि प्रदेश के अन्दर चकबन्दी के बहुत काफी तादाद में आफिसर्स माननीय सदस्यों के कहने से या जनता के कहने से नौकरी से अलहदा कर दिये गये और उसी का परिणाम यह है कि धीरे-धीरे बराबर चकबन्दी के खिलाफ जो लोगों की गलत भावना पैदा हो गयी है, वह दूर हो रही है और अब लोगों को ढाढस बंधने लगा है कि चकबन्दी का काम बहुत अच्छा है और जिन तहसीलों और जिलों में अभी काम शुरू नहीं हुआ है, वहां के लोग चकबन्दी के काम को शीघ्र शुरू कराना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मलिखान सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत जोरों से इस बात को कहा गया है कि माल मंत्री जी ने जमींदारी को खत्म करके बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। लेकिन जरा यह नहीं सोचा कि वह क्रांतिकारी कदम किधर को गया। क्रांतिकारी कदम तो तब था जब कि जितना लगान जमींदार जमींदारी खत्म होने के पहले वसूल करते थे, उसमें जितनी मालगुजारी वे सरकार को देते थे, अगर सरकार उतना ही काश्तकारों से वसूल करती, तो इसमें कोई शक नहीं कि वह क्रांतिकारी कदम था। लेकिन नतीजा उसका उल्टा हुआ कि चोर जो पहले किसान के घर की चुपके से चोरी करता था उस को हटाकर हमारे ऊपर डकैत तैनात कर दिये गये जो मारें पीटें और जबरदस्ती जायदाद को छीन लें। उसका जिन्दा सबूत यह है कि जमींदारी जब थी तो अगर किसी साल कम पैदावार हुई तो अगर जमींदार ने लगान मांगा तो कह देते थे कि इस फसल में न देकर अगली फसल में दे देंगे और बहुत करें तो कुछ ब्याज लगा दें और इस पर वह खुशी से राजी हो जाते थे, लेकिन अब अगर किसान यह कह दे कि उसके पास लगान नहीं है तो उसको फौरन मुर्गा बनाया जाता है, कुर्की, वारन्ट गिरफ्तारी, सब कुछ हो जाता है, यहां तक कि दस पांच दिन के लिये उसे हवालात तक में बन्द कर दिया जाता है। इस तरह से बजाय चोरों के डकैत कायम किये गये हैं।

लगान कम करने के बारे में भी मैं कहूंगा कि जब यहां पर अंग्रेजी सरकार थी तो कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े-वादे किये गये थे, हम भी उस वक्त उस में शामिल थे क्योंकि उस वक्त हम भी कांग्रेसी थे। उस वक्त कहा जाता था कि अंग्रेजी हुकूमत जाने के बाद लगान आधा कर दिया जायगा, आबपाशी कम होगी, आठ आने से कम पैदावार होगी तो लगान माफ होगा, अगर १२ आने तक का नुकसान होगा तो मुल्तवी किया जायगा और खेती का बंटवारा होगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा और कोई किसान देहात में बिना खेत के नहीं रह जायगा। जो बड़े-बड़े खातेदार चार-चार और छै-छै सौ एकड़ जमीन पर कब्जा किये हैं उनकी जमीन छीनकर भूमिहीनों में तकसीम की जायगी लेकिन आज इन वादों में से कौन सा वादा पूरा हो रहा है?

श्री चरणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं एक बात माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो वादे बताये हैं वह आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी या प्राविंशियल कांग्रेस कमेटी के कौन से किस सन् के रेजोल्यूशन में बयान किये गये हैं?

श्री बालकराम---अगर मैं समझता कि इस विषय पर चौधरी चरण सिंह जी से बहस करनी पड़ेगी तो मैं उनको बाकायदा रख लेता बाकी आप कराची कांग्रेस का प्रस्ताव देखें और अगर आप मानें तो मैं सन् ३७ का जब एलेक्शन हुआ था उस वक्त के कुछ कागजात आप को दिखा सकता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो सन् ४७ के बाद कांग्रेसी बने। मैं सन् ३० से कांग्रेसी बना, पटवारगीरी छोड़कर बना। अगर कहा जाता है कि कांग्रेस ने लगान कम करने का वादा किया था तो कहा जाता है कि कम तो हो गये। कैसे कम हो गये तो कहा जाता है कि किसान की पैदावार के भाव पहले सस्ते थे अब तेज हो गये, अब उसको ज्यादा मिल जाता है और लगान अब भी वही है। सोचने की बात यह है कि अगर किसी किसान के पास १०० मन गल्ले का खर्च है और १०० मन उस के पास पैदा होता है तो उसका भाव बाजार में कुछ भी रहे उस पर कोई असर नहीं पड़ता चाहे रुपये का ५ मन बिके या ३ सेर बिके। उसे तेजी से क्या नफा नुकसान हुआ? इस तरह से काश्तकार को कोई लाभ उस में नहीं होता। इसके अलावा अगर गल्ले की तेजी हुई भी तो किसान को भी तो तेज भाव से तमाम दूसरी जरूरत की चीजें खरीदनी पड़ती हैं। उसको एक चीज बेचनी है तो २५ चीजें खरीदनी हैं। इस तरह से उसको तो नुकसान ही नुकसान रहता है। इस तरह से एक तो लगान अधिक है और इसके अलावा तमाम तरह के टैक्सेज लगान के साथ उस पर पड़ गये हैं। पंचायत टैक्स, बिक्री टैक्स, स्कूल की फीस आदि। और पंचायत के सभापतियों को आर्डर हो गया है कि कोई बच्चा किसी के घर में पैदा हो तो वह जा के इन्दराज कराये और एक रुपया दाखिल करे। खैर, यहां तक तो खुशी की बात थी कि अगर किसी के लड़का पैदा हुआ तो उसने एक रुपया इनाम में दे दिया। लेकिन तारीफ तो यह है कि अगर कोई मरे और फिर लिखाने जाय तो भी वह एक रुपया दाखिल करे। यह माननीय स्वास्थ्य मंत्री नोट करें, अगर यह बात गलत हो तो मैं मान जाऊंगा। आप अपने सभापतियों को लिख के भेज दीजिये कि यह बातें हमसे कही गई हैं और ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---यह माननीय विचित्र नारायण शर्मा के पास आप लिख कर भेज दें।

श्री बालकराम---अच्छा साहब, अब मैं आप को बताऊं। एक बड़ी तारीफ की बात यह कही जाती है कि जमींदारी खत्म होने के बाद काश्तकारों को इतना बड़ा फायदा हो गया कि वह अधिवासी बना दिये गये, भूमिधर बना दिये गये। भूमिधर का मतलब मैं तो इतना ही समझा कि 'भूमि' और 'धर'। यानी जिसके पास भूमि है वह उसे गिरवीं धर दे क्योंकि भूमिधर वह तभी बन पायेंगे जब दस गुना लगान अदा कर दें और दस गुना लगान हम अदा कहां से कर पायेंगे? अब तक हम इतनी पैदावार तो नहीं कर पाये कि अच्छी तरह से बाल बच्चों को खिला पिला सकें।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय बालकराम जी, थोड़ा समय अब आपका रह गया है, दो तीन मिनट। अब आप कल बोलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ मार्च, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९६ पर)

जिला बिल्डिंग मैटीरियल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐडवाइजरी कमेटी के संगठन का विवरण

१--जिलाधीश, अध्यक्ष ।

२--अध्यक्ष, जिला बोर्ड ।

३--जिलाधीश द्वारा निर्वाचित नगरपालिका का एक प्रतिनिधि ।

४--नियोजन अधिकारी द्वारा निर्वाचित ग्राम सभाओं के सभापतियों का एक प्रतिनिधि ।

५--डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ।

६--राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित विधान सभा का एक सदस्य ।

७--जिला नियोजन अधिकारी ।

८--ईंट भट्ठों के मालिकों के संघ का एक सदस्य ।

९--जिले में सीमेंट स्टाकिस्टों का एक प्रतिनिधि ।

१०--जिला पूर्ति अधिकारी (मंत्री)

११--कानपुर और आगरा जिले में लोहे तथा इस्पात के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९८ पर)

जिला नैनीताल के विभिन्न स्थानों के लिए स्वीकृत सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या की तालिका

क्रम-संख्या	स्थान का नाम	दूकानों की संख्या	
१	हल्द्वानी	८	पिछले दिनों में १२ दुकानें चल रहीं थीं जिनमें नैनीताल, भुवाली, भीमताल, पटवाडांगर की ६ दुकानें तथा हल्द्वानी की ६ दुकानें सम्मिलित हैं।
२	नैनीताल	२	
३	भुवाली	२	
४	भीमताल	१	
५	पटवाडांगर	१	
६	खान्स्यूं	१	
७	बेतालघाट	१	
८	पदमपुरी	१	
९	कसियालेख	१	
१०	मुक्तेश्वर	१	
११	नाथूखान	१	
१२	रामगढ़	१	
१३	सुयालबाड़ी	१	
१४	पहाड़पानी	१	
१५	जोश्यूड़ा	१	
१६	ज्योलीकोट	१	
१७	रामनगर	१	
१८	टनकपुर	१	
१९	गरमपानी	१	
२०	नानकसागर कालोनी	१	
२१	गेठिया सैनीटोरियम	१	
	योग ..	३०	

नोट--बाद में स्वीकृति दी गई १८ दुकानों में हल्द्वानी की २ दूकानें तथा क्रम संख्या ६ से २१ तक दी गई १६ दूकानें सम्मिलित हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०५ पर)

कन्जरवेटरों की संख्या तथा वृत के नाम	स्थान का नाम जहां आफिस स्थित है
१—कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स, पश्चिमी वृत	नैनीताल
२—कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स, पूर्वी वृत	,,
३—कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स, कुमायूं वृत	,,
४—कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स, वर्किंग प्लान्स तथा रिसर्च वृत ..	,,
५—कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स, टेहरी वृत	,,
६—कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स, लैन्ड मैनेजमेन्ट वृत	,,
७—कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स, दक्षिणी वृत (अस्थायी)	इलाहाबाद
८—कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स, हेडक्वार्टर्स (अस्थायी)	लखनऊ
९—चीफ गेम वार्डन, उत्तर प्रदेश (अस्थायी) .. .. (इन्हें कन्जरवेटर की क्षमता दी गई है)	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०९ पर)

विवरण

१--बांदा जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व--

		मील
(क) कच्ची सड़कों की लम्बाई	.. ..	५०३
(ख) पक्की ,, ,, ,,	.. ..	१९३

२--प्रथम पंचवर्षीय योजना में बांदा जिले में निम्न पक्की सड़कें बनीं--

		मी०	फ०	फी०
१--इलाहाबाद-बांदा सड़क	.. ..	१९	४	०
२--अलौहा, बबेरु सड़क	.. ..	१२	०	०
३--सीतापुर लिंक सड़क	.. ..	२	२	४५२
४--चित्रकूट रेलवे फीडर सड़क	.. ..	०	२	२०
योग	..	३४	०	४७२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२२ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्य

१—चालू योजना—

	मील	फ०	फी०	अनुमानित लागत
(१) पीलीभीत गजरौला सी० सी० ट्रैक ..	६	०	०	रु०
(२) पीलीभीत-बीसलपुर सड़क ..	२२	५	०	

२—नवीन योजना—

(१) पुनः निर्माण—

(अ) स्थायी पक्की सड़क—

(१) शाही रेलवे फीडर	०	४	०	१५,०००
(ब) भारी यातायात के मीलों का आधुनीकरण तथा सुधार	११	०	०	२,०७,०००

(२) नव निर्माण—

(२) माधो टांडा पूरनपुर	८	०	०	
(३) बिलसंडा गोला पी० एच० ..	२	०	०	
(४) शारदा कैनाल सर्विस रोड ..	३	५	०	
योग ..	१३	५	०	६,८१,०००

(३) ओ० डी० आर तथा वी० आर० का पक्का करना—

(५) पीलीभीत-गजरोला-पूरनपुर ..	२३	२	०	
(६) बीसलपुर-शाहजहांपुर पी० एच० (बीसलपुर से जिला सीमा तक)	६	०	०	
(७) जहानाबाद-अमेरिया पी० एच० ..	९	०	०	
योग ..	३८	२	०	१३,७७,०००

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३१५ एल० ए०—१९५८—८३५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा